खण्ड-190, अंक-3
सोमवार, 2 पौष, शक संवत् 1879
(23 दिसम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 190 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २३ दिसम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३९८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कहैन्यालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरू
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गँदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुशील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाता राम, चौधरी
दीन दयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्ना लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)

रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री

शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २३, दिसम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ जू में प्रवेश-कर

**१—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १ नवम्बर, १९५७ से लखनऊ में स्थित बनारसी बाग जू पर जो "प्रवेश-कर" लागू किया गया है उसकी प्रतिदिन की आय औसतन क्या है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—लखनऊ में स्थित बनारसी बाग जू में प्रतीक token (प्रवेश-कर) २५ नवम्बर, १९५७ से लागू किया गया है और उससे प्रतिदिन औसतन आय ९२ रुपये ५६ नए पैसे है ।

**२—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी कि उक्त बाग के प्रातः खोलने का समय ७ बजे के बजाय ६ बजे प्रातःकाल जाड़ों में और ५ बजे गर्मियों में हो जाय ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जू की सलाहकार समिति ने बाग को १ जनवरी, १९५८ से जाड़ों में प्रातः ६ बजे व गर्मियों में ५ बजे खोलने का निश्चय कर लिया है।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस प्रवेश-कर को लगाने का सरकार का क्या आशय है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—अक्सर शिकायतें आयी थीं कि बहुत से अन-डेजाइरेबिल आदमी लेट इन दि नाइट लौयटर किया करते थे। इस वजह से यह कर लगाना जरूरी हुआ।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार जन-स्वास्थ्य के सिद्धान्त को समझते हुए सुबह घूमने वालों के लिए पांच से सात तक और शाम को छः से आठ तक निःशुल्क प्रवेश करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष—आपने तो सवाल में कहा है कि जाड़ों में ६ बजे और गर्मियों में ५ बजे। तो अब प्रश्न को आप बदलती हैं, दूसरा पूछती हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती—अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय है कि इन समयों पर निःशुल्क प्रवेश की आज्ञा दी जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं ऐसा नहीं। उसमें भी फिर गड़बड़ी होने लगेगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को यह स्मरण है कि इसी सदन में सरकार ने यह कहा था कि जू पर कोई कर नहीं लगेगा तो फिर क्या कारण है जिनकी वजह से कर लगाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कारण मैंने बता दिया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रवेश-कर लगाने से अनडेजाइरबिल्स का जाना वहां कैसे रुक जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पता चल जायगा। हमें नाम मालूम हो जायंगे। उसमें से हम ढूंढ भी सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रवेश-कर में विद्यार्थियों के लिए कोई कंसेशन रखा गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—२ पैसे ही तो टैक्स है। उससे कम क्या किया जाय।

श्री सुल्तानआलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि अनडेजाइरेबिल आदमियों को चेक करने के लिए जो वह कहते हैं कि नाम भी लिखे जायेंगे तो नाम कहां लिखे जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टिकट खरीदने में मामला महदूद रहेगा। पैसे देकर वहां बदमाशी करने कोई नहीं जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दो पैसे प्रवेश-कर बताया गया है, वो नये पैसे हैं या पुराने पैसे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब पुरानी बात छोड़िए, अब तो नयी बताइये ।

श्रीमती चन्द्रावती---माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो यह प्रवेश-कर है इसके लिये वार्षिक परमानेंट पासेज के सिस्टम पर भी कुछ नियम बनाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---छः महीने का भी है ।

मऊ पावर हाउस, जिला आजमगढ़ के सम्बन्ध में शिकायतें

**३---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास लाखों रुपयों से बने मऊ पावर हाउस, जिला आजमगढ़ के सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायतें आयीं हैं कि "नया पावर हाउस" का भवन मशीनों के चलने पर हिलने लगता है जिससे उसके गिर जाने का खतरा है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---इस किस्म की शिकायतें तो नहीं आयी हैं लेकिन सरकार को पता चला है कि दूसरी मशीन का जो पूर्णतया तैयार हो चुकी है ट्रायल लेने पर कुछ आवेष (वायब्रेशन) पाये गये हैं जिसकी जांच की जा रही है इससे बिल्डिंग को कोई खतरा नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मंत्री जी को कैसे पता चला कि दूसरी मशीन जो तैयार हो चुकी है उसका जब ट्रायल लिया गया तो उसमें कमी पायी गयी ?

श्री रऊफ जाफरी---जैसा बतलाया गया, जिस समय ट्रायल लिया गया तो वायब्रेशन पाया जा रहा था । उसको देखा जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---किस प्रकार यह जानकारी हुई सरकार को ?

श्री रऊफ जाफरी---जवाब दिया जा चुका है कि जब उसका इम्तहान लिया गया...

श्री अध्यक्ष---वह यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने खुद इम्तहान लिया या इंजीनियरों ने लिया ?

श्री रऊफ जाफरी---मशीनों का इम्तहान इंजीनियर्स ही लेते हैं ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना मिली है कि मऊ पावर हाउस जो नया बना है उसमें किसी प्रकार की कमजोरी आ गयी है ?

श्री रऊफ जाफरी---जवाब दिया जा चुका है । पावर हाउस में कोई कमजोरी नहीं आयी । एक मशीन में कुछ गड़बड़ी थी उसको ठीक किया जा रहा है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस कम्पनी वालों ने सरकार के पास कोई ऐसी सूचना भेजी है कि जब दोनों टरबाइन्स चलते हैं तो पावर हाउस हिलने लगता है ?

श्री रऊफ जाफरी---जवाब दिया जा चुका है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

फाजिलनगर के सरकारी अस्पताल में डाक्टर न होना

**४---श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फाजिल नगर के सरकारी अस्पताल में कब से डाक्टर नहीं है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---५ नवम्बर, सन् १९५७ ई० से डाक्टर नहीं था । अब एक डाक्टर वहां भेज दिया गया है जिसने २०-१२-१९५७ तक चार्ज ले लिया होगा । चार्ज लेने की सूचना अभी नहीं मिली है ।

श्री रामायण राय---क्या माननीय मंत्री जी इस अस्पताल में रोगियों की बड़ी संख्या के अनुरूप चिकित्सा व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यदि रुपया पैसा काफी तादाद में मिल सके तो जरूर करूंगा।

श्री रामसिंह सत्याग्रही की आगरा जेल में मृत्यु के संबंध में जांच

**५---श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)---क्या समाज सुरक्षा मंत्री यह सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि रामसिंह सत्याग्रही जिनकी आगरा जेल में मृत्यु हुई उसकी अबतक जांच होकर आई है या नहीं ?

समाज सुरक्षा राज्यमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---जी हां, आ गयी है।

**६---श्री रामसिंह चौहान, वैद्य---यदि आयी है, तो क्या है और इस सम्बन्ध में अबतक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री मुजफ्फरहसन---श्री रामसिंह की मृत्यु आगरा सेन्ट्रल जेल में २ अगस्त, १९५७ ई० की शाम को करीब ८ बजे अचानक हो गई। मृत्यु के लगभग २० मिनट पहले तक वे बिल्कुल ठीक थे। शाम को खाना खाने के पश्चात् उन्होंने अपना बिस्तरा बैरक के बाहर लाकर बिछा लिया। बैरक के दरवाजे के पास उन्हें खांसी आयी और वहीं पर उन्होंने थूका। बाद में मालूम हुआ कि उसमें खून था। तत्पश्चात् वे अन्य साथियों के साथ टहल रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें तेज खांसी का दौरा आया और मुंह से खून निकलने लगा। उनके अन्य साथियों ने उन्हें सम्भाला और वहीं पर लिटा दिया। तुरन्त ही वे लगभग बेहोश होगये। एक वार्डर दौड़ा हुआ कम्पाउन्डर को बुला लाया जिन्होंने को-आगुलिन (Coagulin) का एक इन्जेक्शन लगाया किन्तु उसका कोई परिणाम न निकला और २० मिनट के अन्दर ही उनकी मृत्यु हो गई। पोस्ट मार्टम के पश्चात पता चला कि श्री रामसिंह को एक प्रकार की तपैदिक की बीमारी थी जिसे अंग्रेजी में फाइबरस टाइप आफ टी० बी० (Fibrous type of tuberculosis) कहते हैं। उनके फेफड़ों में बहुत पहले ही से तपैदिक के लक्षण विद्यमान थे, किन्तु ऊपर से न तो इस बीमारी के कोई लक्षण मालूम होते थे और न उन्होंने इस प्रकार की तकलीफ की शिकायत ही की। इस भीतरी खराबी के बहुत दिनों तक बने रहने के कारण फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पाते थे। जब उन्हें तेज खांसी का दौरा आया और मुंह से खून निकलने लगा तो खराब फेफड़े खून को बाहर निकलने से न रोक सके। इसी कारण श्री रामसिंह की मृत्यु तत्काल हो गयी। उनकी मृत्यु बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से हुई।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य---क्या समाज सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामसिंह जी कितने दिन से बीमार थे और उनकी पहले से कोई जांच डाक्टरों द्वारा की गयी थी।

श्री मुजफ्फर हसन---उनको १९ मई को कुछ चक्कर सा आया और वह अस्पताल में दाखिल हुये। २४ जून तक वह अस्पताल में रहे। उन्होंने कमजोरी की शिकायत बतलायी और उसी का इलाज किया गया।

श्री रामसिंह चौहान, वैद्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जल के अलावा उनकी जांच किसी सिविल सर्जन ने या और किसी डाक्टर ने भी की थी ?

श्री मुजफ्फरहसन---जेल के अलावा किसी बाहर के मुआयने की जरूरत नहीं महसूस हुई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनका इलाज करने से पहले उनके स्वास्थ्य की पूरी परीक्षा की गयी थी या नहीं की गयी थी ?

श्री मुजफ्फरहसन---जी हां, की गयी थी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---तो उस परीक्षा की कोई रिपोर्ट सरकार के पास है और क्या उस रिपोर्ट में परीक्षा करते वक्त यह नहीं पाया गया कि उनके फेफड़े खराब हैं ?

श्री मुजफ्फरहसन---जी हां, उसमें कोई अलामत ऐसी नहीं जाहिर हुई और न उन्होंने बताया । जहां तक उनकी नब्ज का ताल्लुक ह वह ठीक थी । इस तपैदिक की अलामत में खासतौर से यह होता है कि हरारत हो, भूख न लगे और नब्ज की रफ्तार ठीक न हो । यह सब चीजें ठीक थीं और उनका वजन दो पौंड बढ़ गया था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---उनको जो चक्कर आया वह किस बीमारी के फलस्वरूप आया, इसकी कोई जांच हुई थी ?

श्री मुजफ्फरहसन---वह तो कमजोरी थी और वही समझा भी गया ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जब पहली बार उनके मुंह से खून निकला था और २० मिनट बाद मृत्यु हुई तो इस बीच में सिविल सर्जन को बुलाने का प्रयत्न किया गया था ?

श्री मुजफ्फरहसन---२० मिनट के अन्दर मृत्यु हो गई और १० मिनट के अन्दर कम्पाउंडर जो ड्यूटी पर था वह आया । उसने इंजेक्शन दिया और आध घंटे के बाद दूसरे डाक्टर भी आगये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---नींद दिलाने वाला इंजेक्शन देने के बाद मृत्यु होगई, क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वह इंजेक्शन कौन-सा था ?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने बता दिया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सदन को सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---पोस्टमार्टम में यही कहा गया है कि खून थूकने की वजह से उनकी मृत्यु हो गयी । पोस्टमार्टम करने पर यह मालूम हुआ कि फाइबरस टाइप की टी० बी० उनको थी ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि आध घंटे बाद डाक्टर्स आये तो वे डाक्टर कौन थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---डिस्ट्रिक्ट जेल के डाक्टर थे ।

श्री मोहन लाल वर्मा (जिला हरदोई)---जिस समय रामसिंह सत्याग्रही जेल के अन्दर दाखिल हुय थ क्या उस समय भी उनका मडिकल टेस्ट हुआ था और अगर हुआ था तो क्या उस समय भी वे बीमार थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां, उनका टेस्ट जब वे फतेहगढ़ जेल गये तब भी हुआ था और जब आगरा वहां से दस दिन के बाद गये तब भी हुआ था और उस समय वे कोई खास बीमार नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न

गोंडा जिले में बाढ़ विभाग के नवनिर्मित कार्यालय की मरम्मत

*१--राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल में बाढ़ विभाग का मुख्य कार्यालय तथा अधिकारियों के निवासस्थान जो गोंडा शहर में बनवाये गये हैं उनमें कितना व्यय हुआ और वे किस तिथि को बनकर तैयार हुये ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)--गोंडा केनाल कालोनी में कार्यालय तथा अधिकारियों के निवास स्थान का निर्माण १,८३,३०० रु० की लागत पर हुआ है। निर्माण का कार्य सितम्बर, १९५७ ई० में समाप्त हुआ, हालांकि भवन फरवरी सन् १९५७ ई० से प्रयोग में लाये गये थे।

*२--राजा राघवेन्द्रप्रताप सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त इमारत मरम्मत तलब हो गई है और उसकी मरम्मत के लिये कितने धन की मांग की गयी है ?

श्री राममूर्ति--चालू वर्ष में साधारण जीर्णोद्धार के लिये २,७०० रु० की मांग की गयी है। उपरोक्त इमारतें मरम्मत तलब नहीं हैं।

राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह--क्या सरकार यह बतलायेगी कि सितम्बर, ५७ की बनी हुई इमारत में इतनी शीघ्र जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई ?

श्री राममूर्ति--मैंने जवाब में बतलाया है कि इमारत इस्तेमाल में फरवरी से लायी गयी है और २,७०० रु० ऐसा मालूम पड़ता है कि जो सालाना रिपेयर्स, सफाई और पुताई वगैरह होती है उसमें खर्च किये गये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसमें क्या-क्या मरम्मत की गयी ?

श्री राममूर्ति--मान्यवर, यह तो साल भर के मेंटिनेंस के लिये रकम मांगी गयी है, ऐसा मालूम होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतायेगी कि जो सितम्बर, १९५७ में बिलडिंग तैयार हुई है उसमें लोग फरवरी, १९५७ से ही कैसे रहने लगे ?

श्री राममूर्ति--इमारतें तो बराबर बनतीं रहती हैं और खत्म होती रहती हैं। मैंने बतलाया कि कुल कालोनी सितम्बर में तैयार हुई, लेकिन फरवरी में जो मकान तैयार हो गये उनमें रहने का काम शुरू हो गया।

सिंचाई की रामगंगा योजना की अनुमानित लागत

*३--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि सिंचाई की रामगंगा योजना कब बनकर तैयार होगी और कितना धन इस योजना में केन्द्रीय सरकार से मिलेगा और कितना प्रदेशीय सरकार को व्यय करना होगा ?

श्री राममूर्ति--यदि आशानुसार योजना के लिये पूर्ण धनराशि की व्यवस्था तृतीय योजना काल में हो सकी तो उस योजना अवधि में इस योजना के पूर्ण होने की आशा है। योजना की कुल लागत २८.८८ करोड़ रुपये है। अभी यह निश्चित नहीं है कि योजना की लागत के कितन भाग की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा और कितने की प्रदेशीय सरकार द्वारा होगी।

*४—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रामगंगा योजना से किस-किस जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जायेगी ?

श्री राममूर्ति—रामगंगा योजना पूर्ण होने पर अपर गंगा, लोअर गंगा, रामगंगा और आगरा नहरों के अन्तर्गत क्षेत्र (commanded areas) में सिंचाई बढ़ायी जा सकेगी और निम्नलिखित जिलों में नये क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा :

१—अलीगढ़	२—एटा
३—मैनपुरी	४—फर्रुखाबाद
५—इटावा	६—कानपुर
७—फतेहपुर	८—इलाहाबाद

आगरा नहर के अन्तर्गत (१) आगरा तथा (२) मथुरा जिलों में रामगंगा नहर के अन्तर्गत (१) बिजनौर तथा (२) मुरादाबाद जिलों में सुविधा मिलेगी। अपर गंगा नहर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का जिलेवार ब्यौरा अभी तय नहीं किया गया है।

*५-७—श्री लक्ष्मणदास कदम (जिला झांसी)—[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४१-४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कानपुर जिले में पुखरायां, महाराजपुर, गोसगंज तथा अकबरपुर को बिजली देने की योजना

*८—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के पुखरायां, महराजपुर, गोसगंज और अकबरपुर के कस्बों में कब तक बिजली पहुंच जायेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—जून, १९५८ तक बिजली पहुंचने की आशा है।

*९—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह बिजली कानपुर के बिजली घर से जायेगी या उसके लिये कोई अलग पावर स्टेशन बनाया जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—बिजली कानपुर पावर हाउस से ही जायेगी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह विद्युत ले जाने का काम हाइडल बर्क्स द्वारा हो रहा है या कानपुर के "केसा" द्वारा हो रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी—इस वक्त तो हाइडेल के चीफ इंजीनियर के मातहत हो रहा है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन नगरों को बीच रास्तों को भी इस बिजली से रोशनी दी जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी—अभी तो इन्हीं नगरों का इससे ताल्लुक है और बिजली देने का सवाल इन्हीं ४ नगरों तक महदूद है।

कानपुर जिले के लिए नलकूप निर्माण योजना

*१०—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कानपुर जिले में कितने नलकूप बनेंगे और कहां-कहां और किस-किस वर्ष में ?

श्री राममूर्ति—द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में १५ नलकूप डेरापुर (रसूलाबाद), जिला कानपुर में बनाने का प्रस्ताव है। इन नलकूपों की स्थिति के विषय में अभी निर्णय नहीं किया गया है और न सन् १९५६-५७ व १९५७-५८ में किसी नलकूप का निर्माण ही किया गया है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जमुना के आंचल में भी ट्यूबवेल बनाने की योजना इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में है ?

श्री राममूर्ति---कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जमुना के आंचल पर एक एक्सपेरीमेंटल ट्यूबवेल बना लिया जाय ?

श्री राममूर्ति---गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल के तौर पर हमारे यहां काम हो रहा है । दो एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स कानपुर में भी बनेंगे । जब उनके नतीजे मालूम पड़ जायं उसके बाद नये प्रस्ताव पर विचार किया जायगा ।

श्री मुरलीधर कुरील(जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछली पंचवर्षीय योजना में कानपुर जिले में २० ट्यूबवेल मंजूर हुये थे, उनमें से कितने बन गये हैं ?

श्री राममूर्ति---उसकी इत्तला मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १३ नम्बर, डेरापुर रसूलाबाद खंडों के अलावा भी किसी अन्य प्रसार खंडों में ट्यूबवेल बनाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति---अभीतक तो इसी इलाके के लिये योजना है ।

हैण्डलूम सेस फण्ड में प्राप्त केन्द्रीय सहायता का वितरण

*११---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष राज्य सरकार को हैन्डलूम सेस फन्ड के लिये केन्द्रीय सरकार से कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है ?

श्री रऊफ जाफरी---गत वर्ष राज्य सरकार को सेस फन्ड में केन्द्रीय सरकार ने ६०,१२,५५३ रुपये की आर्थिक सहायता दी ।

*१२---सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त धनराशि का वितरण किस प्रकार किया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी---उक्त धनराशि में से ५६,९४,५६३ रुपया निम्नलिखित प्रकार से गत वर्ष व्यय किया गया :

१---काटन हैन्डलूम योजनाओं पर ५२,२२,७८३ रुपया ।
२---सिल्क हैन्डलूम योजनाओं पर ४,७१,७८० रुपया ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शेष रुपया जो वितरण करने से बच गया उसको वितरित क्यों नहीं किया गया ?

श्री रऊफ जाफरी---रुपया जो बच गया वह इसलिये नहीं बांटा गया कि कर्ज देने की जरूरत मालूम नहीं हुई और लोगों ने मांगा नहीं ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी ऐसी दरख्वास्तें गत वर्ष कर्जे के लिये आयी थीं, जो नामंजूर की गई हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

हमीरपुर जिले में गहरौली ग्राम को नहर पर पानी के निकास की कुव्यवस्था से क्षति

*१३—श्री रामगोपाल गुप्त(जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गहरौली ग्राम, जिला हमीरपुर में नहर बन जाने की वजह से गांव में वर्षा का पानी रुक जाने के कारण बहुत से गरीबों के घर गिर गये ? यदि हां, तो कितने और कुल कितनी धनराशि की हानि हुई ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

*१४—श्री रामगोपाल गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नहर पर पानी के निकास की व्यवस्था न होने के कारण जो जनता का नुकसान हुआ है उसकी क्षति-पूर्ति का सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री राममूर्ति—नहर पर पानी के निकास की पूरी व्यवस्था ड्रेनेज द्वारा की गयी थी परन्तु ड्रेनेज में जनता ने स्वयं जो परिवर्तन किया जिसके कारण क्षति हुई उसकी छानबीन की जा रही है ।

*१५—श्री रामगोपाल गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण यह घटना घटी है उन पर सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस विभाग के किसी कर्मचारी की त्रुटि नहीं है ।

श्री रामगोपाल गुप्त—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो क्षति हुई है वह किस प्रकार की है ?

श्री राममूर्ति—जो नहर विभाग के जरिये ड्रेनेज बनाया गया था उसमें ४–४ की पुलियां बनायी गयी थी और ·६ वर्ग मील पानी आता था और इसलिये वह काफी था, लेकिन लोगों ने इसको स्वयं बिगाड़ लिया और इसमें और और नालियों को शामिल कर दिया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि लगभग ·४ वर्ग मील पानी आने लगा । इसकी वजह से पानी फैल गया और ऐसा मालूम हुआ है कि थोड़े से मकान गिर गये ?

श्री रामगोपाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने मकान गिर गये हैं ?

श्री राममूर्ति—मकानों का निश्चित नम्बर तो मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो क्षति हुई है उसका अन्दाजा कितना है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि थोड़े से कच्चे मकान गिर गये हैं, लेकिन रुपयों का तखमीना नहीं है ।

गोंडा जिले में बाढ़ विभाग के नवनिर्मित कार्यालय की मरम्मत

*१६—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिल में जो फ्लड डिवीजन का कार्यालय बना है उसमें कितना धन व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति---गोंडा कैनाल कालोनी में कार्यालय तथा अधिकारियों के निवास-स्थान का निर्माण १,८३,३०० रुपये की लागत पर हुआ है ।

*१७---श्री बलदेवसिंह---कार्यालय का निर्माण पूर्ण हुआ कि नहीं ?

श्री राममूर्ति---निर्माण का कार्य सितम्बर, सन् १९५७ में समाप्त हुआ था, किन्तु भवन फरवरी, सन् १९५७ से ही प्रयोग में लाये जाने लगे थे ।

*१८---श्री बलदेवसिंह---क्या उसकी विशेष मरम्मत के लिये और धन की आवश्यकता है ?

श्री राममूर्ति---चालू वर्ष में साधारण जीर्णोद्धार के हेतु मुबलिग २,७०० रुपये की मांग की गयी है, किन्तु उक्त भवनों में कोई विशेष मरम्मत की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो २,७०० रुपया खर्च हुआ बताया गया है वह किन-किन मदों में और कितना-कितना रुपया दिया गया है ?

श्री राममूर्ति---यह तो कुल कालोनी की मरम्मत के बारे में इसका जिक्र है ।

श्री बलदेवसिंह---श्रीमन्, उत्तर में यह बताया गया कि इसमें विशेष मरम्मत की जरूरत नहीं है, लेकिन जीर्णोद्धार के लिये रुपया खर्च हुआ । तो विशेष मरम्मत और जीर्णोद्धार में क्या अन्तर है ।

श्री राममूर्ति---मैंने जो जवाब दिया उसमें यह कहा कि चालू वर्ष में साधारण जीर्णोद्धार के हेतु २,७०० रुपये की मांग की गयी है किन्तु उक्त भवनों में कोई विशेष मरम्मत की आवश्यकता नहीं है । तो मैंने तो खुद कहा कि कोई विशेष मरम्मत नहीं है बल्कि जो साधारण जीर्णोद्धार की जरूरत होती है उसके लिये है ।

श्री अध्यक्ष---आपने यह जवाब दिया कि चाल वर्ष में साधारण जीर्णोद्धार के हेतु मुबलिग २,७०० रुपये की मांग की गयी है । वे यह जानना चाहते हैं कि जीर्णोद्धार और विशेष मरम्मत में क्या अन्तर है ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, मैं हिन्दी का विशेषज्ञ नहीं हूं । साधारण तरीके से जो जबान इस्तेमाल होती है वही मैं जानता हूं । जीर्णोद्धार से मेरा मतलब जो सालाना मरम्मत होती है, कुछ सफाई वगैरह और कम्पाउंड वगैरह में तमाम काम हुआ करता है, उससे था ।

श्री अध्यक्ष---तो आप इसी मतलब में इसे लीजिये ।

श्री बलदेवसिंह---क्या सरकार मेरी बात को सूचना मानकर इस बात की जांच करायेगी कि जो १,८३,३०० रुपये खर्च हुये हैं उसका आधे से ज्यादा रुपया अपव्यय हो गया और यह इमारत बिल्कुल जीर्णोद्धार होने के लायक हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष---आपका जीर्णोद्धार से क्या मतलब है ?

श्री बलदेवसिंह ---मैं इसका मतलब यह समझता हूं कि कोई बहुत पुराना खंडहर होगया हो उसकी मरम्मत वगैरह को जीर्णोद्धार कहते हैं ।

श्री राममूर्ति---माननीय सदस्य चूंकि उसी जिले से आते हैं इसलिये उन्होंने उसको देखा होगा। मैंने चूंकि अभी उसको देखा नहीं है और उनकी नजर में चूंकि उसकी बहुत अहमियत है तो मैं मौका पाकर जब कि मुझे अवसर मिलेगा वहां जाऊंगा और उनको भी अपने साथ लेता चलूंगा ताकि हम और वे दोनों उस चीज को देखकर जानकारी हासिल कर सकें।

इटावा जिले में ट्यूबवेल आपरेटरों का कथित चुनाव

*१९---श्री सुखलाल (जिला इटावा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितने ट्यूबवेल आपरेटर हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री राममूर्ति---इटावा जिले में कोई नलकूप चालक नहीं हैं।

*२०---श्री सुखलाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में १९५६-५७ में ट्यूबवेल आपरेटरों के लिये चुनाव हुआ है और कितनी उम्र वाले चुनाव में शरीक किये गये ?

श्री राममूर्ति---सन् १९५६-५७ में इटावा जिले में नलकूप चालकों का कोई चुनाव नहीं हुआ है।

*२१---श्री सुखलाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त चुनाव में कितने हरिजन उम्मीदवार शामिल थे और उनके लिये उम्र का क्या प्रतिबन्ध था ?

श्री राममूर्ति---प्रश्न ही नहीं उठता।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत आजमगढ़ जिले में चालू होने वाले उद्योग-धंधे

*२२---श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार किन-किन उद्योग-धन्धों को चालू करने का विचार रखती है ?

श्री रऊफ जाफरी---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में उद्योग विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न उद्योगों के कार्यान्वित किये जाने का आयोजन है जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है :

(१) अग्रगामी यंत्रालय योजना।
(२) चर्म विकास एवं चर्मशोधन योजना।
(३) औद्योगिक शिक्षालय योजना।
(४) गुड़ विकास योजना।
(५) पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों के लिये औद्योगिक विकास योजना।
(६) प्राविधिक औद्योगिक शिक्षालय योजना।
(७) हथ-करघा योजना।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३२ पर)

*२३---श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में १९५६-५७ में कितनी सहायता किन-किन उद्योग-धंधों को चलाने के निमित्त सरकार ने दी ?

श्री रऊफ जाफरी---१९५६-५७ में आजमगढ़ जिले में केवल एक आवेदक श्री सदानन्द, ग्राम मैंगोना, पत्रालय कोहरा, को गमछा बुनाई के हेतु १,००० रुपया ऋण व ५०० रुपया अनुदान दिया गया।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत दो वर्षों में आजमगढ़ जिले में कौन-कौन से उद्योग चलाये गये हैं और उनकी प्रगति क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार ने आजमगढ़ जिले में किसी स्थान पर बिजली संबंधी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री रऊफ जाफरी---वहां एक पायलेट स्कीम है, चल रही है जिसमें इंजन ड्राइवरी और दूसरी किस्म की चीजें सिखलाई जाती हैं।

उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में ईख के सिंचाई-कर में छूट

*२४---श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला उन्नाव की पुरवा तहसील के परगना पतहन घाटमपुर डोड़िया खेरा., बीहार और भगवन्तनगर में इस वर्ष मई-जून मास में नहर का पानी समय से न मिलने के कारण ईख की खेती सूख गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री राममूर्ति---प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्रों में ईख की खेती का नुक्सान मई-जून मास में नहर का पानी समय से न मिलने के कारण नहीं वरन् दीमक से हुआ है।

*२५---श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उक्त किसानों पर सिंचाई-कर माफ करेगी या उन्हें अन्य कोई सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री राममूर्ति---उक्त हानि के कारण सिंचाई दर में जो छूट नियमों के अन्तर्गत दी जा सकती है, दी जा रही है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वहां पर रुपये में कितने आने का नुकसान हुआ है ?

श्री राममूर्ति---१३६५ फसली, जिसका जिक्र है, में पतहन में ३२२ एकड़ में १ एकड़ का नुकसान हुआ, ०.३१ प्रतिशत। बीहार में २३३ एकड़ में १ एकड़ का नुकसान हुआ, ०.३१ प्रतिशत। भगवन्तनगर में ५९२ एकड़ में ३ एकड़ का नुकसान हुआ, ५.१ प्रतिशत, डौडिया खेड़ा में ,६१० एकड़ में ११ एकड़ का नुकसान हुआ १.८ प्रतिशत और घाटमपुर में ३२० एकड़ में ९ एकड़ का नुकसान हुआ, २.८ प्रतिशत।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो नुकसान हुआ है और दीमक लगी है उसका कारण पानी का न मिलना ही है ?

श्री राममूर्ति---मैंने पहले ही अर्ज किया कि दीमक और खराब बीज के कारण ही ईख खराब होती है। इसके पहले के आंकड़े भी मेरे पास हैं जिनमें इन कारणों से ही नुकसान हुआ है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो उनको भी मैं पढ़ दूं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई टैक्स में सरकार कितनी छट दे रही है ?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि मैनुअल के अन्दर जो रूल्स हैंउनके मुताबिक छूट दी जा रही है।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वह फसल खराब होने के समय कितने फुट और इंच पानी नहर में छोड़ा गया था ?

श्री राममूर्ति--श्रीमन्, फुट और इंच का तो मालूम नहीं है, किन्तु ४ हफ्ते में १ हफ्ता पानी छोड़ा जाता ह, वह छोड़ा गया।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या सिंचाई मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नहर का पानी उस इलाके में नहीं पहुंचा तो वहां की जनता की तरफ से कोई दरख्वास्त नहर महकमे के पास भेजी गयी थी ?

श्री राममूर्ति--हो सकता है कोई दरख्वास्त गयी हो, लेकिन मेरे पास उसका रिकार्ड नहीं है।

बांदा जिले की करवी तहसील में खनिज-पदार्थों की खोज के सम्बन्ध में जानकारी

*२६--श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)--क्या सरकार ने बांदा जिले की कर्वी मऊ तहसील का निरीक्षण कराया है ? यदि हां, तो वहां कौन-कौन खनिज-पदार्थ पाये गये हैं और उन पर क्या तरक्की करने का विचार है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी नहीं।

श्री जगपतिसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किन कारणों से निरीक्षण नहीं हो सका ?

श्री रऊफ जाफरी--अभी तक उस तहसील का नहीं हुआ है। यों गवर्नमेंट आफ इंडिया के सर्वे डिपार्टमेंट ने कुछ किया था और वहां कालिंजर के करीब जो सोने की बात थी उसके मुताल्लिक उनकी रिपोर्ट निगेटिव में है।

श्री जगपतिसिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि उस डिवीजन का निरीक्षण कब तक करने का विचार है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह बताना मुश्किल है कि निरीक्षण कब तक हो जायगा।

बांदा जिले के लिए औद्योगिक विकास योजनायें

*२७--श्री जगपतिसिंह--क्या उद्योग मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि १९५७-५८ में बांदा जिला कर्वी-मऊ पूर्वी बबेरू में छोटे-छोटे उद्योग-धंधे कौन से, किन-किन स्थानों में खोलने का विचार कर रही है और उसकी लागत क्या होगी और कितने आदमी काम करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी--बांदा जिले के औद्योगिक विकास के लिये सन् १९५७-५८ में चालू योजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है:--

(१) ताड़ गुड़ योजना--इसके अन्तर्गत १९५७-५८ में कर्वी तहसील के रामनगर स्थान में एक केन्द्र आरम्भ करने की योजना है जिसमें १९ भूमिहीन श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जायगा। अनुमानतः उक्त कार्य पर १,३३० रुपये व्यय होगा।

(२) औद्योगिक शिक्षालय योजना के अन्तर्गत १९५७-५८ में बांदा जिले में एक केन्द्र खोलने की योजना है। साधारणतया एक केन्द्र पर ७,००० रुपये प्रतिवर्ष व्यय होता है और १० प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। स्थान व कला निर्णय जिला नियोजन समिति के परामर्श से होगा।

(३) औद्योगिक सहकारिता योजना के अन्तर्गत १९५७-५८ में बांदा जिले में २ सहकारी समितियों के संगठन करने की योजना है। जिस स्थान पर इसके सदस्य प्रचुर मात्रा में पाये जायेंगे, समिति संगठित की जावेगी।

श्री जगपतिसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिलों से उन स्थानों के नाम पूछे गये हैं या इन लोगों ने कोई तजवीज अपनी तरफ से की है ?

श्री रफऊ जाफरी---जैसा कि बतलाया गया है जब वहां पर खोलने का विचार होगा तो जो योजना समिति है उसके जरिये से नाम आयेंगे ।

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में कूपों के जीर्णोद्धार कार्य के संबंध में शिकायत

*२८---श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में तहसील खलीलाबाद के अन्तर्गत ग्राम जोरवा, जमोहरा और सरफरा में समस्त कूपों के जीर्णोद्धार का कार्य जो बाढ़ विभाग के ठेकेदार द्वारा इसी वर्ष हुआ है उसके बारे में सरकार ने समाधान कर लिया है कि वह ठके की शर्तों के अनुरूप हो गया है ?

श्री राममूर्ति---हां, पानी पीने वाले कुओं की जगत ऊंची करने का कार्य ग्राम जौरवा जमौरहा और सरफरा, तहसील खलीला बाद, जिला बस्ती में वर्क वार्डर में दी हुई शर्तों के अनुसार किया गया है । कार्य सन्तोषजनक मिला जिसकी परीक्षा स्वयं अधिशासी अभियन्ता ने ९-९-९५७ को की ।

*२९---श्रीमती गेंदादेवी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ग्रामवासियों ने इस साल बरसात के पहले ही इक्जीक्यूटिव इंजीनियर बाढ़ विभाग बस्ती से उक्त कार्य के ठीक ढंग से न किये जाने के विषय में जो लिखित शिकायत की थी उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति---हां, यह सत्य है कि अधिशासी अभियन्ता को एक प्रार्थना-पत्र कुएं की जगत को ऊंचा करने के सम्बन्ध में जो कि बजाय सीमेंट के गारे में की गई प्राप्त हुई थी, जांच पर दोषारोपण असत्य निकला, चूंकि वर्क वार्डर में गारे से कार्य करने की शर्त दी गई थी, न कि सीमेन्ट से और कार्य उचित रूप से हुआ है। इसलिये उस प्रार्थना-पत्र पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई ।

*३०---श्रीमती गेंदादेवी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम तिवारीपुर, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में पिछले वर्षों में गांव को ऊंचा करने का और कुओं की मरम्मत का जो काम किया गया था वह भुगतान किये जाने से पूर्व पूरा हो गया था और क्या उक्त कार्य की यथासमय जांच करली गयी थी ?

श्री राममूर्ति---तिवारीपुर ग्राम की सतह को ऊंचा करने का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया गया और उसकी परीक्षा करने के पश्चात् देय धन का भुगतान किया गया । अब तक किसी कुएं को इस ग्राम में ऊंचा करने के कार्य का कोई रुपया महकमें द्वारा भुगतान नहीं हुआ है ।

गोरखपुर जिले के धान में भूसे से कारबन बनाने की कथित योजना

*३१---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह गुड़ खंडसारी योजना के अन्तर्गत धान के भूसे से सक्रिय कारबन बनाने हेतु गोरखपुर जिले के उत्तरी भाग में कोई कारखाना चालू करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री रऊफ जाफरी--- (अ) जी नहीं ।
(ब) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मदनपांडेय---क्या सरकार उन कारणों को बताने की कृपा करेगी जिनसे प्रभावित होकर इस प्रमुख धान उत्पादक इलाके में सक्रिय कारबन बनाने का कारखाना नहीं खोला जा रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी---सोचा जायगा कि क्या इस बारे में हो सकता है ।

गोरखपुर जिले की महराजगंज व गोरखपुर सदर तहसीलों में उद्योग केन्द्र

*३२---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की महराजगंज-फरेंदा तहसीलों में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में किन-किन कुटीर उद्योगों के केन्द्र कहां-कहां चालू किये गये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गुड़ एवं खंडसारी विकास योजना का कार्य गोरखपुर जिले में गोरखपुर सदर तथा महाराजगंज तहसीलों में चलाया गया। इसके अन्तर्गत तहसील महाराजगंज में १३ केन्द्र तथा गोरखपुर सदर में ३ केन्द्र खोले गये। केन्द्रों के नाम निम्नलिखित हैं :

तहसील महाराजगंज---

१---सुमेरगंज
२---महुवा
३---समदेवरा
४---खतहा
५---पकारही नोनिग्रा
६---मुजारी
७---माधन नगर
८---कमसिन खुर्द
९---पनीरा
१०---महाराजगंज
११---बागपुर
१२---परनवाल
१३---नबुइया ।

तहसील गोरखपुर सदर---

१---बतहत
२---करमहन
३---बरगदही ।

*३३---श्री मदन पांडेय---[६ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३४---श्री मुक्तिनाथ राय---[६ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

उन्नाव जिले में जालिमगंज, मजरा कुतुबपुर की भूमि जलमग्न रहने की शिकायत

*३५---श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जालिमगंज मजरा कुतुबपुर, परगना बीहार, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव के निवासी गत ४ वर्षों से शिकायत कर रहे हैं कि उनके गांव के दो ओर नहर होने के कारण पानी के निकास का मार्ग अवरुद्ध है और जिसके कारण गांव में ३-३ फुट पानी भरा रहता है ? यदि हां, तो सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राममूर्ति—यह सत्य है कि ग्राम जालिमगंज मजरा कुतुबपुर परगना बीहार की कुछ भूमि जलमग्न है क्योंकि इस ग्राम की स्थिति पुरवा बांच तथा आकमपुर माइनर के बीच में है। आवश्यक कार्यवाही सर्वेक्षण समाप्त होने पर की जायगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सर्वेक्षण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था और कब तक समाप्त होने की सम्भावना है?

श्री राममूर्ति—यह बरसात के बाद शुरू किया गया था, मैंने मालूम किया था, १५, २० दिन में खत्म हो जायगा।

श्री प्रतापसिंह—जब ४ साल से गांव वाले शिकायत कर रहे हैं तो इस कार्य को पूरा करने में क्यों देरी हुई?

श्री राममूर्ति—इस बरसात के बाद इसकी अहमियत समझी गयी और उसका सर्वेक्षण किया गया।

गोंडा जिले में घाघरा नदी से गांवों के कट जाने की शिकायत

*३६—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में घाघरा नदी में सन् १९५० से लेकर सन् १९५७ में १५ सितम्बर तक कितने ग्राम नदी में विलीन हो गये हैं? उन ग्रामों के निवासियों की जन-संख्या क्या थी और कितने जन-धन की हानि हुई है?

श्री राममूर्ति—जहां तक सिंचाई विभाग को ज्ञात है कोई ग्राम घाघरा नदी से कटकर विलीन नहीं हुआ है।

*३७—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त नदी में विलीन ग्रामों के निवासियों को सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता दी गयी है?

श्री राममूर्ति—प्रश्न ही नहीं उठता।

*३८—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन से ग्राम ऐसे हैं जो खतरे के बिन्दु तक पहुंच चुके हैं। उन ग्रामों को बचाने के लिये सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है?

श्री राममूर्ति—कोई भी ग्राम खतरे के बिन्दु तक नहीं पहुंचा है। इस क्षेत्र में लगभग १९० ग्रामों की पटाई सिंचाई विभाग के द्वारा की जा चुकी है।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो गांव कट गये हैं वहां के आदमी आज भी बेकार बैठे हुए हैं?

श्री राममूर्ति—मेरे पास जो इत्तिला थी वह मैंने पढ़ कर सुना दी कि कोई गांव कटा नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार हमारी बात को मान कर जांच करायेगी कि उनके पास कोई जमीन नहीं है और न घर रह गया है?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य उन गांवों के नाम मेरे पास लिखकर भिजवा दें तो मैं सब इत्तिला मालूम करके उनके पास भिजवा दूंगा।

*३९-४०—श्री मोतीलाल अवस्थी—[पांचवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

१९५६-५७ में बिक्री-कर से वसूली

*४१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १९५६-५७ में प्रदेश में कितना बिक्री-कर वसूल हुआ और कितना बकाया है ?

श्री रऊफ जाफरी—१९५६-५७ में इस राज्य में बिक्री-कर से ९,१९,७६,८५६ रुपये की धनराशि वसूल हुई और वर्ष के अन्त में २,१३,४७,१०९ रुपये बकाया रहे ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस २,१३,४७,१०९ लाख की बकाया में सब से बड़ी रकम कितनी है और किन लोगों पर है ?

श्री रऊफ जाफरी—नोटिस की आवश्यकता है ।

इटावा जिले की कतिपय औद्योगिक सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन

*४२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विधूना तहसील, जिला इटावा का (१) चमड़ा सोसाइटी, बहादुरपुर, (२) तेल घानी सोसाइटी, पुरवा जैन, (३) कुम्भकार गृह उद्योग सोसाइटी, इटावा, कुम्भकार गृह उद्योग सोसाइटी, चक्करपुर, (५) गृह औद्योगिक सोसाइटी, लोहाब, इत्यादि सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन के मामले रजिस्ट्रार इंडस्ट्रीज, कानपुर उत्तर प्रदेश के यहां विचाराधीन पड़े हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री रऊफ जाफरी—इटावा जिले की चार औद्योगिक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव इस समय विचाराधीन हैं । इन समितियों के नाम तथा रजिस्ट्रेशन प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख नीचे लिखी हुई है :—

(१) तेलघानी उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, पुरवा जैन, इटावा, १४-१२-५७,
(२) कुम्भकार गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, चकरपुर, इटावा, १४-१२-५७,
(३) रस्सी उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, पछायां गांव, जिला इटावा, १४-१२-५७,
(४) बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, खूबचन्द्र, जिला इटावा, २१-११-५७ ।

*४३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—रजिस्ट्रार इन्डस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश के यहां इस समय इटावा जिले की सोसाइटियों के कितने मामले विचाराधीन हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—चार ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन चार सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन का निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा तारीखों से मालूम है, इनके मामले रजिस्ट्रेशन के लिये आये हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, दिसम्बर और नवम्बर के हैं और जल्द तय हो जावेंगे ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अन्तिम प्रश्न में जो चार सोसाइटियां बतायी गयी हैं वे वही हैं जो पहले प्रश्न से संबंधित हैं या दूसरी हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—वही हैं ।

मऊ पावर हाउस, जिला आजमगढ़ की नवनिर्मित नाली व पुलियों के टूटने की शिकायत

*४४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मऊ पावर हाउस, जिला आजमगढ़ में लगभग ४० हजार रुपये की लागत की बनने वाली नाली एवं पुलियां जो अभी पूर्ण नहीं हो पायी थीं जुलाई सन् १९५७ के द्वितीय सप्ताह में साधारण वर्षा से टूट गयी हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, सिर्फ एक जगह नाली टूट गयी थी ।

*४५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्युत् गृह में बनने वाली उक्त नाली एवं पुलियों के निर्माण का ठेका किन-किन व्यक्तियों को दिया गया था तथा कितना-कितना रुपया उन्हें दिया जा चुका है ?

श्री रऊफ जाफरी--इसमें मांगी गयी सूचना नत्थी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३३ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो नाली टूटी उसमें सरकार का कितने रुपये का नुकसान हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी--७०० रुपये के करीब ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--जिस ठेकेदार को उसका ठेका दिया गया था क्या उसका पूरा भुगतान कर दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी--जितना-जितना ठेकेदारों को दिया गया है उसका ब्योरा नत्थी में दे दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--जिस ठेकेदार के ठेके में नाली टूटी क्या उसका भुगतान पूरा कर दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी--गालिबन भुगतान कर दिया गया है ।

विद्युत् कार्यालय, आजमगढ़ के अस्थायी कर्मचारी

*४६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् कार्यालय, आजमगढ़ में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं और क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी--हाइड्रोइलेक्ट्रिक डिवीजन, आजमगढ़ में कुल विभिन्न श्रेणी के १५७ अस्थायी कर्मचारी हैं । जिन पदों पर इन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है वह अभी अस्थायी हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या विद्युत् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १५७ अस्थायी कर्मचारियों में से कितने ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति १० साल से ज्यादा हुए, हुई थी ?

श्री रऊफ जाफरी--नोटिस की जरूरत है । यह फैसला हो चुका है कि यह डिवीजन परमानेंट कर दिया जायगा और १५७ में से करीब-करीब ९३ आदमी मुस्तकिल कर दिये जायेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उन्हें यह मालूम है कि उनमें से बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो दूसरे विभागों से लिये गये हैं और वह इस वक्त भी अस्थाई हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---चूंकि यह पूरा डिवीजन अस्थायी ही है, इसलिये उसमें जो होंगे वे भी अस्थायी ही होंगे ।

विधायक निवासों में युवक कांग्रेस डेलीगेटों का टिकना

*४७---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बतायेगी कि गत अक्तूबर २५ से तारीख ३१ तक विभिन्न विधायक निवासों में कितने युवक कांग्रेस के डेलीगेट टिकाये गये ?

श्री रऊफ जाफरी---युवक कांग्रेस के डेलीगेट्स को सदस्यों ने मुख्यतः अपने कमरों में टिकाया अतएव इनकी निश्चित संख्या देना संभव नहीं है ।

*४८---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सरकार बतायेगी कि विधायक निवासों के हाल आदि कमरे और बिजली पर इन आगन्तुकों के रखने में कितना खर्च हुआ और क्या इस रुपये को सरकार ने वसूल किया है या वह आइन्दा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी---चूंकि सदस्यों ने इनको अपने कमरों में टिकाया अतः उनसे कमरे और बिजली का खर्च लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता । कुछ डेलीगेट हाल में भी टिके । यद्यपि इनमें कितनी बिजली खर्च हुई इसका अलग हिसाब नहीं है परन्तु यह खर्च नाम मात्र होगा और इसे वसूल करनें का विचार नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि हाल में जो डेलीगेट टिके, वे किसकी इजाजत से टिके ?

श्री रऊफ जाफरी---माननीय सदस्य जानते होंगे कि विधायक निवास में टिकने आदि का इंतजाम माननीय सदस्य ही करते हैं । जिन लोगों के वह मेहमान रहे होंगे उन्होंने ही उनके टिकने का इंतजाम किया होगा ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि विधायक निवास में जो तमाम नया इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, कमरों के बाहर भी एनक्लोजर्स बनाये गये, उनमें भी बिजली फिट की गयी आदि, यह काम किसने कराया ?

श्री रऊफ जाफरी---वह भी जो इन्तजाम करने वाले थे, उन्होंने बनाये होंगे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि हाल किस माननीय सदस्य को एलाटेड है ?

श्री रऊफ जाफरी---हाल किसी को अलाट नहीं होता । कुछ लोगों को किन्हीं माननीय सदस्यों ने वहां पर टिका दिया था ।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि दूसरे माननीय सदस्यों के पास भी ऐसा सरक्यूलर भेजा गया था कि वे अपने कमरे खाली कर दें ?

श्री रऊफ जाफरी---सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं भेजा गया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में जो चाहे जिसको ठहरा सकता है या वहां किसी को ठहराने के लिये किसी की आज्ञा लेनी पड़ती है ?

श्री रऊफ जाफरी---हाल में टिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता । वह तो कामन रूम है । अगर माननीय सदस्यों में से कोई सो रहे तो यह भी नहीं किया जा सकता कि पुलिस के जरिये उनको वहां से जबरदस्ती हटाया जाय ।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, प्रश्न यह है कि हाल में डेलीगेट टिके हुए थे और वे किसकी आज्ञा से टिके हुए थे, वहां माननीय सदस्यों के सोने का प्रश्न नहीं है ?

श्री रऊफ जाफरी---सरकार की तरफ से उनको ठहराने की कोई आज्ञा नहीं दी गयी थी ।

सीतापुर जिले के अवध शुगर मिल्स, हरगांव में गन्ने की पेराई

*४९---श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले के अवध शुगरमिल, हरगांव के बन्द होने तक उसके एरिया का कितने मन व कितने क्षेत्रफल का तथा किन-किन गांवों में गन्ना किसानों के खेतों में इस वर्ष पेरने से शेष रह गया है और क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी---प्राप्त सूचनानुसार अवध शुगर मिल्स, हरगांव (जिला सीतापुर) ७ जुलाई, १९५७ को अपने सुरक्षित क्षेत्र का सभी उपलब्ध गन्ना पेर कर बन्द हुई थी ।

*५०---श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले गन्ना सीजन में अवध शुगर मिल, हरगांव ने कौन-कौन बाहरी एरियाज का और कितने मन गन्ना पेरा?

श्री रऊफ जाफरी---पिछले गन्ना सीजन में अवध शुगर मिल, हरगांव ने कुल १,२४.८८१ लाख मन गन्ना पेरा। इसमें बाहरी क्षेत्रों से खरीदे गये गन्ने का ब्यौरा इस प्रकार है:

जिला	केन्द्र	मात्रा (लाख मन में)
लखीमपुर खीरी	कुकरा	१.२०
	भीरा	०.५६
पीलीभीत	माला	०.०७
	योग	१.८३

*५१-५२---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---[पांचवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सीतापुर जिले के लिए नलकूप योजना

*५३---श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सीतापुर जिले में विशेषत: लहरपुर क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने व कहां-कहां ट्यूबवेलों की बनने की योजना थी तथा कितनों का वस्तुत: निर्माण हुआ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने व कहां-कहां नलकूपों का निर्माण विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सीतापुर जिले में ४८ नलकूप मिसरिख तहसील में ४७ और सीतापुर तहसील १ में बनाये गये और इनकी ग्राम सूची संलग्न है। वस्तुत: इस जिले के लहरपुर क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई राजकीय नलकूप नहीं बनाया गया।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सीतापुर जिले में अभी ९ नलकूप स्वीकृत किये गये हैं। इन में से ५ नलकूप मिसरिख तहसील में बन रहे हैं। जिनकी ग्राम सूची संलग्न है। शेष ४ नलकूप लहरपुर बिस्वां क्षेत्र में बनाये जायेंगे जिनका स्थान नियुक्त करने का कार्य विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २३४–२३५ पर)

मैनपुरी जिले के बेवर कस्बे में बिजली की आवश्यकता

*५४—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी क्या मैनपुरी जिले के कस्बा बेवर में इस वर्ष बिजली पहुंचाने की योजना सरकार के बिचाराधीन है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी नहीं।

टाउन एरियाओं को बिजली देने के संबंध में जानकारी

*५५—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने टाउन एरिया ऐसे हैं जिन्हें बिजली मिल रही है और कितने ऐसे हैं जिन्हें बिजली नहीं मिल रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५६—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—[पांचवे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

राज्य में नवीन इंजीनियरिंग तथा टेक्निकल कालेज खोलने की योजना

*५७—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार ने प्रदेश में शीघ्र कोई और इंजीनियरिंग अथवा टेक्निकल कालेज खोलने का निश्चय किया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी नाम की एक संस्था खोलने का केन्द्रीय सरकार ने निश्चय किया है। प्रदेशीय सरकार ने २ नये टेक्निकल डिप्लोमा इन्स्टीट्यूट खोलने का निश्चय किया है।

*५८—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कहाँ और कब से ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी कानपुर में खोला जायगा और डिप्लोमा इन्स्टीट्यूट में से एक बरली में और दूसरा झांसी में। इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी का कार्य आरम्भ होने में अभी दो वर्ष लग जायेंगे और बरेली और झांसी के डिप्लोमा इन्स्टीट्यूट्स सम्भवतः अगले वर्ष से कार्य आरम्भ कर देंगे।

रामगंगा के बांध पर अनुमानित व्यय

*५९—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रामगंगा में बनने वाले बांध पर कब से कार्य प्रारम्भ हुआ और कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री राममूर्ति---रामगंगा योजना पर विस्तृत छानबीन और डिजाइन का कार्य नवम्बर, १९५६ में प्रारम्भ हुआ था। बांध तक जाने वाली सड़क, और उसी पर रामगंगा नदी पर पुल और निर्माण कर्मचारियों के लिए बिल्डिंग्स बनाने का काम प्रारम्भ हो गया है। तृतीय योजना काल में इसके पूर्ण होने की आशा है।

*६०---श्री मुरलीधर कुरील---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस बांध में कितना रुपया खर्च होगा तथा किन-किन जिलों में कितना क्षेत्र सिंचित होगा ?

श्री राममूर्ति---१९४९ में बनाये गये प्रारम्भिक प्रोजेक्ट के अनुसार प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत (सिंचाई तथा विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए) २८.८८ करोड़ रुपये हैं। रामगंगा योजना पूर्ण होने पर ऊपरी गंगा, निचली गंगा, रामगंगा और आगरा नहरों के अन्तर्गत क्षेत्र (Commanded areas) में सिंचाई बढ़ायी जा सकेगी, निम्नलिखित जिलों में नये क्षेत्रों में सिंचाई की सुवधाओं का विस्तार किया जायेगा :

(१) अलीगढ़	(२) एटा
(३) मैनपुरी	(४) फर्रुखाबाद
(५) इटावा	(६) कानपुर
(७) फतेहपुर	(८) इलाहाबाद

आगरा नहर के अन्तर्गत (१) आगरा तथा (२) मथुरा जिलों में, रामगंगा नहर के अन्तर्गत (१) बिजनौर तथा (२) मुरादाबाद जिलों में सुविधा मिलेगी। अपर गंगा नहर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का जिलेवार ब्योरा अभी तय नहीं किया गया है।

*६१-६२---श्रीमती चन्द्रावती---[तीसरे बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ७५-७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कानपुर औद्योगिक आस्थान को सहायता

*६३---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर औद्योगिक आस्थान को अभी तक क्या वित्तीय सहायता प्रदान की गयी ? उस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता का आधार क्या है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---(अ) १९.८० लाख रुपया।

(ब) यह सहायता लम्बी अवधि के ऋण के रूप में दी गयी है जिस पर साढ़े चार प्रतिशत सूद की दर होगी।

*६४-६६---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---[बारहवें बृहस्पतिवार के लिए प्रश्न संख्या ३---५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कानपुर से उरई तक बिजली के खंभे लगाने पर व्यय

*६७---राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर से उरई तक लगाये गये बिजली के खम्भों के लगाने में कितना खर्च हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस कार्य पर २.०५ लाख रु० खर्च किये गये हैं।

हाथरस और सिकन्दराराऊ तहसीलों में वर्षा का पानी रुकने से फसल को हानि

*६८---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि इस वर्ष वर्षा के कारण तहसील हाथरस और सिकन्दराराऊ में किन-किन स्थानों पर नालों के पूर्ण निर्माण न होने के कारण पानी रुक गया है और कितने एकड़ भूमि की फसल बिलकुल नष्ट हो गयी है ?

श्री राममूर्ति—इस वर्ष वर्षा के कारण तहसील हाथरस तथा सिकन्दराराऊ में जिन-जिन स्थानों पर नालों के पूर्ण निर्माण न होने के कारण पानी रुक गया था और जितने एकड़ भूमि की फसल नष्ट हो गयी थी उसकी सूची निम्नांकित है :—

क्रम-सं०	तहसील	नाले का नाम	बाढ़ पीड़ित रकबा
१	सिकन्दराराऊ ..	बाडी ड्रेनेज कट ..	१० एकड़।
२	सिकन्दराराऊ तथा हाथरस ..	गोपालपुर ड्रेनेज ..	१,२५० एकड़ (सिकन्दराराऊ) ३२० एकड़ (हाथरस)।
३	सिकन्दराराऊ तथा हाथरस ..	इटरनी नाला ..	७५ एकड़। सिकन्दराराऊ—हाथरस

*६९-७०—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—[पांचवें सोमवार के लिए स्थगित किये गये।]

*७१—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[पांचवें सोमवार के लिए स्थगित किया गया।]

वाराणसी जिलान्तर्गत बरह तथा महुआरी परगनों के लिए सिंचाई की योजना

*७२—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी के परगना बरह तथा महुआरी के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है ?

*७३—यदि हां, तो कौन सी योजना है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बरह तथा महुआरी के लिए नयी नहरें धानापुर रजबहा से बन रही हैं। योजनायें निम्नलिखित हैं :—

	लम्बाई मील	फर्लांग	फीट
सकलडीहा रजहबा	१०	४	०
अमलाई माइनर	३	३	३६०
सलेमपुर माइनर	१	३	२८
इनायतपुर माइनर	२	६	४००
दरियारपुर माइनर	६	३	५८०
हनौती माइनर	१	५	४०
बिसौरी माइनर	१	६	२७०

मिर्जापुर जिले का जरगो बांध

*७४—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर का जरगो बांध इस वर्ष बनकर तैयार हो जायगा और अगले वर्ष पूर्ण रूप से चालू हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

गोरखपुर और देवरिया जिलों में घाघरा और सरयू के कटाव को रोकने के लिए प्रार्थना

*७५—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष गोरखपुर, देवरिया में घाघरा के कटाव को रोकने के लिए बाढ़ विभाग गोरख-

पुर ने कोई योजना सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—गोरखपुर देवरिया में घाघरा के कटाव को रोकने के लिए कोई योजना सरकार के समक्ष नहीं की गयी।

*७६—श्री उग्रसेन—डरवा (गोरखपुर) के दक्षिण सरयू की धारा की मोड़ को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है ?

श्री राममूर्ति—इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

*७७—श्री उग्रसेन—क्या सरकार 'बंडाल' (लकड़ी के ठोकर) द्वारा घाघरा के पानी के मुड़ाव को रोकने के लिए योजना पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

राज्य में नगरपालिकाओं को बिजली

*७८—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी नगरपालिकाओं को बिजली मिल गयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सूचना एकत्रित की जा रही है।

टाण्डा तहसील में रिबेट की शक्ल में बुनकर सोसाइटियों को अनुदान

*७९—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाण्डा तहसील में उस समय से जब से रिबेट की व्यवस्था हुई है अब तक कितना रुपया रिबेट की शक्ल में बुनकर सोसाइटियों को दिया जा चुका है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—३,१७,१८३ रुपया।

*८०—श्री देवीप्रसाद मिश्र—किस सोसाइटी को कितना रुपया मिला है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उक्त रुपया टांडा सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, टांडा को दिया गया।

*८१—श्री देवीप्रसाद मिश्र—क्या यह सरकार को मालूम है कि इन सब सोसाइटियों का रुपया एक ही सोसाइटी ने ले लिया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद में ट्रांसपोर्ट के काम पर लेखा-परीक्षा—आपत्ति

*८२—श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद में ट्रांसपोर्ट का काम ठेकेदारी ढंग से लखनऊ की तरह क्यों नहीं किया जाता जिसका आडिट आब्जेक्शन १९५५-५६ ई० की आडिट रिपोर्ट में भी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

ऐशबाग गवर्नमेंट प्रेस, लखनऊ में घास के ठेके का रुपया सरकारी खजाने में न जमा होना

*८३—श्री जवाहरलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ऐशबाग गवर्नमेंट प्रेस, लखनऊ में घास के ठेके के करीब १,००० रुपये के गबन को एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश के आडीटर ने सन् १९५६ में पकड़ा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं, ए० जी०, यू० पी० ने सन् १९५६ ई०की आडिट रिपोर्ट में केवल यही कहा था कि ऐशबाग प्रेस,लखनऊ में घास के ठेके से प्राप्त ७१६रु० सरकारी खजाने में नहीं जमा किया गया। इन ७१६ रु० में से ३६५ रु० कर्मचारियों के लिए की गयी खेल-कूद की व्यवस्था में खर्च किया गया और इसके लिए आवश्यक स्वीकृति दी जा रही है। शेष ३५१ रु० के लिए अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री से कहा जा रहा है कि वह इन्हें सरकारी खजाने में शीघ्र जमा कर दें।

*८४---८६---श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---[पांचवें सोमवार के लिए स्थगित किये गये।]

सारदा नहर की उन्नाव ब्रांच का धान लगाई के समय बन्द रहना

*८७---चौधरी खज़ानसिंह (जिला उन्नाव)---क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि उन्नाव ब्रांच (सारदा कैनाल) ३ सितम्बर, १९५७ को क्यों बन्द थी जब कि उपरोक्त ब्रांच पर धान लगायी हो रही थी और खेतों में पानी की जरूरत थी ?

श्री राममूर्ति---दिनांक २७ अगस्त से ५ सितम्बर, १९५७ तक अधिक वर्षा होने के कारण पानी की मांग खत्म हो गयी थी अतः उन्नाव ब्रांच दिनांक २९ अगस्त, १९५७ को बन्द कर दी गयी।

गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में बाढ़ विश्रामलयों पर व्यय

*८८---श्री रामस्वरुप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ विभाग, गाजीपुर की सैदपुर तहसील में कितने बाढ़ से बचाने वाले शेल्टर बने और प्रत्येक पर कितना-कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति---जिलाधीश, गाजीपुर की सलाह से सैदपुर तहसील में बाढ़ विश्रामालयों के निर्माण का निश्चय किया गया था, जिनकी प्रगति निम्न प्रकार है:---

(१) मालिकपुर पर बाढ़ विश्रामालय---लागत १०,००० रु०---कार्य पूरा हो गया है।

(२) सादत पर बहुमुखी बाढ़ विश्रामालय---लागत २५,००० रु०---जिलाधीश गाजीपुर से अभी हाल में ही भूमि प्राप्त हुई है। मौके पर ईंटे पहुंचा दी गयी हैं और टेंडर मांगे जाने के पश्चात् कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जावेगा।

(३) शादियाबाद और दुल्लाहपुर पर बाढ़ विश्रामालय---प्रत्येक की लागत १०,००० रु० जिलाधीश गाजीपुर से भूमि पूर्ण रूप से अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी है, फलस्वरूप कार्य अभी आरम्भ नहीं किया जा सका।

उपर्युक्त स्थायी बाढ़ विश्रामालयों के विपरीत १७ अस्थायी बाढ़ विश्रामालय---प्रत्येक की लागत १,००० रु० ---सन् १९५६ की बाढ़ के बाद ही सैदपुर तहसील में निर्मित किये गये थे उन ग्रामों के नाम, जिन में ये बाढ़ विश्रामालय निर्मित किये गये थे, निम्नलिखित हैं :-

(१) हरदासपुर
(२) घमरांव
(३) दोहरा
(४) बरहत
(५) अदिला
(६) कुंडिला
(७) हुरमुशपुर
(८) बिन्दराबन
(९) मझौली
(१०) कैथाउली
(११) सराय घनेश
(१२) मनिहारी
(१३) जोलहता
(१४) जाही
(१५) कौला जखनिया
(१६) कादीपुर
(१७) मथिया

पूर्वी जिलों में केन सेस की वसूली

*८९—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १९५५-५६ व १९५६-५७ में कितना केन सेस पूर्वी जिलों में अलग-अलग देय हुआ और उसमें अलग-अलग अब तक कितना वसूल हो सका है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्राप्त सूचनानुसार पूर्वी जिलों में १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में क्रमशः १३५.५८ लाख रुपया व १७३.१४ लाख रुपया केन सेस देय हुआ। इसमें से क्रमशः १११.२३ लाख रुपया व ६३.५९ लाख रुपया ३१ अक्तूबर, १९५७ तक वसूल हुआ। इसका विवरण संलग्न तालिका "अ" में दिया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २३६ पर)

*९०—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि १९५५-५६ के पहले का केन सेस कितना वसूल होने को बकाया था और वह अब तक कितना वसूल हो सका है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्राप्त सूचनानुसार १९५५-५६ के पहले का केन सेस ३० अप्रैल, १९५७ को ३३.९३ लाख रुपया वसूल होना शेष था। उसमें से ३१ अक्तूबर, १९५७ तक २३.७१ लाख रुपया वसूल हो चुका है। इसका विवरण संलग्न तालिका 'ब' में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २३७ पर)।

इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड सण्डीला, जिला हरदोई को राज सहायता

*९१—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५६ से ३१ अगस्त, १९५७ तक Weaving and Sale Society, Sandila, District Hardoi तथा Industrialist Co-operative Stores, Sandila, District Hardoi को किन-किन तारीखों में कितना कितना रुपया सब्-सिडी का सरकार से मिला ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उल्लिखित अवधि में इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, सन्डीला को सब्-सिडी दी गयी। सब्-सिडी की रकम तथा तारीख का विवरण यों है :—

रिबेट	इम्प्रूव्ड एप्लान्सेस	सेल डिपो के लिए अनुदान
रु०	रु०	रु०
२२८	१५३	४,९२५
१८-४-५६ को	२०-५-५७ को	१६-१-५६ को
		६,६५०
		२८-४-५६ को।

अतारांकित प्रश्न

इटावा जिले में इण्डस्ट्रीज तथा सेल्स टैक्स विभागों के अन्तर्गत क्लर्क

१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के इन्डस्ट्रीज विभाग में कितने क्लर्क हैं उनमें कितने बैकवर्ड तथा कितने परिगणित ह ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिला इटावा में इन्डस्ट्रीज विभाग के अन्तर्गत इस समय ६ क्लर्क हैं। इनमें कोई बैकवर्ड तथा परिगणित जाति का नहीं है।

२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में सेल्स टैक्स विभाग में कुल कितने क्लर्क हैं? उनमें कितने बैकवर्ड हैं और कितने परिगणित हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सेल्स टैक्स आफिस, इटावा में १७ क्लर्क हैं और उनमें से कोई भी पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति का नहीं है।

इटावा जिले की विधूना तहसील में चमड़ा व लोहा उद्योग के लिए कथित ऋण

३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधूना तहसील, जिला इटावा में चमड़ा व लोहा उद्योग को कितना कर्जा सन् १९५६ में सरकार से दिया गया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—विधूना तहसील, जिला इटावा में चमड़ा व लोहा उद्योग के हेतु १९५६-५७ में ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत किसी को ऋण नहीं दिया गया।

सराय शीसगरान, जिला इटावा में चूड़ी गृह उद्योग को बढ़ाने की आवश्यकता

४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार सराय शीसगरान (जिला इटावा) में चूड़ी गृह उद्योग बढ़ाने के लिए कोई योजना बना रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

इटावा जिले के नहर डिवीजनों के कर्मचारी

५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के दोनों नहर डिवीजनों में कुल कितने क्लर्क, वरकन्दाज, दफेदार, टंडैल, अमीन, पतरौल काम कर रहे हैं? इनमें कितने कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के हैं?

श्री राममूर्ति—इटावा के दोनों नहर डिवीजनों में क्लर्क, वरकन्दाज, दफेदार, टंडैल, अमीन, पतरौल का ब्योरा निम्नलिखित है :—

	कुल संख्या	परिगणित	पिछड़े वर्ग
क्लर्क	.. ..	१८	.. १
बरकन्दाज	.. ..	२८	१ ५
दफेदार	.. ..	८	.. २
टंडैल	.. ..	१९	.. ४
अमीन	.. ..	३६	१ ३
पतरौल	.. ..	१५८	९ १४

६-७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[पांचवें सोमवार के लिए स्थगित किये गये]।

इटावा शहर में चूना उद्योग बढ़ाने की आवश्यकता

८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इटावा शहर के चूना उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं ।

गोरखपुर, देवरिया तथा प्रदेश के अन्य भागों में पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव आया है कि "राज्य के गोरखपुर, देवरिया जिलों में तथा अन्य भागों में पुलिस की निष्क्रियता से जन जीवन अरक्षित हो उठा है।" इसमें कई जगह की चीजें दी हुई हैं कि कहां-कहां कौन सी घटना हुई। तो इस तरह से बहुत से वाकयात जो हैं, इकट्ठे मिला दिये गये हैं और एक विषय भी नहीं है। मैं इसको अनिश्चितता के आधार पर और बहुत से विषय एक साथ मिलाने के कारण अवैध करार देता हूं और मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद

श्री अध्यक्ष--अब मैं अविश्वास के प्रस्ताव को उपस्थित करने के लिये श्री राजनारायण को कहता हूं।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, इस प्रकार मेरा प्रस्ताव है कि "यह सदन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता के मौलिक अधिकारों को अपहरण करने, खास कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने वालों को कुचलने की जो गैर-जनतान्त्रिक नीति अख्तियार की गयी है, उस कारण मंत्रिमंडल पर अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

श्रीमन्, आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं वर्तमान मंत्रिमंडल पर अपने अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। जब यह अविश्वास का प्रस्ताव आपकी आज्ञा से सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत है तो इस अवसर पर मैं अपनी एक खुशी का इजहार और करना चाहता हूं, वह यह कि १० मई से जो सारे प्रदेश में प्रदेश की गरीबी, बेकारी को दूर करने के लिये, जनता को, उसके मौलिक अधिकारों को प्रदान कराने के लिये प्रान्तव्यापी आन्दोलन आरम्भ हुआ था सोशलिस्ट पार्टी की ओर से, तो १० मई को श्रीमन्, बनारस के बेनिया बाग में महारानी विक्टोरिया की मूर्ति हमारे प्रयत्न से हटायी गयी और टूट कर खंडित हो गयी। सरकार का आदेश था कि रानी विक्टोरिया की मूर्ति किसी भी कास्ट पर बचाई जाय मगर सरकार की यह इच्छा पूरी नहीं हुई और जनता के प्रबल सहयोग से रानी विक्टोरिया की मूर्ति हम ने हटाई और (मुकुट सदन में दिखा कर) यह मुकुट रानी विक्टोरिया का आपकी आज्ञा से सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में अर्पित करने जा रहा हूं। यह वही मुकुट है और यह वही काला कपड़ा है जिसको हमारे साथियों ने भेजा था और यह वही इटेलियन मार्विल का मुकुट है जो रानी विक्टोरिया को धराशायी करने के बाद हमारे पास आया था। आज कितनी भी अशान्ति हो मगर हम आज शान्त रहेंगे और जब आज यह अविश्वास का प्रस्ताव हम इस सदन में रखने वाले हैं तो मुझे एक बात की और खुशी है कि प्रस्ताव रखने के पूर्व मुझे आज एक ऐसे महापुरुष के दर्शन करने को मिले जिसका नाम डाक्टर राममनोहर लोहिया है। आज इस अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने के पूर्व मैं उनके दर्शन करके आया हूं। आज इन्हीं मौलिक अधिकारों को लेकर जो डाक्टर राममनोहर लोहिया की अर्जी सुप्रीमकोर्ट में लगी हुई है, उसी के ऊपर प्रिलिमिनरी डिसकशन के वास्ते आज २३ तारीख मुकर्रर थी .....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं कि आज जब मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश है तो माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में किताब पढ़ रहे हैं, यह कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं है, विषय से सम्बन्धित पुस्तक सदन में पढ़ना अवैधानिक नहीं है ।

श्री राजनारायण—परसों शाम हमारे पास एडवोकेट ने तार भेजा था कि डाक्टर लोहिया की रिट एप्लीकेशन लग गयी है और २३ तारीख को उसकी प्रारम्भिक सुनवाई होगी इसलिये जस्टिस दयाल के जजमेंट की कापी भेज दीजिये । यहां आने से पूर्व और यहां की कार्यवाही से पूर्व डाक्टर राममनोहर लोहिया कारागार से मुक्त भी हो गये । अब जो अविश्वास का प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में मैं सम्मानित सदस्यों के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने मौलिक अधिकारों का अपहरण कैसे किया और सरकार ने गैर-जनतांत्रिक प्रणाली कैसे अख्तियार की, इस पर आने के पूर्व मैं आपकी आज्ञा से उन तथ्यों को भी रखना चाहता हूं, जिनको मैं जनतांत्रिक समझता हूं और जनतन्त्र की परिभाषा, जो हमारे देश में या दुनिया के और मुल्कों में बड़े-बड़े विचारकों ने की है, करना चाहता हूं ।

पहली बात तो मैं महात्मा गांधी जी के बारे में कहना चाहता हूं, जिनकी सेवा में जिनके कदमों में बैठ कर, हम सबने राजनीति की शिक्षा ली थी और जिनके नेतृत्व में वर्तमान मंत्रिमंडल के लोगों ने भी काम किया है । गांधी जी ने १७ सितम्बर, सन् १९३४ को जनतन्त्र के सम्बन्ध में कुछ लिखा है । पहला वाक्य यह है—"नीति–भ्रष्टता और दम्भ लोकतन्त्रीय सरकार के अनिवार्य फल नहीं होने चाहिए, जैसा कि निस्सन्देह वह वर्तमान समय में हो रहा है । बड़ी संख्या लोकतन्त्र की सच्ची कसौटी नहीं है । उसके लिए आवश्यक है त्याग, सेवा" ये गांधी जी के वाक्य हैं ।

श्रीमन्, गांधी जी का एक वाक्य मैं 'यंग इंडिया' से उद्धृत करना चाहता हूं । गांधी जी ने कहा है, "असहयोग और सविनय अवज्ञा जनता के लिए सम्मानजनक और वैधानिक सक्रिय कदम है । जनता की चेतना को जाग्रत करने और उन्हें आत्म सम्मान तथा शक्ति का भान कराने के लिए यह उचित माध्यम है ।" आगे चल कर गांधी जी ने इस सम्बन्ध में "यंग इंडिया" में स्पष्ट कहा है कि अगर विधान सभाएं किसानों के हित की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हों तो निस्सन्देह उनके सामने असहयोग और सविनय अवज्ञा का सर्वोच्च उपाय रहेगा । अन्ततः अन्याय और दमन के विरुद्ध कागजी कानून साहसिक शब्दों और जोशीले भाषणों में नहीं वरन् अहिंसात्मक संगठन, अनुशासन और बलिदान में ही जनता की वास्तविक सुरक्षा है ।

श्रीमन्, गांधी जी को कोट करने के बाद मैं कुछ और विद्वानों की सम्मतियां सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

'what is Democracy' एक विद्वान् ने कहा है—मैं फिर इसका अनुवाद हिन्दी में कर दूंगा:—

"Democracy stands for peaceful method of political change and as such it stands for the right of the majority or the representatives of the majority to rule as well as the right of the minority to try by every peaceful means to convert the majority."

इसका सार यह हुआ कि जनतन्त्र इस बात को मान्यता प्रदान करता है कि राजनीतिक दर्शन में, जो बहुमत में हों या जो बहुमत के प्रतिनिधि हों, उनको शासन करने का हक है । मगर जो विरोधी हैं, जो अल्पमत में हैं, उनको अधिकतम अधिकार इस बात का होना चाहिए कि वह अपने को बहुमत में परिणत कर सकें यानी आज जो अल्पमत में हैं उनको शान्ति के साथ वह तमाम

[श्री राजनारायण]

तरीके अख्तियार करने का हक होना चाहिए जिससे वह वर्तमान बुनियाद पर चलने वाली सरकार को बदल सकें, अपने अल्पमत को बहुमत में परिणत कर सकें। फिर वही विचारक कहता है :—

"In a wider sense democracy is not just a peaceful method of political change, but a system representing the maximum possible opportunity for the individual to develop what is unique in him and to enrich society through the contribution of his creative uniqueness."

श्री अध्यक्ष—जब आप कोई चीज अंग्रेजी में पढ़ें.....

श्री राजनारायण—उसका अनुवाद.....

श्री अध्यक्ष—अनुवाद मत कीजिये लेकिन संक्षेप में खुलासा दीजिये।

श्री राजनारायण—जनतन्त्र ने इस बात की भी मान्यता प्रदान की है कि केवल जनता को या व्यक्ति को शान्ति के साथ शासन परिवर्तन करने का ही अधिकार नहीं है बल्कि जनतन्त्र इस बात की भी मान्यता प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति, उसके अन्दर जो गुण विशेष हैं, उनको अबाध ढंग पर विकसित कर सके और उसके बाद वह समाज को भी लाभान्वित कर सके। इसके बाद श्रीमन्, मैं और जनतन्त्र की कुछ विशेष बातें सदस्यों के सामने प्रस्तुत करूंगा :—

"Suppression of fundamental rights leads to tyranny and the loss of all other civil rights....."

अगर फंडामेंटल राइट्स को सप्रैस किया जाय तो फंडामेंटल राइट्स को सप्रैस करने वाली हुकूमत टिरनी को बढ़ावा देगी, वह अराजकता को बढ़ावा देगी और निश्चित रूप में उसका फल होगा नागरिक अधिकारों का हनन।

"On the other hand experience had proved the necessity of the consciousness and the constant practice of the fundamental rights if a free and democratic Government has to function effectively."

कहा गया है कि जो सरकार मौलिक अधिकारों का हनन करेगी उसके साथ अराजकता और आतंक फैलेगा। इसलिये आवश्यक है कि जनता सचेत रहे, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहे अगर किसी सरकार को सही तरीके से कार्य कराना है। तो उसी के साथ श्रीमन्, मुझे सुबह मालूम हुआ कि सरकार दो दिन से पता चला रही है कि डाक्टर राममनोहर लोहिया द्वारा रचित किताब सरकार के कुछ मंत्रीगण चाहते हैं। मैं चाहता था उन सबके पास भिजवा दूं।

आज भी अभी एक एस० एस० पी० यहां आये थे और हमारे माननीय देवनारायण भारतीय जी से डाक्टर लोहिया की किताब चाहते थे, अभी १०, १५ मिनट पूर्व। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी का कार्यालय पान दरीबा में है वहां से कृपया आप लोग मंगा लें।

अब श्रीमन्, मैं गांधी जी तथा अपने देश के और विचारकों की राय रखने के बाद जनतान्त्रिक प्रणाली और मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में थोरो को भी मत सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। थोरो एक बड़ा अमेरिकन राइटर है वह क्या लिखता है :—

"There will never be a really free and enlightened State until the State comes to recognize the individual as a higher and independent power from which all its power and authority is derived and treat him accordingly."

थोरो ने कहा है सही माने में कोई भी सरकार पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ और विकास के साथ कार्य नहीं कर सकती जब तक कि वह सरकार मानव की प्रतिभा को स्वीकार नहीं करती है और यह नहीं समझती है कि एक व्यक्ति भी सरकार से ऊंचा है जहां से इस सरकार को सब शक्ति मिलती है।

आगे भी श्रीमन्, कन्फ्यूशियस के दर्शन को आज कल चौधरी चरण सिंह बहुत पढ़ रहे हैं, इसलिये हमने सोचा कि उनके भी विचार डेमोक्रेसी के बारे में दिये जायं, वह कहते हैं कि :—

"If a State is governed by the principles of reason, the poverty and misery are subjects of shame."

कन्फ्यूशियस कहता है कि अगर कोई सरकार सही माने में रीजन के साथ चलती हैतो ऐसी सरकार के युग में गरीबी और मुसीबत लज्जा की बात है। मैंने इसके पूर्व भी निवेदन किया था कन्फ्यूशियस की चर्चा करते हुए कि जब वह जेल मिनिस्टर था, एक बार जेल देखने गया था उसने वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट से कहा कि जेल में मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो कि धनी हो, जो प्रभुता सम्पन्न हो, शिक्षित हो। इसलिए इनको जेल में बन्द करने की क्या आवश्यकता थी। यह तो गरीब हैं, अशिक्षित हैं। अगर समाज को सुधारना है तो इनकी गरीबी को दूर करो, इनकी अशिक्षा को दूर करो। इनको जेल में बन्द रखने से कोई फायदा नहीं है और उसने आर्डर दिया कि सब को छोड़ दिया जाय। हमने जेल से एक पत्र लिखा था, श्रीमन्। इस समय हमारे पास बहुत सी बातें हैं उनको मैं बाद में कहूंगा। गांधी जी, थोरो और अन्य जितने लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी के लिए, जनतांत्रिक सरकार की, आवश्यकता पर जो प्रकाश डाला है, मैं आपके द्वारा आज इस सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि क्या उन हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। एक-ए क करके सदन के सम्मानित सदस्यों की खिदमत में मैं उन बातों को रखना चाहता हूं। श्रीमन्, देखा जाय....

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विवादार्थ समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष—वह आपका समय नियमानुसार जो है वही रहेगा २५ मिनट.....।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह तो.....

श्री अध्यक्ष—इसलिए अगर आप अधिक समय चाहते हैं तो सदन से पूछना पड़ेगा।

श्री राजनारायण—मैं तो आप ही को समझता हूं कि आपको इतने अधिकार...

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, बात यह है कि रिजोल्यूशन का जो ढंग है वही चलेगा इसमें भी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, कहीं भी, न तो बिहार में, न मद्रास में, कहीं समय नहीं बंधा।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर इस वाद-विवाद में कोई समय न नियत किया जाय इसमें भाग लेने वालों के भाषण के लिए।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि समय का निर्धारण हो क्योंकि बहुत सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं और नियंत्रण थोड़ा सा अगर सदन कर ले तो उसमें यह सुविधा होगी कि जो लोग बहस में भाग लेना चाहते हैं उनको मौका मिल जायगा और नहीं तो यह होगा कि दो-चार, छः सदस्य बोल सकेंगे और वह दिन भर ले सकते हैं और मुझे नियंत्रण करने में भी अड़चन होगी क्योंकि अधिक समय कोई सदस्य जब बोलते हैं तो पुनरुक्ति बहुत होती है और सीमित समय में पुनरुक्ति करने की लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती। तो मैं तो यह उचित समझता हूं कि आप तय कर लें इस वक्त पहले ही क्योंकि २० मिनट के करीब प्रस्तावक का भाषण हो चुका है। मैंने इसलिए इशारा किया कि जिसमें मुझे एकदम से उनका भाषण बन्द न करना पड़े। तो कोई मूवर आफ दी रिजोल्यूशन क लिए आप समय का प्रस्ताव दीजिए और अन्य सदस्यों के भी लिए दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वैसे तो यही उचित समझता कि इस प्रस्ताव पर कोई समय न रखा जाय। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर सदन का मत यह हो कि कुछ नियंत्रण होना चाहिए, तो मेरा निवेदन यह है कि समय जैसा कि मोशन के लिए या प्रस्ताव के लिए होता है वैसा नहीं होना चाहिए, उससे कहीं अधिक होना चाहिए और मेरा सुझाव यह है कि मन्त्रिमंडल के सदस्यों और पार्टियों के नेताओं के लिए कम से कम तीस मिनट होना चाहिए और प्रस्तावक के लिए कुछ ज्यादा हो तो और अच्छा है और बाकी सदस्यों के लिए २० मिनट या १५ मिनट, जैसा सदन चाहे करे।

श्री अध्यक्ष---पन्द्रह मिनट होता है साधारण नियम के अनुसार।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---तो वह कम से कम २० मिनट कर दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि २५ मिनट तो मूवर को हो और नेताओं के लिए २० मिनट का समय रहे तथा बाकी सदस्यों के लिए १५ मिनट का और मिनिस्टरों के लिए भी २५ मिनट ही दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---२५ मिनट तो नियम में ही है। तो इसमें कोई विशेष समय देने का तो सवाल पैदा नहीं हुआ।

श्री राजनारायण--- श्रीमन्, मैं भी तो कुछ निवेदन कर सकता हूं इस अवसर पर? श्रीमन्, मैं निवेदन आपके द्वारा यह कर रहा हूं कि हमने बिहार, मद्रास और मध्य प्रदेश की प्रथा को जानने की कोशिश की और कहीं भी अविश्वास के प्रस्ताव पर समय नियंत्रित नहीं किया गया। यह इस सरकार क जीवन में पहला अवसर ह। इतने फंडामेंटल राइट्स पर विचार विनिमय करना है, यह कोई इंटरटेनमेंट के लिये अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। हम तो यह चाहते हैं कि अपने विनम्र निवेदन के द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में वे सब बातें रख सकें जिनकी वजह से हमको बार-बार जेल जाना पड़ता है। हमको कोई शौक तो ह नहीं। इसलिये हमको इसमें बांधिये नहीं।

श्री अध्यक्ष---मैं निर्णय कर चुका हूं कि कुछ न कुछ समय अवश्य निश्चित करना चाहिये। मैं आपको इसके लिये एक उदाहरण दे सकता हूं कि अगर आप ३, ४ घंटा भाषण दें दें और उसके बाद में ट्रेजरी बेंचेज में से किसी को भाषण के लिये बुलाऊं और वह कल तक बोलें या ३ रोज तक भाषण दें तो अन्य विरोधी दल के नेताओं को कोई मौका नहीं मिलेगा और वे बोल नहीं सकेंगे। वे अपने विचार कैसे जाहिर कर सकेंगे? अगर विरोधी दल यह चाहता है कि मूवर जो हैं वे ही प्रस्ताव पर ३, ४ घंटा बोलें और दूसरे सदस्य अपने विचार प्रकट न कर सकें तो बात दूसरी है, लेकिन इसमें मुझे शंका है। मैं तो सब के अधिकारों को सुरक्षिन रखना चाहता हूं इसलिये कोई नियंत्रण अवश्य होना चाहिये।

(मुख्य मंत्री को पुकारा गया)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन कर-देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---मैं माननीय मुख्य मंत्री को पहले बुला चुका हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय मुख्य मंत्री जो कहने वाले हैं उस सम्बन्ध में मैं पहले ही कुछ निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---मैं आपको भविष्यवादी नहीं समझता। आप कृपा करके बैठें। मैंन उनको बुला लिया ह।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण को बोलने का काफी मौका होना चाहिये। २५ मिनट का समय उनके लिये काफी नहीं होगा, इसलिये मेरा सुझाव है कि उनको आप ४० मिनट दे दें। दूसरी पार्टीज के जो नेता लोग हैं, जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने कहा है ३०, ३० मिनट का समय दे दें। तीसरे जब इधर से मंत्री लोग कोई बोलें तो मैं समझता हूं कि उनको ३०, ३० मिनट मिलने चाहिये। चौथे सदस्यों के लिये १५ मिनट से अधिक देना उचित न होगा, क्योंकि वक्त काफी नहीं है। आखिर में शायद मुझे बोलना हो। अगर आप उचित समझें तो कम से कम उतना समय तो मुझे जरूर दें जितना कि प्रस्ताव के पेश करने वाले को दिया जाय।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यही निवेदन करना है कि अगर समय निर्धारित होता है तो हमें यह मालूम हो जाना चाहिये कि वादविवाद कितने दिन चलेगा ताकि उस के मुताबिक हम अपने बोलने वालों की संख्या को नियमित और मर्यादित कर सकें। यह प्रश्न मैं कई दिन से उठा रहा हूं। मैंने लिख कर आपके पास भेजा है और ३ दिन की प्रार्थना की है और यह कहा गया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसका जवाब देंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से नहीं मिला है। मैं यही कहने वाला था कि अपना निर्णय देने के पहले उस बात पर विचार कर के बतला दिया जाय तो हमें सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री शनिवार के दिन नहीं आये थे तो यह बात आज के लिए निश्चित होने को रक्खी गयी थी कि कितना समय इस प्रस्ताव के लिये कुल दिया जायगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझसे किसी ने पूछा नहीं, नहीं तो मैं पहले ही निवेदन कर देता। यों तो मेरा ख्याल है कि जो विषय है उसको जितना भी व्यापक बना लें लेकिन काम की बातें बहुत थोड़े समय में कही जा सकती हैं। एक दिन इसके लिये काफी है। दूसरे राज्यों की मिसाल देना गलत है। दूसरी जगह गलत काम हुआ करता है तो हम उनकी नकल करें, यह हमारी शान के विरुद्ध है। लेकिन जब लोगों की इच्छा देखता हूं तो उसको देखते हुए दो दिन बहुत काफी हैं। दो दिन से अधिक समय सरकार के पास नहीं है। प्रदेश की जनता का समय है और उसका पूरी तरह से सदुपयोग होना चाहिये। बहुत से जरूरी काम हमारे सामने हैं।

(श्री त्रिलोकी सिंह का नाम पुकारा गया)

श्री राजनारायण---पहले एक बात मेरी सुन लें।

श्री अध्यक्ष---मैंने नेता विरोधी दल को पहले बुला लिया है।

श्री त्रिलोकी सिंह---इस सम्बन्ध में मैंने एक सुझाव ३ दिन के लिये दिया था और माननीय नेता सदन ने यह तजवीज की है कि दो दिन काफी होंगे। मैंने भी इस सम्बन्ध में कुछ लोगों से बात की थी और ऐसा मालूम होता है कि जो इस तरफ के बैठने वाले हैं उनकी राय में तीन दिन से कम नहीं होना चाहिये। ऐसी दशा में मैं आपके द्वारा माननीय नेता सदन से निवेदन करूंगा कि चूंकि इस वाद-विवाद का सम्बन्ध वराहरास्त उन्हीं से है और उनके मंत्रिमंडल से है, इसलिए वह भी इस पर राजी हो जायं कि बजाय दो दिन के तीन दिन इस पर बहस चलायी जाय। यों मै उनसे सर्वथा सहमत हूं कि जो कहना है वह ३ दिन क्या, दो दिन क्या एक दिन में कहा जा सकता है लेकिन चूंकि उसमें बहुत से माननीय सदस्य हिस्सा लेना चाहेंगे और हर एक के अपने अपने विचार का और फैक्ट्स को रखने का ढंग अलग होगा, इसलिये यदि तीन दिन इसमें समय कर दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमको यह निवेदन करना था माननीय नेता विरोधी दल से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि अगर बिहार की सरकार की त्रुटियों को तीन दिन रखने का समय मिला तो वह कोई गलत परम्परा नहीं थी। ४३० सदस्य हमारे यहां हैं .....

श्री रामनारायण त्रिपाठी (उपाध्यक्ष)---४३१ हैं।

श्री राजनारायण---एक उन को तो रहने दीजिये ...

श्री अध्यक्ष---आपका क्या मतलब है ?

श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय ने अभी कहा कि ४३१ सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त वह उपाध्यक्ष की हैसियत से नहीं कह रहे हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हम तो उनकी महिमा और गरिमा को बड़ाने वालों में हैं। श्रीमन्, इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा बहुत विनम्र होकर माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्हें सब क्रिटिसिज्म को सुनना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आपका प्रस्ताव क्या है ?

श्री राजनारायण---हमारा प्रस्ताव है कि पांच दिन से कम इस पर विवाद न हो। हमने पहले भी आप से निवेदन कर दिया है, मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन कर दिया है, माननीय बाबू त्रिलोकी सिंह से भी निवेदन कर दिया है और अन्य सदस्यों से भी निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष---आप बैठें। मैं आपको इंगलैंड की प्रथा के बारे में थोड़ा सा पढ़ कर सुना दूं, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से, जिसमें फिर इसके ऊपर विचार करके आप तय करें।

"*Votes of censure*—By established convention the Government never fail to accede to demand from the Leader of the Opposition to allot a day for the discussion of a motion expressing lack of confidence in the Government—a 'Vote of censure' as it is called. In allottng a day for this purpose the Government are entitled to have regard to the exigencies of their own business, but a reasonably early day is invariably found. Few sessions fail to provide examples of such motions."

तो यह कनवेंशन है --

"This convention is due to the recogn ized and responsible position of the leaders of the Opposition as a potential alternative Government—a position which guarantees the seriousness of such an interruption of the normal course of business. For their part, the Government have everything to gain by meeting such a direct challenge to their authority at the earliest possible moment." यानी गवर्नमेंट स्वीकार करती है प्रार्थना को कि एक दिन कोई अवश्य मुकर्रर कर दे। तो इसमे "ए डे" का मतलब मैं समझता हूं एक दिन से नहीं है कि एक ही दिन हो जाय, कोई दिन उसके लिए मुकर्रर होना चाहिये। तो दोनों तरफ मैं इसलिए यह इशारा करता हूं कि कोई इसमें जिद या अन्याय नहीं होना चाहिये। यदि आवश्यक हो और काम में हर्ज न हो तो एक रोज से अधिक समय बढ़ाया जा सकता है, वरना जैसा कि कहा गया एक ही रोज में सब कहा जा सकता है। तो इन सब बातों पर विचार करके माननीय मुख्य मंत्री जी राय देंगे। जब तक इसमें एक मत नहीं होता तब तक कोई समय इसके लिये मैं निश्चित नहीं करूंगा। एक मत होना चाहिये कि इतने रोज बहस हो नहीं तो जब तक प्रस्ताव पर बहस चले उसके लिये केवल वक्ता के समय

के लिये हद बांध दी जावेगी । जितने दिन तक सदन चाहे उतने दिन तक इस पर बहस होगी । जिस समय क्लोजर के लिये प्रश्न उपस्थित किया जायगा और स्वीकृत होगा उसी समय खत्म कर दिया जायगा । इसका तरीका यह होगा, अगर एक मत से नहीं होता है । माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी राय बतला दें ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अपनी राय को निवेदन कर दिया था और आपने जो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से सुनाने की कृपा की उससे मेरी राय को और भी पुष्टि होती है । उसके मुताबिक जो इस किस्म का प्रस्ताव है वह लीडर आफ दी अपोजीशन की तरफ से आना चाहिये । उनका एक बहुत प्रिविलेज का स्थान है और उसकी हमें कद्र करनी चाहिये ।

श्री राजनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर सर । श्रीमन्, हमारे यहां नियमों में लिखा है कि कोई भी सदस्य नो कांफीडेंस का मोशन ला सकता है । माननीय मुख्य मंत्री जी नियमों के विरुद्ध कह रहे हैं, जब कि इस तरह का प्रस्ताव आ चुका है, तो मैं समझता हूं कि उनका यह कहना ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---वह कोई प्रस्ताव नहीं लाये हैं, कोई सुझाव नहीं है वह तो अपनी राय बतला रहे हैं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर यह अविःवास का प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल की ओर से आया होता तो वह चीज लागू होती जो मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में लिखी हुई है । लेकिन वह प्रस्ताव उनकी तरफ से नहीं आया है । वह प्रस्ताव दूसरे सदस्यों की तरफ से आया है । उनका नाम तो समर्थकों की तरफ से है । ऐसी स्थिति में मुझे दो दिन कर देना काफी मालूम होता है ।

श्री अध्यक्ष---अगर दो दिन के लिये सदन निश्चय कर ले तो मैं उसको निश्चय समझूं और अगर एक मत नहीं होता है तो मैं सदन की राय ले लूंगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मे रा कहना यह है और मैं समझता हूं, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को तोन दिन मान लेना चाहिये । लेकिन अगर वह अपनी पार्टी के बहुमत से सब चीजें तय करना चाहते हैं तब तो वह हो ही जायगा, लेकिन मेरी उसमें सहमत नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष---बहुमत से मैं कोई निश्चय इस प्रस्ताव के समय के बारे में नहीं करूंगा । फिर तो यह रहेगा कि बोलने वालों के लिये समय निश्चित हो जायगा और जिस समय क्लोज़र मूव होगा और स्वीकृत होगा उस समय बहस खत्म होगी ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, जो बातें अभी तक कही गयीं हैं वह मुझे बड़े ध्यान से सुनने को मिलीं । मेरा अपना मत है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस विषय पर थोड़ी उदारता दिखाने की कृपा करें कि दो दिन के बजाय तीन दिन का समय दिया जाय । इस पर भी यदि माननीय मुख्य मंत्री जी और सदस्यगण हमारी इस प्रार्थना को मानने में असमर्थ होंगे तो मैं यह कहूंगा कि मेरी भी उसमें सहमति नहीं होगी, यों तो जो सदन का फैसला होगा उसे माना जायगा ।

(राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---अब इस बात को छोड़ दिया जाय क्योंकि इस संबंध में एक मत नहीं हो रहा है । बोलने वालों के लिये समय के संबंध में माननीय पालीवाल जी का प्रस्ताव यह था कि आध घंटा सब दलों के नेताओं को दे दिया जाय और जो प्रस्तावक हों उनको इससे भी अधिक समय दिया जाय । अधिक समय उन्होंने नहीं बतलाया कि कितना दिया जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी ने ४० मिनट कहे हैं । आप क्या चाहते हैं ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस विषय का संबंध उनके मंत्रि-मंडल से है, इसलिये यदि वह जरा उदारता दिखायें तो अच्छा होगा । इसलिये मैं उनसे और आप से भी प्रार्थना करूंगा कि अगर प्रस्तावक महोदय को एक घंटे का समय दे दिया जाय तो वह पूरा कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसमें उनको विशेष आपत्ति नहीं होगी । एक घंटा प्रस्तावक को, और अन्य पार्टीज के नेताओं को आध आध घंटा और आध घंटा मंत्रि-मंडल के सदस्यों के लिये और माननीय मुख्य मंत्री के लिये भी एक घंटा जैसा कि प्रस्तावक के लिये है । इसके साथ साथ अन्य सदस्यों के लिये वे १५ मिनट कहते हैं और मैं समझता हूं कि यह काफी होगा । इसका कारण यह है कि मुमकिन है कि बहुत अधिक लोग बोलना चाहें तो इससे अधिक समय देने से उसमें अड़चन हो जायगी ।

भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री ने अभी यह शिकायत की कि किसी ने समय पूछा नहीं तो मैं अब पूछ लूं । उन्होंने तीन दिन पहले कहा था कि दो दिन में बता दूंगा कि इस सदन की बैठक कबतक चलेगी और उसके बाद अधिवेशन कब प्रारम्भ होगा ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त तो सदन की बैठक २६ तारीख के बाद बन्द हो जायेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि २ जनवरी से फिर कुछ दिनों के लिये सदन की बैठक होना जरूरी होगा ।

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद (क्रमागत)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न आपकी सेवा में रखना चाहता हूं । वह यह है कि जब मैंने भाषण आरम्भ किया तब कोई समय नहीं था और करीब १५ मिनट जब मैं बोल चुका तब यह प्रस्ताव आया । तो यह प्रस्ताव वह १५ मिनट काट कर लागू होगा या उनको निकाल कर लागू होगा ?

श्री अध्यक्ष---आपको मैंने २० मिनट पर रोका था ।

श्री राजनारायण---घड़ी में २० मिनट थे मगर ५ मिनट तो ऐडजर्नमेंट मोशन पढ़ने में आपने ले लिये थे ।

श्री अध्यक्ष---अच्छा तो ४५ मिनट आपको और मिलेंगे । वैसे मैं २५वें मिनट पर आपको रोक देता, लेकिन मैंने सोचा कि शायद आप ज्यादा बोलना चाहें तो उसके लिये सदन की राय ले लूं । तो आप ४५ मिनट और बोल सकते हैं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में जनतंत्र क्या है और जनतंत्र में व्यक्ति की गरिमा क्या है इसको निवेदन किया । स्वराज्य, स्व माने खुद, अपना राज्य और अगर उसकी व्याख्या आगे करने हम चलें तो राज्य वही है कि सरकार ही सही माने में जनतांत्रिक प्रणाली वाली सरकार मानी जायगी, क्योंकि इसमें आगे चलकर के एक जगह हमारे मत की पुष्टि सभी ने की है, गांधी जी ने भी की है, मार्क्स ने भी की है और थोरो ने भी की है । पहले लोगों ने कहा-

"That Government is the best which governs the least"

यानी जो गवर्नमेंट कम से कम शोषण करती है वह अच्छी है । लेकिन थोरो ने उसमें ऐड कर दिया है :—

"That Government is the best which governs not at all."

इसी तरह से मार्क्स ने कहा है—

"The State will whither away."

गांधीजी ने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि किसान का बेटा प्राइम मिनिस्टर हो और जवाहरलाल जी उसके सलाहकार हों । इसी तरह लेनिन ने भी कहा है कि—

"Every cook must learn how to rule the State."

यानी प्रत्येक गृहणी को भी राजकाज की शिक्षा होनी चाहिये और उसको जानना चाहिये कि कैसे प्रशासन होता हैं । इन तमाम का लब्बोलबाब अगर देखा जाय तो यही होता है कि शासन की सत्ता विकेन्द्रित हो, केन्द्रित न हो ।

अब मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संविधान के मुताबिक फंडामेन्टल राइट्स क्या हैं । अगर कांस्टीट्यूशन के प्रीएम्बिल को देखा जाय तो उसमें लिखा है—

"सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान-सभा में आज तारीख २६ नवम्बर, १९४९ ई० को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।"

यह बिलकुल स्पष्ट लिखा हुआ है डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्ल में । उसके बाद फंडामेंटल राइट्स देखे जांय । हमारे माननीय सदस्य तीसरा खंड खोल लें, बारहवां अध्याय । हमको विधान के मातहत क्या मौलिक अधिकार दिये गये हैं वह इस में हैं । अगर इसको देखा जाय तो मालूम होगा कि जो अधिकार संविधान से हम को मिले हुए हैं उनका अपहरण इस सरकार द्वारा हो गया है । उन सबकी सुरक्षा मूल अधिकारों में संविधान के मार्फत हमको प्राप्त है । इसमें मैं सभी बातों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय बांध दिया गया है, मगर जो खास खास बातें हैं, जैसे समता का अधिकार आदि उनका मैं जिक्र करूंगा । १४ वीं धारा को देखिये, जिसमें लिखा है "भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायगा" । यह समता का अधिकार हमको संविधान द्वारा दिया गया है । इसके साथ साथ यह भी बिलकुल स्पष्ट कहा गया है कि अस्पृश्यता बिलकुल नहीं रखी जायगी । यह १७ वीं धारा में है, "अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है । 'अस्पृश्यता' से उपजो किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।" इसी के साथ-साथ धारा २३ को भी हमारे मंत्रिगण पढ़ लें, जिसमें मानव के पण्य और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है । इस में कहा गया है कि "मानव का पण्य और बेट बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।" इसी को साथ धारा २४ को देखा जाय उसमें है कि "चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान में नौकर न रखा जायेगा और न किसी दूसरी संकटमय नौकरी में लगाया जायगा ।" इसके बाद राज्य सरकार को इस संविधान के मातहत यह भी अधिकार दिया गया है कि वह पिछड़ी जातियों और हरिजनों को उनके उत्थान के लिये नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखने के लिये भी कानून बना सकती है ।

अब अगर इन तमाम मौलिक बातों को हमारे सदन के सम्मानित सदस्य देखें तो पायेंगे कि आज इस सरकार ने इन सब का अपहरण कर रखा है । क्या सदन इस बात को नहीं मानता कि १४ वर्ष की उम्र के नीचे के बालक भी हमारे प्रदेश में रिक्शा चला रहे हैं ? हमको मालूम है कि उनको बाध्य होकर रिक्शा चलाना पड़ रहा है, अपनी जीवन लीला को समाप्त करना पड़ रहा है । क्या आज इस सदन के सदस्य इस बात से परिचित नहीं हैं कि आज मानव का श्रम, जिसे अर्थशास्त्रियों ने पण्य के रूप में माना है, जबरदस्ती लिया जा रहा है ? चाहे आप मिलों में देखिये अथवा खेतों में,

[श्री राजनारायण]

हर जगह यही हो रहा है । 'वैल्यू इज दि क्रिस्टलाइजेशन आफ लेबर पावर' श्रम शक्ति साकार रूप में आती है पण्य के रूप में, लेकिन आज लेबर भी श्रम का रूप हो गया है । वह अपने श्रम को बेचने के लिये बाध्य किया जाता है, मगर उसको बेचने के बाद भी उसे पण्य का पूरा फल नहीं मिल पाता । वह कपड़ा बनाता है, कपड़ा पण्य है उसके श्रम का, उसका मुनाफा कहां चला जाता है, कौन ले जाता है ? आज कानपुर के श्रमिकों की हालत देखी जाय, हाहाकार मचा हुआ है । वह कपड़ा पैदा करते हैं, श्रम शक्ति लगाते हैं । श्रम शक्ति साकार रूप ग्रहण करती है कपड़े का । मगर वह कपड़ा जिस रूप को पाकर पूंजीपति और मिलमालिकों के मुनाफे का जरिया बना हुआ है उससे आज मजदूरों में बेचैनी है । श्रीमन्, हमारे इन मौलिक अधिकारों में इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक मानव को कानून के सामने समान माना जायगा, मगर आज इस सरकार ने जो तरीका अख्तियार कर रखा है उसमें जो धनशाली, वैभवशाली और पूंजीपति हैं उनके लिये कानून नहीं है । मगर जो गरीब हैं उनके लिये कानून का दुरुपयोग हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि कानपुर के मजदूरों को जो २, २ महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, म्योर मिल के मजदूरों को दो महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, तो उन मिलमालिकों को, चाहे वह बागला हो या सिंहानिया हो, हमारी सरकार ने जेल में बन्द क्यों नहीं किया ? मजदूर जेल में बन्द होता है मगर मिलमालिकों को जेल में नहीं रखा जाता, यद्यपि कानून मे इस बात को माना गया है कि अगर मजदूरों को समय पर तनख्वाह न दी जाय तो ३ वर्ष तक मिलमालिक को सजा हो सकती है । मगर सरकार को मुकदमा चलाना होगा । मगर इस सरकार की पुलिस मजदूरों पर डंडे चलाती है, उनको घसीटती है, उनके लिये ताला तोड़ती है और अहातों में घुस घुस कर मजदूरों को निकालती है । मगर वह पुलिस कभी उन मिल-मालिकों की तरफ इशारा भी नहीं करती है जो मिलमालिक गरीबों के खून पर पलते हैं । गान्धी जी ने, जिस समय काशी विश्वविद्यालय की नीव डाल रहे थे, कहा था कि यह जो इंटें लगी हुई हैं यह गरीबों के खून की द्योतक हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जो बड़ी-बड़ी गगनचुम्बी अट्टालिकाएं बन रही हैं, जो मिलमालिक वैभवशाली जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे कहां से धन प्राप्त कर रहे हैं ? क्या उनके पास जो धन है वह उन मजदूरों के शोषण का धन नहीं है ? क्या यह उन मजदूरों का शोषण नहीं है जिन गरीबों की सुरक्षा हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में की गई है ?

मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस संविधान में प्रत्येक नागरिक को किसी भी जाति-पाति का भेदभाव न मानने की बात मानी गयी है, मगर मैं आज सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आज शिक्षा विभाग में भी हरिजन विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के साथ खाना नहीं खा सकते हैं। हरिजनों को आज भी अछूत माना जाता है । मैं व्यक्तिगत बात इस समय नहीं कहना चाहता हूं, सिद्धान्त की बात मानकर यह कहता हूं कि जहां के वह प्रतिनिधि हैं, खासकर के हमारे एक मन्त्री महोदय, वहां हरिजनों को गांव में पानी भी पीने को नहीं मिलता है । क्या हर एक जिले के प्लानिंग कमेटी में बैठने वाले सदस्य भी इस बात को कह सकते हैं कि उनके जिलों में हरिजनों को गांवों में पीने का पानी मिल जाता है ? मैं समझता हूं कि उसका इन्तजाम नहीं हुआ है । मैं तो हर एक जिले में जहां जाता हूं वहां इस बात को पाता हूं कि हरिजनों को पानी पीने को गांव में नहीं मिलता है । अगर देश स्वतन्त्र है तो स्वतन्त्र देश में जो पहला काम होना चाहिये था, इस गान्धी जी का नाम लेने वाली सरकार के लिये ? वह हरिजनों के लिये पीने का पानी का सर्वप्रथम प्रबन्ध होना चाहिये था, चाहे दूसरा काम रुकता या नहीं ।

श्रीमन्, एक तरफ तो एयर कंडीशन्ड रेलवे के डिब्बे बनें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनें और दूसरी तरफ फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करने वाले नरकंकाल पड़े हो, जब यह हमारे देश की हालत हो तो श्रीमन्, तब मैं इस बात को कहता हूं कि जनता के हित के कार्य नहीं किये जाते । बैकवर्ड कमीशन संविधान के मुताबिक बिठाया गया और उस बैकवर्ड कमीशन

ने एक रिपोर्ट पेश की । उस रिपोर्ट में बैकवर्ड जातियों को उठाने के लिये कुछ अच्छी बातें हैं, यद्यपि सोशलिस्ट पार्टी का कार्यक्रम इससे भी आगे जाता है, मगर बैकवर्ड कमीशन रपट के जो सुझाव हैं और सिफारिशें हैं, आज हमारे सामने वे विद्यमान हैं, इनको देखा जाय तो इसमें इस बात को माना गया है कि उनसे कर नहीं लेना चाहिये । जमीन पर उनके अधिकारों का नियमन करने के लिये उसने सिफारिश की है । ज्यादा लगान उन जोतों से नहीं लेना चाहिये जिनसे पैदावार कम होती है । जितनी अधिक जमीन हो उसको लेकर गरीबों और बैकवर्ड में बांट देना चाहिये । यह बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट है । बैकवर्ड कमीशन ने बैकवर्ड विद्यार्थियों के लिये इस बात को माना है कि १,८०० रुपये से नीचे जिनकी आमदनी हो उनकी पढ़ाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये, उनके खानेपीने की व्यवस्था, इसी के साथ साथ बैकवर्ड कमीशन ने उनके लिये जमीन, उनके लिये नौकरियों में सुरक्षा उनके लिये पशु धन तथा और दूसरे साधनों के बारे में उनके लिये सिफारिशें की हैं । कमीशन बैठाने की बात भी कभी कभी इस सरकार की ओर से होती है, लेकिन जो कमीशन पहले ही बैठे हुए हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट जनहित में सरकार के सामने पेश की हैं, उनको सरकार लागू क्यों नहीं करती ? यह बात मैं आज ही नहीं कह रहा हूं । जेल में मैंने माननीय मुख्य मंत्री को इस बारे में पत्र लिखे, मिल कर उनसे मांग की कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट का वह हिस्सा जो उनका हित करने वाला है, उसको तुरन्त लागू किया जाय, यद्यपि सोशलिस्ट पार्टी के सुझाव उससे कहीं आगे हैं, इस पर भी जो लाभकारी हिस्सा है उसको लागू न करके इस सरकार ने अपनी क्रिमिनल नेग्लीजेंस दिखायी है ।

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ अस्पृश्यता निवारण का प्रश्न आता है, हरिजन मंदिर प्रवेश का प्रश्न आता है । आज से ७ दिन पहले बनारस की गलियों में क्या हो गया, यह मैं माननीय सदस्यों को आपके द्वारा बता देना चाहता हूं । उस हरिजन बालक के दांत तोड़ डाले गये, आखें काट डाली गयीं और ये अस्पताल में पड़े हुए हैं । उनका क्या अपराध था ? उनका केवल यही दोष था कि उसने सुना कि काशी में एक विश्वनाथ हैं, भूमिहारनाथ नहीं, कायस्थ नाथ नहीं, बल्कि वह समझता था कि वह तो विश्व के जितने रहने वाले हैं उनमें से प्रत्येक के नाथ हैं और इसलिये प्रत्येक को उसके दर्शन का अधिकार है और उसको यह हक विधान के अन्दर हासिल है और उसके इस हक की रक्षा सरकार को भी करनी चाहिये । रानी विक्टोरिया की मूर्ति की तो सरकार को इतनी फिक्र थी कि उसने आर्डर कर दिया कि किसी भी कास्ट पर उसकी मूर्ति भंग न होने पाये, लेकिन विश्वनाथ जी के दर्शन के लिये जो हरिजन जा रहे थे, उनकी सुरक्षा का सरकार ने कोई प्रबंध क्यों नहीं किया ? सरकार ने पहले से क्यों इतना प्रबंध नहीं किया कि जो लोग अपने को सनातनी कहने वाले थे, वे उन पर आक्रमण न कर पाते, आक्रमणकारी का रूप वे अख्तियार न कर पाते। बार बार निवेदन करने के पश्चात् भी आज हमारे देश में इस तरह के कार्य हो रहे हैं । इनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये, इन पर गंभीर विचार होना चाहिये और आज इस सरकार के संबंध में जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है, मुझे आशा है कि ट्रेजरी बैंचेज के लोग इसको पार्टी का प्रश्न न बना कर यह विचारेंगे कि यह मानव जीवन का प्रश्न है । आज मानव जीवन का स्रोत सूख रहा है, उसकी जिन्दगी का चिराग बुझ रहा है, इसको विचार कर वे इसको पार्टी का प्रश्न न मान कर विश्व कल्याण की भावना ही से इस पर वोट करेंगे । मैं यह अविश्वास का प्रस्ताव हरिजनों की सुरक्षा के लिये, पिछड़ी जातियों की सुरक्षा के लिये, सामान्य नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये रख रहा हूं । मुझे इस बात की हृदय से खुशी है कि जिस हुकूमत के द्वारा सारे देश के जन जीवन, नागरिक अधिकारों और जनतांत्रिक परम्पराओं को नष्ट किया जा रहा है, उस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये मुझे पहला अवसर प्राप्त हुआ है ।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि प्रस्ताव में जनता के मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे सविनय आवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने वाले लोगों के साथ जो गैर जनतांत्रिक नीति रीति अपनायी गयी है, उसकी चर्चा है । इसके संबंध में, इस सरकार द्वारा जो रीति-नीति अपनायी गयी है, उसके संबंध में मैं आप के सामने यह रखना चाहता हूं अगर उसको देखा जाय तो मैं यह

[श्री राजनारायण]

कह सकता हूं कि आज हमारे देश में कानून नहीं रह गया है, ला-लेस-नैस की स्टेट हो गयी है । मंत्रिजनों की इच्छा ही कानून के रूप में बदल गयी है । अगर हम भारत के कांस्टीट्यशन की १६, २० और २१ वीं धाराओं को देखें तो उसकी १६ वीं धारा में नागरिकों के अधिकारों का इस प्रकार से वर्णन किया गया है—

"सब नागरिकों को, (क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का; (ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का; (ग) संस्था या संघ बनाने का; (घ) भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का; (ङ) भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का; (च) संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का; तथा (छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अधिकार होगा।" ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, संविधान के मातहत। अब मैं पूछना चाहता हूं कि वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य से आप क्या समझते हैं ? क्या भाषण-स्वातन्त्र्य, वाक्-स्वातन्त्र्य में नहीं आता है ? सन् १६४० में जब व्यक्तिगत आन्दोलन हुआ था तो हम लोगों ने प्रत्येक भाग में लिखा था कि भाषण-स्वातन्त्र्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है मगर आज यह सरकार हमारे उस भाषण-स्वातन्त्र्य के अधिकार को छीन रही है और भाषण-स्वातन्त्र्य नहीं करने देती ।

श्रीमन्, मैं लखनऊ की एक साधारण सी घटना आपको बतला दूं । माननीय नेता विरोधी दल, श्री त्रिलोकी सिंह ने बड़ी कोशिश की और ४, ५ दिन तक लगातार प्रयत्न करने के बाद भी लखनऊ के अन्दर हमारी सभा नहीं हो पायी । क्यों ? इसलिये कि सिटी मैजिस्ट्रेट जब इजाजत देगा तभी अमीनुद्दौला पार्क में सभा हो पायेगी । सिटी मैजिस्ट्रेट के यहां जाने पर वह अपनी वर्दी लेकर गायब, फिर दोबारा जाने पर भी सिटी मैजिस्ट्रेट नहीं मिलते और मिले भी तो कह दिया कि इतनी जल्दी आदेश नहीं दिया जा सकता। इस तरह से जहां पर १४४ धारा का कानून हो वहां सरकार कभी संविधान के मातहत वाक्-स्वातन्त्र्य प्रदान कर सकती है ? अगर वाक्-स्वातन्त्र्य का कोई अर्थ है तो आज हमारे प्रदेश में, हमारे देश मे जो १४४ धारा है उसका निर्मूलन होना चाहिये । अगर वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य का कोई अर्थ है तो क्रिमिनल अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा ७ का निर्मूलन होना चाहिये । अगर वाक्-स्वातन्त्र्य का कोई अर्थ है तो दफा १०६, ११० और १५१ जो बनी हुई है उनको उठा कर फेंक देना चाहिये, जला देना चाहिये, तोड़ देना चाहिये ।

श्रीमन्, बहुत चर्चा है और वह चर्चा है एक केस को लेकर । क्या केस है ? जरा मैं पूछना चाहता हूं और मुझे कभी-कभी दुख भी होता है कि जिन बातों को हमने माननीय सम्पूर्णानन्द की खिदमत में बैठ कर पढ़ने, सीखने और देखने की कोशिश की, आज जब हुकूमत उनके हाथ में चली आयी तो वे सारी मान्यताएं और सारी विशेषताएं बिलकुल दूर हो गयीं । मुझे इस बात का बड़ा दुख है और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द द्वारा रचित पुस्तिका में भी इस बात को माना गया है, हिंसा और अहिंसा की विवेचना करते समय, कि जो सरकार तलवार के बल पर अपने को टिकाती है वह सरकार कैसे कह सकती है कि उसे हटाने वाली संस्था अहिंसक ही रहे । बराबर सम्पूर्णानन्द जी ने इसको माना है । मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब १० मई से सोशलिस्ट आन्दोलन होने की चर्चा सारे प्रदेश में गूंज रही थी तो क्या गोरखपुर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं कहा था कि आप इसको ऐज ए वार ट्रीट करेंगे ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस "वार ट्रीट" करने के स्लोगन को उठा कर कानून की मर्यादा को भंग करने का संकेत नहीं किया ?

श्रीमन्, क्योंकि समय बांध दिया गया है, मगर हमने काफी खर्च करके ये तमाम प्रदेश में जो जजमेंट हुए हैं, उनकी सर्टिफाइड कापीज मंगा रखी है । अगर इन जजमेंट्स को पढ़ा जायगा और देखा जायगा तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ थोड़ा समय और मुझे देंगे । क्रिमिनल अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा सेवन क्या है ? उस को पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि जो फैसला एक जज का हो गया, उस पर मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि उसी जज में से जस्टिस बेग का दूसरा फैसला है, उनके आबजर्वेशंस दूसरे हैं, जस्टिस मुल्ला के आबजर्वेशंस दूसरे हैं

और जस्टिस दयाल के तीसरे हैं । उनको मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हाफिज जी ने जो पढ़ा है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं और यदि उसको न भी सामने रखा जाय तो इस धारा को पढ़ा जाय कि यह धारा ७ क्या कहती है

(1) Whosoever—

(*a*) with intent to cause any person to abstain from doing or to do any act which such person has a right to do or to abstain from doing, obstructs or uses violence to or intimidates such person or any member of his family or person in his employ, or loiters at or near a place where such person or member or employed person resides or works or carries on business or happens to be, or persistently follows him from place to place, or interferes with any property owned or used by him or deprives him of or hinders him in the use thereof, or

(*b*) loiters or does any similar act at or near the place where a person carries on business, in such a way and with intent that any person may thereby be deterred from entering or approaching or dealing at such place,

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

इसमें एक्सप्लेनेशन और है उसको श्रीमन्, आप जरा ध्यान से सुनें कि—

"No Court shall take cognizance of an offence punishable under this section except upon a report in writing of facts which constitute such offence made by a police officer not below the rank of officer-in-charge of a police station."

आज श्रीमन्, जब मैं इस सदन के समक्ष खड़ा हूं तो इस सदन को मैं सब से बड़ा न्यायालय या कोर्ट मानता हूं और मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, सदन के माननीय सदस्य बतायें कि डाक्टर लोहिया २ नवम्बर को गिरफ्तार हुए थे और सब जानते हैं कि वह क्रिमिनल अमेंडमेंट ऐक्ट के सेक्शन ७ के मातहत गिरफ्तार हुए, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि प्रदेश के किसी दारोगा ने भी उस तारीख के पूर्व कोई रिपोर्ट दर्ज की . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप अविश्वास के प्रस्ताव के दायरे के बाहर जा रहे हैं । अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और आपने मेरे कमरे में बताया था कि उन्होंने अपील की है ।

श्री राजनारायण—ठीक है मैं उसे छोड़े देता हूं । प्रश्न यह है कि सातवां अमेंडमेंट ऐक्ट सन् १९३२ का है उसके मातहत क्या होना चाहिये ? अव्वल तो यह निकम्मा है और यह सन् १९३२ का लागू है । सन् ३२ में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आन्दोलन चल रहा था, जब शराब की दूकानों पर पिकेटिंग हो रहा था, जब विदेशी कपड़े की दूकानों पर पिकेटिंग हो रहा था, उस समय यह कानून बना था । इसको कुछ धाराओं को पढ़ने के बाद कोई कह सकता है कि यह कानून अब लागू किया जा सकता है सरकार और एक व्यक्ति के बीच में ? यह उस समय बना था जब कि किसी व्यापारी की दुकान पर कोई धरना देना चाहता था या उसके फेमिली मेम्बर्स को कोई रोकता था और इस बात पर मंत्रिगण सोचें कि इस कानून को उस वक्त ब्रूट्स ऐक्ट, असभ्य कानून कहा गया था और सन् १९३२में श्रीमन्, आपके द्वारा भी ऐसा ही कहा गया होगा । अगर वही कानून आज यह सरकार चलाये तो मुझे शमसी का वह शेर याद आता है कि—

"मुझे नफरत न थी अंग्रेज की कौमो सूरत से
मुझे जो कुछ भी नफरत थी वह थी अन्दाजे हुकूमत से ।"

[श्री राजनारायण]

अंग्रेज कोई गलत काम करता था और उसी को अगर यह वर्तमान हुकूमत करती है जो डाक्टर सम्पूर्णानन्द और श्री कमलापति त्रिपाठी की हुकूमत है और वह अंग्रेज के पदचिह्नों पर चलती है तो मैं कहूंगा कि यह सरकार अंग्रेजी सरकार की औलाद बन गयी है। अंग्रेजों द्वारा जो यहां खराब कर्म हुये और जो जनता को कुचलने वाले कर्म हुए, जनता के अधिकारों को खंडिन करने वाले कर्म हुये तो इस सरकार को अंग्रेजों की औलाद कहने की बात गलत न होगी और इसको मानना चाहिये अगर बुद्धि से बात की जाय तो। श्रीमन्, स्पेशल पावर्स ऐक्ट—हमारे संविधान में भाषण की स्वतन्त्रता, मिलने-जुलने की स्वतन्त्रता, देश के किसी भाग में जाने की स्वतन्त्रता यह बिल्कुल सुरक्षित है। मगर उसी के साथ कुछ अभी माननीय हाई कोर्ट के जजों ने भी इस बात को मान लिया है, अभी इसहाक इस्मी का फैसला किया गया, उसमें उन्होंने सम्मति प्रकट की है 'कि टु क्रिएट डिस्ऐफेक्शन ऐगैंस्ट दि गवर्नमेंट', यह भी जनता का फर्ज है, विरोधी का फर्ज है। यह डेमोक्रैटिक राइट है। क्या विरोधी का फर्ज यही समझ लिया है—टु क्रिटि, साइज दि गवर्नमेंट (to criticise the Government)? नहीं। टु डिनाउंस दि गवर्नमेंट (to denounce the Government)—यह भी हमारा फर्ज है। मैं जानना चाहता हूं कि आज सरकार के कोई मंत्री अपने कानून को सदन के समक्ष रखें, एक बात हर कानून में आ रही है कि इस कानून में कोई भी बात अगर विरुद्ध हो तो उसके बारे में न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकते। करीब-करीब सब कानूनों में यह धारा जुड़ी हुई है। यहां तक कि शिक्षा विधेयक में भी माननीय कमलापति त्रिपाठी ने यह धारा जोड़ दी है। यह क्या है? यह जनतन्त्र है? यह संविधान के सम्मान की सुरक्षा है?

आज न्यायालय के सम्मान की सुरक्षा करने वालों से मैं कहता हूं कि आज वह अपनी छाती पर हाथ रख कर पूछें कि क्या यह न्यायालय के सम्मान की सुरक्षा है? तो फिर कानून में एक धारा क्यों जोड़ी जाती है कि अगर इसके विरुद्ध कोई बात हुई तो न्यायालय में नहीं लाया जा सकेगा? न्यायालय के सम्मान की सुरक्षा ऐसे हो सकती है कि डाक्टर राममनोहर लोहिया को बांध कर ले जाया जाय और जबरदस्ती अंगूठा लगवाया जाय और वह श्रीवास्तव जिसको सात वर्ष के लिए जेल हुई है, जिसने चीटिंग किया, यहां पर रह रहा है जहां इनफारमेशन का दफ्तर है? इसको देखा जायगा तो मालूम हो जायगा कि आज हमारे प्रदेश में क्या धांधलियां हो रही हैं। अब श्रीमन्, मान लीजिये कि मैं किसी जगह जाता हूं और किसी भी सम्मानित व्यक्ति से कहता हूं कि यह स्थान गन्दा है, आप वहां मत जाइये, तो क्या यह वायलेंस है? क्या मैं उसको रोकता हूं? कदापि नहीं। किसी भी तरीके से इसको वायलेंस नहीं कहा जा सकता। मुझे भी सजा हुई १९ महीने की सरकार की दुलारी रानी विक्टोरिया के मुकुट को धराशायी करने के लिए। माननीय कमलापति भूल गये, जुरमाने की सजा को भी मिला कर १९ महीने जोड़ लिये। सम्मानित जज ने जो फैसला दिया वह हमारे पास है। सम्मानित जज ने लिखा है कि राजनारायण जी ने जो कुछ काम किया वह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर किया इसलिए इस तरह की सजा राजनारायण जी को देना गलत है। इसलिए मैं उनकी सजा को घटा कर केवल जितने दिन काट चुके हैं उतनी ही सजा रखता हूं। श्रीमन्, फैसले को...

श्री अध्यक्ष—सजा के बारे में आप टीका नहीं करेंगे, क्योंकि एक जज ने....

श्री राजनारायण—जज की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—वह तो सरकार ने सजा नहीं दी।

श्री राजनारायण—सरकार तो केवल इशारा करती है।

श्री अध्यक्ष—मैं उस चीज की इजाजत नहीं दूंगा। बात यह है कि कोर्ट तो कोर्ट ही है, चाह कुछ भी हो।

श्री राजनारायण---इसी तरह से हमने माननीय न्याय मंत्री की सेवा में पत्र भेजा। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी पत्र आये उनको सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष रखा जाय और उन पर विचार हो। श्री शारदा प्रसाद, श्री उदयनारायण और श्री बच्चनलाल इन सब की चार्जशीट और कोर्ट का फैसला यह सब न्याय मंत्री की सेवा में मैंने भेज दिया जेल से। मैं इसके बारे में इतना ही निवेदन करूंगा कि सेशन जज ने मान लिया है कि दफा १८८ के पहले पार्ट में तो बच्चन लाल जी को चार्ज शीट दी गई और वायलेंस की कहीं चर्चा नहीं हुई, न एवीडेंस हुई। फिर दफा १८८ के दूसरे भाग में ६ महीने की सजा और जुर्माना कैसे हो सकता है ? इसी बुनियाद पर सब को छोड़ दिया।

श्रीमन्, ३१ महीने की सजा प्रतापगढ़ में हुई...

श्री अध्यक्ष---आपका समय १५ मिनट और है और अब बाद में आप बोलेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

भुवाली सैनेटोरियम की परामर्शदात्री समिति तथा स्टेट हैल्थ बोर्ड के निर्वाचन में नामांकित सदस्यों द्वारा नाम वापस लेने के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---एक सूचना आपको देनी है कि भुवाली सेनेटोरियम ऐडवाइजरी कमेटी और स्टेट हेल्थ बोर्ड के सदस्यों की जो नामजदगी हो गई है उनके नाम वापस लेने की तारीख आज थी, लेकिन मेरे पास यह प्रार्थना आयी है कि उसको २६ तारीख की शाम को ३ बजे तक कर दिया जाय। वह प्रार्थना स्वीकार हो गयी है। इसलिए अब २६ तारीख की शाम को ३ बजे तक नाम वापसी के लिए समय रहेगा।

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद (क्रमागत)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अभी तक न तो माननीय मुख्य मंत्री यहां आये हैं, न गृह मंत्री हैं, इसलिए जब तक वे न आयें तब तक के लिए इसको स्थगित रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष---एक मिनिस्टर यहां हैं और आप जानते हैं कि कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है।

श्री राजनारायण---इस कैबिनेट में भी ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है, श्रीमन् ?

श्री उपाध्यक्ष---जब मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव है तो इसमें कोई आपत्ति आप नहीं कर सकते।

श्री नेकराम शर्मा---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। लंच से पूर्व माननीय राजनारायण जी ने अपने भाषण के सम्बन्ध में यह कहा था कि मुझे सजा हुई, तो माननीय अध्यक्ष ने यह कहा कि वह सजा जज ने दी, यहां उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। तो राजनारायण जी ने कहा कि गवर्नमेंट के इशारे पर सजा हुई। तो यह कंटेम्प्ट आफ दी जुडिशियरी है।

श्री उपाध्यक्ष---इसके सम्बन्ध में वह कार्यवाही मेरे सामने नहीं है। यह आपका जो प्वाइंट है उसको मैं विचाराधीन रखूंगा और कार्यवाही देखने के बाद उस पर निर्णय दूंगा।

न्याय उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में यह भी सूचना देना चाहता हूं कि मेरा कुछ ऐसा भी ख्याल है कि यह प्रिविलेज का भी प्रश्न हो गया है, क्योंकि इससे साफ तौर पर विधान की धारा २११ का उल्लंघन हुआ है, जिससे कि जुडिशियरी के सम्बन्ध में कोई ऐसी चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष—आप ऐसी लिखित सूचना दे दें। उस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री राजनारायण—पढ़ने-लिखने से अब कम काम रह गया है। मैं अब इसके बाद २० मिनट से शुरू कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अक्सर गड़बड़ी हो जाया करती है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं अपने सामने की घड़ी से काम करता हूं। १८ मिनट हैं। १५ मिनट आप और भाषण करेंगे।

श्री राजनारायण—हां, तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस सरकार में हमने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है वह सरकार हर माने में निकम्मी साबित हुई है। उस सरकार को अब किसी भी प्रकार से हुकूमत कायम रखने की जरूरत नहीं है और आज मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब वह हमारे पक्ष में वोट करेंगे तो जिस तरह से विक्टोरिया का क्रास और विदेशी शासकों की मूर्तियों को यह हुकूमत नहीं बचा सकी उसी तरह से अब इस "प्रस्ताव" के बाद वह अपनी हुकूमत को भी नहीं बचा पायेगी, यह हमारा निश्चित मत है, इसलिए वोट देने में कुछ डरें नहीं।

श्रीमन्, इस हुकूमत ने किस तरह का तूफान बरपा कर रखा है, मैं कहना चाहूंगा कि १० मई से जब आन्दोलन शुरू हुआ, तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक भाषण किया कि इसको हम वार, युद्ध, के स्तर पर लेंगे, इस विशुद्ध अहिंसक आन्दोलन को और उसी तरीके से तमाम जगह पर मैजिस्ट्रेसी ने कार्य किया है। मेरे पास एक नहीं अनेक फैसले हैं और उन फैसलों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, चाहे वह बनारस का हमारा फैसला लिया जाय, चाहे वह कानपुर का फैसला लिया जाय, चाहे वह प्रतापगढ़ का फैसला लिया जाय, चाहे वह लखनऊ का फैसला लिया जाय, तमाम जगह यह बात बिलकुल साफ हो चुकी है कि मैजिस्ट्रेसी जो यहां है वह बिल्कुल गवर्नमेंट के इशारे पर काम करती है।

श्री उपाध्यक्ष—इस किस्म की बात आपत्तिजनक है। आप कोई भी फैसला किसी मैजिस्ट्रेट का या हाईकोर्ट का या जज का अपने भाषण के समर्थन में कोट कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म के रिमार्क न्यायालयों के खिलाफ नहीं होने चाहिए।

श्री राजनारायण—हां, ठीक है। श्रीमन्, यह जो प्वाइंट आफ आर्डर उठता है यह मेरे समय से कट जायगा न?

श्री उपाध्यक्ष— जी नहीं, मेरी तरफ से जो उठता है वह नहीं कटेगा। यह आपकी त्रुटि से होता है।

श्री राजनारायण—मेरी कोई त्रुटि नहीं है। मेरा यह कहना है कि सरकार ने न्याय को स्वतंत्र नहीं रहने दिया है। उसने मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया है, न्यायालयों को अपनी मुट्ठी में कर रक्खा है, इसलिये सरकार पर हम अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं। ला कमीशन की रिपोर्ट आप भूल गये? ला कमीशन की रिपोर्ट देख ली जाय, जजों की नियुक्ति पर उसमें किस तरह से आक्षेप किया गया है। क्या हम उस बात को इस सदन में नहीं कह सकते?

श्री सुलतान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने अपनी तकरीर में यह कहा कि आप राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट को भूल गये। इस तरह से एड्रेस करना चैयर से किसी तरह से मुनासिब नहीं है। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री राजनारायण—राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट मैंने कभी नहीं कहा। ला कमीशन की रिपोर्ट कहा है।

श्रीमन्, हमारी मांग थी कि जुडीशियरी को एक्जिक्युटिव से अलग किया जाय। इस सरकार ने जुडीशियरी को एक्जिक्यूटिव से अलग नहीं किया और न्याय को कार्यकारिणी ने अपनी गिरफ्त में कर रक्खा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज न्यायालय कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिये एक एक प्रमाण गिनाने को तैयार हूं। डाक्टर राम मनोहर लोहिया का जबर्दस्ती अंगूठे का निशान लगवाया गया। बिना ऊपर के इशारे पर...

श्री उपाध्यक्ष---आप विषयान्तर हो रहे हैं। मैं व्यक्तिगत मामलों की इजाजत नहीं दूंगा। जनरल बात आप कर सकते हैं।

श्री रामानन्द सिंह---आज अंगूठे का निशान लिया जा रहा है जबर्दस्ती इस हुकूमत में तो इससे बढ़ कर नालायक और निकम्मी हुकूमत दूसरी कोई हो नहीं सकती। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आन्दोलन के दौरान में कमला राय की हत्या हुई। तार दिया कि इस्तीफा दो। पुलिस लाक अप में हत्या हुई। उनकी हत्या होने पर पोस्ट मार्टम किया गया, लेकिन लाश घरवालों को नहीं दी गयी। अपने विरोधियों को दबाने की आज इस सरकार ने साजिश सी कर ली है। यह सरकार इतने नीचे स्तर की है कि इसका जितना भी विरोध किया जाय थोड़ा ही है। १०७ का प्रयोग करके प्रान्तीय सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय पर छापा मारा गया और दफ्तर से वासुदेव सिंह, शमसी मीनाई, चन्द्र शेखर जी को गिरफ्तार किया गया। चन्द्रिका सिंह करुणेश जो उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूर्व प्रदेशीय मंत्री थे, घर जा रहे थे उनको रास्ते में गिरफ्तार किया गया १०७ के मातहत। यह कोई न्याय है? यह न्याय की कितनी दुर्व्यवस्था है? न्याय कांप रहा है, पनाह मांग रहा है और उसको कोई जगह नहीं रह गयी है। प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूर्व चेयरमैन रामचन्द्र जी शुक्ल को १ महीने की सजा में ५-६ जेलों में ट्रांसफार किया गया और जब गोरखपुर की हवालात में रख कर सीतापुर उनको ट्रांसफर किया गया तो लड़की भगाने का आरोप लगाया गया। इसी तरह बच्चन लाल जी को १८८ के पहले भाग में चार्ज शीट दी जाती है और उसके दूसरे भाग में सजा दी जाती है।

सारे देश में कई लाख जुर्माना हुआ और एक मिनट की देर नहीं हुई उसकी वसूली में। औरतों को बेइज्जत किया जाता है, सारे सामान को बेच दिया जाता है। यह कोई न्याय रह गया है? मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में न्याय कहां है। अगर कोई मैजिस्ट्रेट सजा करता है तो एक महीने का अवसर होता है अदालत के लिये उस अवधि में जा कर कुर्की करने का, लेकिन फौरन चीजों को नीलाम कर देना, घर में ताला डाल देना यह किसी सभ्य हुकूमत का काम है या असभ्य हुकूमत का काम है? इंसानियत पसन्द हुकूमत का काम है या शैतानियत पसन्द हुकूमत का काम है? यह प्रश्न आज सदन के सदस्यों के सामने है। रायबरेली के रामकृष्ण जी को १०७/११७ के मातहत गिरफ्तार किया गया। ११७, १४४ और १५१ दफाओं ने विधान की मर्यादा को संकुचित कर रक्खा है। जब विधान की इस प्रकार अवहेलना हो तो न्याय की आशा कैसे की जा सकती है? माननीय गृह मंत्री चकिया से आते हैं, मैं वहां की बात कहता हूं। चकिया के लाक-आउट में जहां मुश्किल से १५ आदमी रह सकते हैं वहां ३८ आदमियों को बन्द कर दिया गया। औरतों को घर से घसीट-घसीट कर के पुलिस लाती है और कहती है कि तुम अपने पतियों से कहो कि हम आन्दोलन में नहीं, बहक कर आये हैं तो हम उनको छोड़ देंगे। यह अनैतिक कार्य हुकूमत की ओर से हो रहा है। मैं श्रीमन्, आपसे कहना चाहता हूं कि चार्ज-शीट कुछ लग करके आई, कुर्की में बैल कुर्क किये जायं, कर्घे कुर्क किये जायं, गल्ला कुर्क किया जाय, यह किस हुकूमत का द्योतक है? न्याय पर चलने वाली का या अन्याय पर चलने वाली का? तिस पर भी कहा जाता है कि हम उनसे कुछ न कहें।

मेरा यह कहना है कि रामसिंह जी जो आगरा जेल में मारे गये, उसका औचित्य क्या है? कहा जाता है कि इमीडिएट कोई ऐबनार्मेलिटी उनके हृदय में नहीं मालूम हुई। वह तो मरने के बाद मालूम होती है। क्या जब वह मर जायगा तब मालूम होगी? जब कोई आदमी

[श्री राजनारायण]

मरता रहता है तब भी हुकूमत के पास रिपोर्ट देते रहते हैं कि अच्छी हालत है और जब मर जायगा तो कहा जायगा कि हमारे सामने कोई बात साफ नहीं थी। इससे बढ़ कर नालायकी का, असभ्यता का और बर्बरता का सबूत कोई दूसरा मिल सकता है ?

और देखा जाय श्रीमन्, रिमांड के सम्बन्ध में मैं जस्टिस बेग के आबजर्वेशन पढ़ना चाहता हूं--

"It is stated that the practice is not to cause any remand orders."

रिमैंड आर्डर्स पास करने की प्रैक्टिस ही नहीं है और गवर्नमेंट के ऐडवोकेट ने इसको हाईकोर्ट के अन्दर कबूल किया है। क्या यही न्याय है कि जहां कांस्टीट्यूशन में रिमांड की मर्यादा दी गयी है, २४ घंटे में अभियोगी को प्रोड्यूस करने की और कारण बताने की मर्यादा है और ऐडवोकेट गवर्नमेंट का कहता है कि सारे प्रदेश में ऐसी कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। संविधान की धारा २१ देखी जाय, जिसमें साफ कहा गया है कि किसी को भी कानून के मुताबिक ही सजा दी जा सकती है और कार्यवाही की जा सकती है, मगर यहां कानून प्रैक्टिस में ही बदल दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि इससे क्या अनर्थ होगा। यही नहीं, जहां पर दस्तखत करना होता है वहां पर इनीशियल्स कर देते हैं, दस्तखत को इनीशियल से बदल दिया गया।

इसी तरह से अगर देखा जाय तो इन्होंने जो विधान का सेक्शन १६७ है, और ३४४ जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराएं हैं, उनको भी अगर ठीक तौर से देखा जाय तो, वह विधान की मर्यादा को संकुचित करती हैं, भंग करती हैं।

यहां पर कुछ लायक दोस्त इधर-उधर की बातें कहते हैं और कहा जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा, मगर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि घाटमपुर में देवनारायण और उनके साथ ५ आदमी गिरफ्तार हुए, उनको पानी नहीं दिया गया और हथकड़ियां लगायी गयीं और चारों ओर दौड़ाया गया। इलाहाबाद में धर्मवीर गोस्वामी का जत्था गिरफ्तार होता है, उनको हथकड़ी लगाकर पैदल ले जाया गया और मांगने पर भी पानी नहीं दिया गया। सीतापुर में श्यामनारायण और ११ आदमियों को गिरफ्तार करके ५ घंटे धूप में रखा गया। मथुरा में टीकाराम पुजारी को भी हथकड़ी डाली गयी, वे विधान सभा के सदस्य हैं और फिर भी यह व्यवहार किया गया। यह सरकार ऐसे तूफान और आफत बरपा कर रही है। कचहरियों में जो मैजिस्ट्रेट हैं, यह बिलकुल बयान हमारा और हमारे साथियों का है और हमारे वकील श्यामसुन्दर सिंह ने कहा था कि जजमेंट बाहर से लिख कर आता है। कानपुर में क्या हुआ ? वहां पर मैजिस्ट्रेट नहीं आया, उसने जजमेंट अपने पेशकार से लिखवा कर भिजवा दिया अदस्थी जो भी वहां मौजूद थे। मैजिस्ट्रेट का कहीं पता नहीं। कितना झूठा और गन्दा काम इस हुकूमत की आंख के नीचे हो रहा है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। यह कानूनी लूट और न्याय की हत्या आज सारे प्रदेश में है। एकदम से कहीं कोई बात सामने आ नहीं पा रही है कि किस तरीके से अन्याय, जोर व जुल्म, बदअमनी इस हुकूमत ने बरपा कर रखी है, चारों तरफ देखने से पता चलता है।

गोरखपुर में लिया जाय, कानपुर में लिया जाय और सीतापुर में लिया जाय। कानपुर में प्रभूदयाल जी टंडन को पकड़ लिया गया और रामस्वरूप जी को एक मीटिंग में से पकड़ लिया गया और यह कह दिया गया कि वह हिंसक कार्यवाही कर रहे थे। यह सारी कार्यवाही जहां पर होती हो वहां पर सम्मानित सदस्य कहें कि एक्जीक्यूटिव जुडीशियरी से अलग न हो और एक्जीक्यूटिव जुडीशियरी पर हावी नहीं है, मैं इसको मानने के लिये कभी भी तैयार नहीं हूं। आज न्याय के सम्मान के लिये, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये और सरकार के बदमाशी के कामों को रोकने के लिये हम बड़ी से बड़ी कुरबानी करने के लिये तैयार हैं। श्रीमन्, आप जानते हैं कि दुनिया में जितने बड़े आदमी हुए हैं उन सबके साथ ऐसे काम हुए हैं। कोई मामूली बात नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---अभी हमारे माननीय सदस्य ने 'बदमाशी' शब्द का प्रयोग किया है तो क्या यह पार्लियामेंटरी है ?

श्री उपाध्यक्ष---लफ्जी माने इस शब्द के हैं कि बुरे तरीकों से रोजी पैदा करना। इसलिये अगर माननीय सदस्य इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। किसी व्यक्ति के लिये नहीं है। सरकार के लिये प्रयोग हो सकता है।

श्री राजनारायण---हम इनको कहां तक पढ़ायें, मालूम होता है कि नये मेम्बर होकर आये हैं।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इस अवध में जहां पर इतनी पराकाष्ठा पर अन्याय की सीमा पहुंच गई हो उसी अवध में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हर बड़े आदमी की दुर्दशा होती है। एक बड़े मर्यादित पुरुष थे जिनकी बड़ी चर्चा इतिहास में है, वह इसी अवध के रहने वाले थे, गरीबी की आवाज को बुलंद करने के लिये, अन्याय का मुकाबला करने के लिये, हिंसक प्रणाली को रोकने के लिये और अहिंसक प्रणाली को चालू करने के लिये अगर डाक्टर लोहिया के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाय और यह सरकार इतनी अमर्यादित हो जाय तो उसकी कल्पना करते हुये सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुझे इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं होता है।

रामचन्द्र जी की मर्यादा को दूसरे लोग नहीं समझ सकते थे अगर रामचन्द्र जी गद्दी छोड़कर बन वन घूमे न होते। इसी तरह से हमारे डाक्टर लोहिया साहब की मर्यादा को कोई नहीं समझ सकता था अगर वह जेल में इस तरह से कुर्सी पर जबर्दस्ती न लाये जाते और उनके अंगूठे का निशान न लगवाया गया होता और इतने पर भी वह मैजिस्ट्रेट अपनी जगह पर कायम है इससे ज्यादा और बेशरमी की क्या बात हो सकती है ? इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि ईसा के साथ क्या हुआ ? लोगों ने उसको शूली पर चढ़ा दिया। इसी तरह से महात्मा गांधी जी जो कि अहिंसा का प्रचार किया करते थे उनके साथ क्या हुआ ? उनको गोली का निशाना होना पड़ा। इसी तरह से हमारे डाक्टर लोहिया साहब को जनतंत्र प्रणाली की रक्षा में जेल की यंत्रणा भुगतनी पड़ रही है और भुगतनी भी चाहिये, क्योंकि किसी बड़े विद्वान् ने कहा है कि अगर सरकार अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी करती है तो न्याय युक्त लोगों की जगह जेल में है। इसीलिये आज लोग जेलों में जा रहे हैं न्याय करवाने के लिये, बेकारी को दूर करने के लिये, गरीबों की आवाज को बुलंद करने के लिये।

जो सरकार हरिजनों को ठोकर मारती है, जो सरकार किसानों पर गोली चलाती है, जो सरकार मजदूरों पर गोली चलाती है, जो सरकार विद्यार्थियों पर गोली चलाती है, जो सरकार बेकारी बढ़ाती है, जो सरकार गरीबी बढ़ाती है, जो सरकार चोर बाजारी बढ़ाती है, जो सरकार डकैती बढ़ाती है, वह सरकार अगूंठा का निशान लगाने की कोशिश कर सकती है और यह साजिश आज हमारे बरदाश्त के बाहर हो रही है। इसलिये श्रीमन्, मैं हर नुक्ते नजर से चाहे वह जेल विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे सहकारी विभाग हो, चाहे माल विभाग हो, आज हर विभाग में सरकार की तानाशाही है। आज एक आदमी के हाथ में ही सारे राज्य की बागडोर आ गयी है। चाहे वह सम्पूर्णानन्द जी हों, चाहे उनका कोई भूत बैठा हो। मुझे अंत में कहना यह है कि ब्रह्म सम्मेलन में लच्छेदार भाषण करने से अगर कोई यह चाहे कि सारे प्रदेश पर कुठाराघात कर दे तो उसको बरदाश्त करने के लिये हम तैयार नहीं है। आज कथनी और करनी में मेल होना चाहिये। जब तक कथनी और करनी एक नहीं होगी तब तक अच्छे-अच्छे शब्दों का प्रयोग बेमाने है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। और मैं इतना कहूंगा कि जिस प्रकार से हुक्म जाने पर भी सरकार विक्टोरिया की मूर्ति

[श्री राजनारायण]

बचा नहीं सको है उसी प्रकार से सरकार हमारी चोट से नहीं बच सकती है और यह सरकार खत्म हो कर रहेगी और जो करारी चोट हमने इस सरकार को मारी है उसमें हम कामयाब होकर रहेंगे ।

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री राजनारायण जी का प्रस्ताव और उनकी स्पीच को बहुत ठंडे तरीके से सुना और समझने की कोशिश की । मेरा ख्याल है कि सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव आज कितने ही अर्से बाद एक नयी घटना है और पहली घटना है । हो सकता है कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया मोड़ पैदा करने की कोशिश हो । किसी सरकार के अन्दर अविश्वास के प्रस्ताव का अर्थ है कि स्थिति इतनी गम्भीर हो गया है कि अब जो आखिरी हथियार है, यानी उस सरकार पर अविश्वास लाने का उसका प्रयोग किया जाय और इस नजर से जब मैं श्री राजनारायणजी की स्पीच को देखता हूं तो मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि उनके आज के परफ़ारमेंस ने उनके रोजाना के परफ़ारमेंस से बहुत मायूस किया । मेरा ख्याल है कि उनके लिये यह आज सेरीमोनियल परफारमेंस था और आशा की जाती थी कि उनके नार्मल परफ़ारमेंस से यह काफ़ी बड़ी-बड़ी और ज्यादा वजनदार चीज होगी । उस ख्याल से मैंने उसको आंकने की कोशिश की और मैं जो बातें उन्होंने कहीं पहले उनके ही बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा ।

मेरा ख्याल है और ईमानदारी से यह ख्याल है कि बहुत सी बातें वे कह सकते थे जिनको मेरे जैसे आदमी के लिये "न" करना बहुत मुश्किल हो सकता था । उन्होंने सरकार पर ऐसी बात लेकर हमला किया है जिस पर मेरा ख्याल है कि अगर कांग्रेस राज्य के अन्दर किसी चीज को इफ़रात है तो वह जिसे आजादी कहते हैं बोलने की, लिखने की, कहने की जिसके बारे में मेरा अपना ख्याल यह है और कभी-कभी मेरा दिल यह कहता है कि यह आजादी, स्वतंत्रता जिसे कहा जाता है इसका दुरुपयोग एक दिन इस देश और प्रदेश के अन्दर वे हालात न पैदा कर दें कि जो हालात जर्मनी के अन्दर सोशल डेमोक्रेट्स के जमाने में पैदा हो गये थे और जिसके कारण सोशलिज्म के नाम पर एक पार्टी का शासन हुआ और उसमें आ कर एडोल्फ़ हिटलर ने कहा--

"The Socialist Democrats were democrats to such an extent that they permitted the enemies of democracy to march triumphantly into Germany."

आज मैं यह कह सकता हूं और यह मेरी अन्तरात्मा की आवाज है कि इस देश के अन्दर आजादी का कितना दुरुपयोग हो रहा है । आजादी को सोशलिस्ट सिस्टम के अन्दर एक मात्रा होती है, कंट्रोल होता है, अनुशासन होता है और उसी दायरे के अन्दर काम करने की आजादी होती है । आज मुझे खेद है कि जिस बात के ऊपर राजनारायण जी इस सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं वह इस सरकार का सब से ज्यादा मजबूत प्वाइंट है । हो सकते थे और कमजोर प्वाइंट, मगर जिस पर वे हमला कर रहे हैं उसके बारे में मेरे दिल की आवाज है कि जिन बातों का उन्होंने दोषारोपण किया है वे बातें अपनी जगह पर ठीक नहीं हैं । मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वे गलत कहते हैं, ऐसी भाषा प्रयोग करने से कोई ज्यादा लाभ नहीं ।

उन्होंने अपनी स्पीच में महात्मा गांधी को कोट किया । इस देश में आज बड़ी मुसीबत है । गांधी जी का नाम हम सब बहुत बुरी तरह से लेते हैं और शैतान क्या और एन्जिल क्या सभी उसका प्रयोग करते हैं । गांधी जी के बारे में मैं अपने तरीके से कभी कोट नहीं करता हूं इसलिये कि आज उस महापुरुष का कोट करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोट किया जाता है तो मैं डेमोक्रेसी के बारे में जो गांधी जी ने कहा वह बताना चाहता हूं । उन्होंने कहा—

"Democracy is just like a barren and sterile woman. It will be a bad day if India accepts this pattern of parliamentary democracy."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह जो महात्मा गांधी को कोट करने वाली बात है वह मुनासिब नहीं लगती। गांधी जी खास-खास स्थिति में अपने विचार व्यक्त करते थे और हम सब उनके ऊपर नहीं चल रहे हैं। इसलिये उसके कहने से कोई ज्यादा लाभ की बात नहीं। डेमोक्रेसी की कोई डेफ़िनीशन नहीं है। यह सही बात है कि डेमोक्रेसी का रूप, उसका रंग बदल रहा है, उसकी परिभाषा बदल रही है, उसके सोचने का ढंग बदल रहा है।

डेमोक्रेसी पहले बोलने की आजादी तक ही सीमित थी। आज डेमोक्रेसी का दूसरा रूप आ रहा है कि सिर्फ बोलने की आजादी ही डेमोक्रेसी नहीं है जब तक कि सोशल और एकानामिक डेमोक्रेसी भी न हो और मैं कह सकता हूं कि इन बातों की तरफ अगर वह ध्यान दें तो बहुत से लोग मिलेंगे कि जो सच्ची डेमोक्रेसी चाहते हैं। मुझे यह कहते हुए जरा भी हिचक नहीं होती कि आज जिस डेमोक्रेसी का चर्चा होता है रोज वह सच्ची डेमोक्रेसी नहीं है। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में पली हुई डेमोक्रेसी कायम है उसके जरिये से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके जरिये जाने की कोशिश कर रहे हैं, इवाल्व कर रहे हैं ऐसी डेमोक्रेसी का पेटर्न कि जो आर्थिक, सामाजिक और डेमोक्रेसी के दूसरे सिद्धान्तों को बढ़ा सके। इसलिये डेमोक्रेसी की कोई आखिरी डेफिनीशन नहीं है। उस के ऊपर अमरीकन राइटर्स को कोट करना या ब्रिटिश राइटर्स को कोट करना प्रगति का चिह्न नहीं है। वह हमारे माइण्ड की अकर्मण्यता को बताती है। ब्रिटेन के एक बड़े विद्वान् हेराल्ड लास्की ने लिखा है :—

"The real test for British democracy has now come. It is to be seen whether our institution and system of democracy survives the new crisis and fulfils the new demands."

मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि डेमोक्रेसी को लाने के लिये हम सबको मिलकर एक ऐसी आबोहवा पैदा करनी होगी कि जिसके अन्दर लोगों को बोलने की, काम करने की, लिखने की आजादी हो और लोग आजादी को ठीक तरह से प्रयोग कर सकें। इसलिये मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि हम यह आशा करते थे कि आज के दिन जब कि उन्होंने अपना आखिरी अस्त्र वोट आफ नो कांफीडेन्स चलाया है, वह कुछ संजीदगी की बातें कहेंगे, जो रोजाना नहीं होती हैं। अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दमन आदि जो बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, उनके वाकयात पेश करेंगे और यह बताने की चेष्टा करेंगे कि अब ऐसी स्थिति पहुंच गई है कि जिसमें सिवाय अविश्वास के हमको कोई चारा नहीं रह गया है। मुझे खुद ताज्जुब हुआ यह मालूम होने पर कि उनके मस्तिष्क पर अपने सत्याग्रह और डाक्टर लोहिया का बड़ा असर है, उनके महान् व्यक्तित्व का बड़ा असर है। मैं व्यक्तित्व की बहस में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं पर्सनालिटी कल्ट की बात को मुनासिब नहीं समझता और यह चीजें सोशलिज्म और डेमोक्रेसी की तरफ नहीं ले जातीं।

साथ ही जिस सत्याग्रह का उन्होंने जिक्र किया उसके बारे में मेरा अपना खयाल यह है कि जिस आधार पर उन्होंने अपना सत्याग्रह किया था कि हमारे प्रदेश की जितनी मूर्तियां हैं उन सबको हटा दिया जाय, उसे मैं एक बड़ा रिएक्शनरी स्टेप समझता हूं। जो मूर्तियां थीं वे कान्टीन्यूइटी आफ हिस्ट्री को जाहिर करती थीं। यह सवाल नहीं है कि मल्का विक्टोरिया से हम को प्यार है या नफरत? सवाल यह था कि क्या इस देश के लोग उन तमाम चीजों को मिटा देना चाहते हैं कि जो एक हिस्टारिकल रियलिटी हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि देश के अन्दर इम्पीरियलिज्म आया और उसका भी एक हिस्टारिकल डेवलपमेंट है और अगर हम उन सब चीजों को मिटा देना चाहते हैं कि जिनसे इस सब की पहिचान होती है तो मैं कहूंगा कि वह प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है।

मैंने सोशलिस्ट दुनिया भी देखी है। आज भी जार की जितनी चीजें उसके स्थान से वाबस्ता थीं, सोशलिस्ट दुनिया के लोग उन सबको प्रिजर्व करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। इस हिस्टारिकल कंटिनुइटी को वे लोग प्रिजर्व करते हैं कि हम इस दौर में गुजरे और आज

[श्री गोविन्द सहाय]

हम इस दौर में आये। यह राय मेरी उनके सत्याग्रह के बारे में है। सेण्टीमेंट के तरीके से यह बात अच्छी लगती है और सबसे खुशी की बात तो यह है कि मल्का विक्टोरिया की आखिरी कलगी, जिसे यह सरकार बहुत प्यार करती थी, आखिर में आपके हाथ लगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको इतिहास की कंटीन्यूइटी से जरा भी प्रेम है तो उसे आप वापस कर दें ताकि वह बेशकीमती चीज रिप्रेजेण्ट करती रहे। उस चीज का वापस करना ही उचित होगा। उनके सारे भाषण में जिस संजीदगी से वह इस नो कांफीडेंस के मोशन को लाये हैं, उसका प्रभाव कहीं दिखायी नहीं देता।

कुछ बातें सही हैं। यह बात सही है कि हमारे कांस्टीट्यूशन ने इक्वेलिटी को कबूल किया है। इक्वेलिटी होनी चाहिये। हर एक आदमी को बढ़ने का पूरा मौका होना चाहिये। इसको कैसे लाया जा सकता है, इसके ऊपर विवाद हो सकता है और एक दूसरा समझ भी सकता है, क्योंकि यह काम महज सरकार के द्वारा होने वाला नहीं है। यह एक सोशल रेवोलूशन का काम है जिस को मिलकर किया जा सकता है, यह महज कानून पास करने से नहीं होता है। उसको करने के लिये जितने भी पोलिटिकल लीडरान हैं, चाहे वे इधर के हों या उधर के हों, दोनों को मिलकर अपने दिल व दिमाग को तैयार करना पड़ेगा। आज इस देश के अन्दर करोड़ों ऐसे इन्सान हैं जो इस बात में यकीन करते हैं कि ईश्वर ने किसी को ऊंचा बनाया है और किसी को नीचा। सरकार यहां कानून पास करके यह काम नहीं कर सकती है। कोई नीचा बना है और कोई ऊंचा बना है तो जनता के इस खयाल को मिटाने के लिये और जनता के इस खयाल को हटाने के लिये हमको सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा। उसकी तरफ कदम उठाना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कि यह काम अगर उनकी नजर में इधर से कम हुआ है तो मेरा यह खयाल है कि आपोजिशन भी इससे बच नहीं सकता है।

आज तरह तरह की बातें कास्टीज्म के बारे में कही जाती हैं। आज कास्टीज्म सारे देश के अन्दर व्यापक है। कास्टीज्म, चाहे इधर के हों या उधर के सब पोलिटिकल पार्टीज के लोगों पर भूत की तरह से सवार हो जाता है। मैं कह सकता हूं कि बमुकाबले कांग्रेस में इतना नाम इसके लिये आता हो दूसरी जगह ज्यादा इसका नाम आता है। हमारे देश में सोशल रेवोलूशन की आवश्यकता है जो सब को मिलकर करना चाहिये। महज इतना काफी नहीं है कि इधर के लोग नहीं करते हैं। इस तरह से जो कुछ यहां साबित करने की कोशिश की जाती है वह नहीं होती है बल्कि उसका महत्त्व और कम हो जाता है। मैं उनसे कम कास्टीज्म की बात को महसूस नहीं करता हूं। मेरा विश्वास है कि यह बातें नहीं होनी चाहियें और अगर व्यापक तौर पर हो रही हैं तो यह वाकयात सामने लाने चाहिये। मैंने इस नजर से उनकी स्पीच को सुना और मैं तवक्को करता था कि उनकी स्पीच के अन्दर इस तरह से कहा जायगा। लेकिन उनकी तरफ से इस प्रकार आर्गनाइज्ड तरीके पर कोशिश हुई है कि छोटे-छोटे बच्चों से जो काम कराया जाता है वह न कराया जाय। समानता के विचार से जो प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है अपनी उन्नति करने का उसका वायलेशन हो रहा है उसके लिये उनकी ओर से कोशिश हो रही है कि ऐसा न किया जाय, लेकिन वे अपने सत्याग्रह और सत्याग्रहियों के ऊपर जो कुछ जिलों में १४४ दफा लगायी गयी और उनके खयाल से जो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, अपनी स्पीच के उस दायरे को तोड़ नहीं पाये।

इसलिये मैं कह सकता हूं कि आज जो यह अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं, उसके पेश करते समय वह अपनी स्पीच में ऐसे वाकयात को बतायेंगे जिससे हम लोगों को पता चले कि क्या वाक़ई ऐसी स्थिति आ गयी है। मेरा खयाल है कि आज उन्होंने जिस तरीके को बरता है उससे न वह स्वयं इन्कार करते हैं और न उन्होंने सच्चे माने में जनतंत्र को बढ़ाने के लिये लोगों को प्रेरणा दी है, बल्कि इस प्रस्ताव को लाकर ऐसे विषाक्त वातावरण को पैदा करने की कोशिश की है जिससे नुक्सान हो सकता है, लाभ नहीं हो सकता है। इस प्रस्ताव का

दायरा बहुत सीमित है । इसका अटैक सिर्फ इन बातों तक ही आया है कि स्वतंत्रता का हनन हो रहा है या उसका ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है । मेरे खयाल में इन बातों पर सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाना सत्य के साथ ज्यादती करना होगा और सत्य के यह बिलकुल प्रतिकूल है । मेरी अपनी यह शिकायत है कि कांग्रेस राज्य के अन्दर अगर सही मानों में चार्ज लगाया जा सकता है तो वह यह लगाया जा सकता है कि इस राज्य में हर एक बात की ज्यादा आजादी मिली हुई है । मैं समझता हूं कि जो उनके चार्जेज हैं उन्होंने उनको किसी दृष्टि से भी बताने की कोशिश नहीं की । इस प्रस्ताव के जरिये एक ऐसा विषाक्त वातावरण पैदा करने की कोशिश की जिस से सब लोगों का ध्यान उधर जाय कि आज अविश्वास का प्रस्ताव यहां पर हो रहा है । इसके साथ-साथ उन्होंने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करके उसकी इम्पार्टेन्स कम कर दी है । इसके बरअक्स मैं यह समझता हूं कि जो कोशिश उचित व्यवस्था को रखने के लिये हो सकती है उसके लिये उतने कदम उठाये गये । सरकार अपनी तरफ से जो भी कर सकती थी और जो कानून बना सकती थी वह बनाये गये । अगर कहीं पर कोई कानून तोड़ा जाता है तो उसकी वह रक्षा करती है । अगर कोई किसी मन्दिर में नहीं जाने दिया जाता है और कानून उसके पक्ष में हो, सरकार की ओर से काफी सक्रिय कदम इसके लिये उठाये गये हैं जिनके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । हमें ऐसी बातें और काम करने चाहियें जिनसे हर आदमी को बढ़ने का अवसर मिले । यह एक अच्छी आबोहवा पैदा करने से ही होगा । बस यही मुझे कहना है ।

श्री राजनारायण--मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । माननीय गोविंद सहाय जी के भाषण से मालूम होता है कि वह कहते हैं कि हम इतिहास को विकृत कर रहे हैं और उनके सुझाव के बारे में मैं उनकी सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि इस मुकुट और काले कपड़े के बारे में हमने सरकार को चिट्ठी लिखी थी । जो कुछ वह चाहते हैं वह हम कर चुके हैं । सरकार को हमने कह दिया है कि जहां विक्टोरिया की मूर्ति रखी है वहां पर ये भी रख दिये जावें ताकि मालूम हो कि सोशलिस्ट पार्टी ने १० मई को समारोह में यह भी किया । मैं इस काले कपड़े और मुकुट को सरकार के पास भेज देता हूं ।

*श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजनारायण जी के प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं । मुझे इस सरकार में विश्वास नहीं है । इस सरकार के पीछे जिस पार्टी का हाथ है, जिस पार्टी की यह सरकार है, उस पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान में जो वायदे जनता से किये थे और वचन दिये थे उनका एक एक करके सरकार ने खण्डन किया । जब मैं लाहौर, फैजपुर और हरिपुरा कांग्रेस के प्रस्तावों को देखता हूं, उनमें दिये गये वचनों को याद करता हूं और जब मैं सोचता हूं कि उन प्रस्तावों से हिन्दुस्तान की जनता को कितनी प्रेरणा हुई थी, तो मुझे बड़ी निराशा होती है । इस सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, जनता की आशाओं पर कुठाराघात किया जो जनता उससे लगाये हुये थी । इसलिये मैं इस सरकार में विश्वास नहीं रखता हूं । फैजपुर कांग्रेस में जिस भूमि सुधार की बात कही गयी थी उसका पालन आज तक इस सरकार ने नहीं किया है ।

श्री उपाध्यक्ष--भूमि-सुधार का प्रश्न मौलिक अधिकारों से बहुत कुछ मिलता नहीं है ।

श्री झारखंडे राय--जिस सरकार ने अपनी पार्टी के वचनों को भंग किया है उसके विरुद्ध जनता ने सक्रिय रूप से खड़े होने की चेष्टा की है । इसलिये एक एक विषय को लेकर हमारे प्रदेश में आन्दोलन चले, जिनका कारण यही रहा कि जनता की आशाएं चूर चूर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री झारखंडे राय]

हो गईं । इन आन्दोलनों को कुचलने के लिये सरकार ने जो नीति अपनायी उससे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है । जमीन के बटवारे की बात इस सरकार ने पूरी नहीं की । जनता को आशा थी कि जमीन का बटवारा होगा, बेदखलियां बन्द होंगी और लगान कम होगा, लेकिन पूरे जमींदारी उन्मूलन के बाद कुछ भी नहीं हुआ और न भूमिहीनों को भूमि प्राप्त हुई । इसलिये जनता के आन्दोलनों के पीछे कांग्रेस के महान् प्रस्तावों की ताकत है, उनका आशीर्वाद है और सरकार पीछे हट रही है । इसका प्रमाण चुनाव में देख सकते हैं । कांग्रेस का मंत्रिमंडल और मुख्य मंत्री इस बात को सोचें कि क्या वजह है कि कांग्रेस की जो ताकत सन् १९४७ या सन् ५२ में थी वह आज नहीं है । जब इस सरकार को अवसर आया कि अपनी कथनी को करनी करके दिखावे, तो इन १० वर्षों में धीरे-धीरे सरकार की ताकत घटती गई और विरोधी पक्ष बढ़ता गया । यह इसका सबसे बड़ा सबूत है कि सरकार की नीति जनता के विरुद्ध है ।

आज अनशन, सत्याग्रह और हड़ताल की बात विदेशी बातें हो रही हैं । सरकार का खयाल है कि कोई मांग भी नहीं होनी चाहिये, वह भी विदेशी शब्द हो गया है । जिन हथियारों ने हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़ाया और अंग्रेजों से हमें मुक्त किया, उन्हें हम आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं । इसका हमें अधिकार है । जिस सरकार की नीतियों को हमारे प्रदेश की जनता पसन्द नहीं करती, उसके खिलाफ हम कैसे लड़ें ? हम दरख्वास्तें देते हैं, प्रार्थना करते हैं, असेम्बली में कहते हैं और मंत्रियों से विनय करते हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं मानी जाती । तो जनता के पास कोई उपाय या हथियार नहीं रह जाता सिवा इसके कि अनशन करें, जद्दोजहद करें और टक्करें लें । ये सब बातें हिन्दोस्तान में हो रही हैं और होनी चाहिये । यही बुनियादी समझदारी है, जिसके कारण शान्तिमय तरीकों को अपनाने के बाद भी सरकार दमन का सहारा लेती है, चाहे वह पटवारियों का आन्दोलन हो, विद्यार्थियों का हो, सोशलिस्ट पार्टी का हो, सिंचाई रेट के विरुद्ध हो । क्रमशः हमारे प्रदेश में सैकड़ों आन्दोलन चले, उन पर दमन का सहारा सरकार ने क्यों लिया ? इस बात का फैसला होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मजदूर और पूंजीवाद के सम्बन्ध में यहां विवाद हो चुका है । हम देखते हैं कि मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात होता है । सरकार यह समझती है कि पूंजीवादी व्यवस्था मुल्क में हमेशा कायम रहेगी, जब कि विनोबा भावे ने भी स्वीकार किया है कि यह व्यवस्था खत्म होनी चाहिये ।

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रस्ताव मौलिक अधिकारों के लिये ही है मगर मेरे दोस्त मजदूर और पूंजीवाद का जिक्र करके विषय से इर्रेलेवेंट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं । इस तरह से चलने से विषय गौण रह जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उन्होंने मजदूरों के द्वारा सामूहिक सौदा के बारे में कहा, जिसमें संगठन, हड़ताल सब कुछ आ जाता है । इसलिये वे सीमा के अन्दर हैं ।

श्री झारखंडे राय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतला रहा था कि मजदूरों की तनख्वाह के बारे में हमारे देश और प्रदेश के मजदूरों को आशाएं थीं कि उनकी मजदूरी २५ प्रतिशत तक बढ़ेगी, लेकिन यह कांग्रेसी सरकार उसमें असमर्थ रही । जब हमारे मजदूर आन्दोलन का सहारा लेते हैं तो उन पर दमन किया जाता है, जिसका मुकाबला पिछले दस वर्षों में कानपुर में तथा दूसरे औद्योगिक केन्द्रों में हुआ है । उनको अधिकार है कि सामूहिक समझौते के जरिये अपने वाजिब हकों को प्राप्त करें, लेकिन कांग्रेसी सरकार ने उसमें अड़चनें डालीं, कांग्रेसी सरकार ने, कांग्रेस की नौकरशाही, पुलिस और जिला अधिकारियों ने हमेशा मजदूरों के खिलाफ पूंजीपतियों का साथ दिया । इसलिये जो मौलिक अधिकार हैं उन पर हमला हुआ है ।

जिस प्रकार से मजदूरों का दमन हुआ है उसकी लम्बी कहानी है, इसकी चर्चा सदन में हो चुकी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। एक तरफ तो पूंजीपतियों के टैक्स में कमी की जाती है और दूसरी ओर मजदूरों पर हमला किया जाता है। क्या मौलिक अधिकार केवल यही हैं कि बोला जाय, लिखा जाय अथवा पढ़ा जाय? नहीं, मौलिक अधिकारों में यह भी आता है कि उसक रोटी और कपड़े की व्यवस्था हो, पढ़ने-लिखने की आजादी हो, इसी प्रकार से और भी जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं वे पूरी हों तथा इसके रास्ते में जो अड़चनें हैं वे दूर की जायं। इन अधिकारों को प्राप्त करने में जब जनता आगे बढ़ती है, सरकार की ओर से उसके ऊपर हमला होता है। इस वजह से जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

नये करों के बोझ से जो जनता पर हमला हो रहा है वह भी उसके मौलिक अधिकारों पर हमला है। अगर जनता में टैक्स देने की शक्ति हो और उससे टैक्स लिया जाय, जनता की जितनी आमदनी बढ़ती है उतना ही टैक्स भी उस पर बढ़ता है, तब तो ठीक कहा जा सकता है, लेकिन अगर उसकी आमदनी घटती है या उतनी ही रहती है और उस पर टैक्स का बोझ बढ़ता जाता है, चाहे वह टैक्स दिल्ली से लगाये जायं या लखनऊ से लगाये जायं, जनता की कमर उससे झुकती जा रही है, वह मौलिक अधिकारों का हनन है। इसलिये हमें सरकार पर विश्वास नहीं है। 'हैव्स' को दिन प्रतिदिन रिआयतें दी जा रही हैं और 'हैव नाट्स' पर हमला किया जाता है और कहने को कहा जाता है कि समाजवाद ला रहे हैं। क्या यही समाजवाद की प्रगति है?

इस प्रकार से छोटी-छोटी चीजें भी सरकार पूरा करने में असमर्थ रही है। पंचायत टैक्स के बारे में लोगों की राय है कि पंचायत टैक्स को खत्म किया जाय। प्लानिंग कमीशन ने भी २० प्रतिशत लगान पंचायतों को देने के लिये कहा है, लेकिन सरकार ने कहां दिया? क्या इसमें लड़ाई नहीं होगी? जम कर होगी। ६ बरस से हम लोग सब्र कर रहे हैं, जनता सब्र कर रही है। पंचायतों का जो बकाया टैक्स है उसको वसूल करने के लिये हिम्मत की जाती है कदम बढ़ाये जाते हैं। क्यों नहीं सरकार यह एलान करती है कि पंचायतों का टैक्स खत्म किया जाय, प्लानिंग कमीशन की सिफारिशों पर अमल किया जाय। अजित प्रसाद जैन कुछ कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू कुछ कहते हैं, लेकिन उनकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया जाता। वे कहते हैं कि हदबन्दी की जाय। वे कहते ह कि कोआपरेटिव बेसिस पर खेती हो, लेकिन इस सरकार का उसमें विश्वास ही नहीं है ....

श्री उपाध्यक्ष--आप अपनी बहस को मौलिक अधिकारों तक ही सीमित रखिये। अभी तो आप कह रहे हैं पंचायत टैक्स के बारे में, इस तरह आप उसी तरह की बहस करने लगेंगे जो बजट पर की जाती है, बजट डिबेट पर आ जायेंगे, इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा। इन बातों की ओर आप इशारा करके मौलिक अधिकारों तक ही सीमित रहिये।

श्री झारखंडे राय--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया, शायद मैं अपने को साफ न कर सका कि मौलिक अधिकारों का हनन इस सरकार द्वारा बराबर इस प्रकार से होता रहा है कि जनता के गरीब हिस्सों पर हमला होता रहा है। जिसको अंग्रेजी राज्य में दुःख था उसको आज भी दुःख है। अंग्रेजी राज्य में ऐश और आराम के सामान जिनको मुहैया थे उनको आज भी हैं। समाज में श्रेणी भेद जिस प्रकार से उस समय मौजूद था वह आज भी मौजूद है। इस भेद के कायम रहते हुए हमारे देश और प्रदेश की जनता को जो दुःख पहले था, उसके ऊपर वह दुःख का पहाड़ आज भी उसी तरह लदा हुआ है और जब वे अपने बढ़े हुए दुःख को हटाने की कोशिश करते हैं तो सरकार की ओर से हमला होता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जनता के मौलिक अधिकारों पर इस सरकार के राज्य में हमला हो रहा है और उनका मुकाबला जनता की ओर से किया जा रहा है।

[श्री झारखंडे राय]

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था भूमि सुधार के सिलसिले में, मजदूरों के सिलसिले में, टैक्स बढ़ती के मामले में, चकबन्दी के मामले में सरकार की इस नीति ने हमारे प्रदेश की जनता को ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि उसका विश्वास अब इस सरकार में नहीं रह गया है। क्योंकि सरकार जनता की आशा पूरी न कर सकी और जो वादा उसने अपने प्रस्तावों में किया था उसको भी पूरा नहीं कर सकी तो ऐसी हालत में जनता के सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता कि वह सरकार में अपना अविश्वास व्यक्त करे और उसी की ध्वनि आज इस सदन में उठ रही है। सरकार की ओर से कहा जा सकता है कि हम जनता के हित के लिये बहुत से कदम उठा रहे हैं, लेकिन मजदूरों के सम्बन्ध में सरकार ने जो प्रणाली अपनायी है वह पूंजीवादी प्रणाली है और इस प्रणाली से हमारे प्रदेश की ९० फीसदी जनता गरीब से गरीब हो रही है और मुट्ठी भर लोग अमीर से अमीर हो रहे हैं। इस प्रणाली से यहां की जनता के उस विश्वास की पूर्ति नहीं हो रही है जो आज से ८, १० साल पहले आप में यहां की गरीब जनता को था और जिस विश्वास को लेकर उसने इस सरकार को यहां बैठाया। अब तो जनता को यह विश्वास हो चुका है कि इस सरकार के अधीन, इस प्रशासकीय मशीनरी के चलते हुए और इन योजनाओं के चलते हुए हमारे प्रदेश के मुट्ठी भर लोग अमीर से अमीर होंगे और बहुत संख्या में लोग गरीब से गरीब होते चले जायंगे। इसीलिये आज जनता का आप में अविश्वास है।

मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि सरकार ने किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत के उन तमाम तरीकों को कायम रखा है और आज भी उनको कायम रखना चाहती है। गवर्नर और उनके ऊपर बड़े-बड़े खर्चे और उनके पद.....

श्री उपाध्यक्ष--मुझे उसके लिये आपको बार-बार टोकना मुनासिब नहीं मालूम होता। आखिर मौलिक अधिकारों के हनन की घटनाएं आप क्यों नहीं रखते? इस मामले में मैं आपको तीन मर्तबा टोक चुका और आप बार-बार उसी दायरे में पहुंच जाते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करनी हैं। यह कांस्टीटयूशन आफ इंडिया की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इसमें फंडामेंटल राइट्स दिये हुए हैं। मौलिक अधिकार हिन्दी का शब्द है, उसमें डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स भी राज्य सरकारों के लिये दिये हुये हैं, जिसमें इस प्रदेश की सरकार भी आती है। तो डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स के खिलाफ जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वे आर्थिक हों, चाहे सामाजिक हों, सभी इसके दायरे में आ जाते हैं। यह मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप कहें तो मैं उनको पढ़ कर सुना दूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--उपाध्यक्ष महोदय, क्या पालीवाल जी का भाषण शुरू हो गया?

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, उन्होंने डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स और फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करते हुए बतलाया कि माननीय झारखंडे राय जी जो भाषण कर रहे थे वह उसकी परिधि के अन्दर है। क्या आपको इसका विरोध करना है? आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, जो माननीय पालीवाल जी ने इस प्रश्न को उठाया, डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स को भी यदि वे यहां सदन के सामने पढ़ने की कृपा करेंगे तो उनमें यह मजदूरों का अधिकार या जिन चीजों की चर्चा अभी माननीय झारखंडे राय जी कर रहे थे, उनमें कोई भी चीज नहीं आती है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यदि देखा जाय तो मौलिक अधिकार और डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स में ये चीजें हैं, परन्तु यदि माननीय लक्ष्मीरमण जी उसको नहीं समझते हैं तो यह उनका दुर्भाग्य है। इसमें है समानता, स्वतंत्रता और न्याय। यदि मजदूरों के साथ

समानता का व्यवहार न किया जाय और मिल मालिकों के साथ पक्षपात किया जाता है और भाई, भतीजावाद किया जाता है, या किसी मंत्री के लड़के को ठेका दिया जाता है तो यह बात इसमें जरूर आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष---आप उद्धरण देकर बतला सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने श्री राजनारायण जी को बोलने की इजाजत दे दी है?

श्री उपाध्यक्ष---जी हां।

श्री राजनारायण---आपकी आज्ञा से वह मैं पढ़ना चाहता हूं। यह जो थर्ड चैप्टर है यह फंडामेंटल राइट्स का है, इसकी धारा में १२ से ३३ तक हैं और इनसे यह निश्चित है कि सब के लिये यह सरकार समानता के साथ कानून का प्रयोग करेगी, 'एवरी मेन इज इक्वल बिफोर ला (every man is equal before law)।' यह सरकार कोई नियम ठेका देने के बारे में बनाती है, मंत्री जी अपने लड़के को ठेका देते हैं, उनके लड़के से कोई टेंडर नहीं मांगा जाता दूसरों से मांगा जाता है, यह अन्याय है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष---आप उद्धरण दीजिए और पढ़ कर बताइये।

श्री राजनारायण---यह जो ३१ ए है उसमें है कि---

"Extinguishment or modification of any rights accruing by virtue of any agreement, lease or licence for the purpose of Sarching for, or winning, any mineral or mineral oil, or the premature termination or Cancellation of any such agreement, lease or licence, shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges, any of the rights conferred by Article 14, Atrticle 19 or Article 31."

श्रीमन्, यह इतना व्यापक है कि उस पक्ष के लोग आरम्भ से ही भ्रम में हैं। हमारे और जनता के मौलिक अधिकार एक सामान्य चीज है और हर मनुष्य के जीवन से उनका सम्बन्ध है और जो संविधान में दिये हुये हैं। सरकार की ओर से जो लोग उठ रहे हैं वह देखें कि क्यों मैंने मंत्री जी के लड़के के ठेके की बात कही.....

श्री उपाध्यक्ष---बार-बार वही बात क्यों आप कहते हैं?

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप देखें तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के २ भाग हैं। एक तो वे हैं कि जिनको कोर्ट्स एन्फोर्स कर सकते हैं, वह पार्ट थर्ड में हैं और दूसरे वे हैं कि जिनको कोर्ट्स एन्फोर्स नहीं कर सकते और जिनको स्टेट को एन्फोर्स करना चाहिये, वे पार्ट फोर्थ में हैं। मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकिल ३७ की ओर दिलाऊंगा, उसमें लिखा है कि---

"37. The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws."

यह दोनों ही मौलिक अधिकारों से सम्बन्ध रखते हैं, एक को कोर्ट एन्फोर्स करेंगे और एक को स्टेट। इसलिये माननीय झारखंडे राय जी जो बोल रहे थे वह चैप्टर ४ से सम्बन्धित है और वह मौलिक अधिकारों की सीमा के अन्दर आ जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---वह कौन सी धारा है जिससे राज्य के लिये जरूरी हो कि वह हर एक को रोजी, रोटी दे?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, वह आर्टिकिल ३९ है जिसमें लिखा है कि—

"39. The State shall, in particular, direct its policy towards securing—

(*a*) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood ;

(*b*) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good ;

(*c*) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment ;

(*d*) that there is equal pay for equal work for both men and women ;

(*e*) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens....."

यह विविध प्रकार की स्टेट की ड्यूटीज हैं और संविधान के अनुसार जो राइट्स हैं उनके अन्दर भाषण आ जाता है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि चैप्टर ३ में फन्डामेंटल राइट्स दिये हैं और चैप्टर ४ में स्टेट पालिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स दिये हैं लेकिन माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है वह एक स्पेशल रिफ्रेंस से सम्बन्धित है, वह तमाम मौलिक अधिकारों का प्रश्न नहीं है, एक पार्सिंग रिफ्रेंस वह दे सकते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—उनका प्रस्ताव सारे मौलिक अधिकारों पर है और विशेषकर सोशलिस्ट बन्दियों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं और उनके सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सम्बन्ध में है। इस व्यवस्था के सम्बन्ध में जो बातें मेरे सामने रखी गयीं उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सीमा रेखा बहुत पतली है। इन बातों के आधार पर मैं समझता हूं कि श्री झारखंडे राय वह बातें कह सकते हैं और उनको मैं रोक नहीं सकता।

इस व्यवस्था के प्रश्न में जो समय लगा है वह आपके भाषण में जोड़ा नहीं जायगा।

श्री झारखंडेराय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतला रहा था कि जिन नीतियों के खिलाफ हमारे प्रदेश की जनता एक-एक करके खड़ी हो रही है और उन्हें हराने के लिए, उन्हीं नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार इस दमन नीति का सहारा लेती है, वह अनुचित है। मैं आपके द्वारा दो उदाहरण सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं। माननीय राजनारायण जी को जो सजा बनारस में मैजिस्ट्रेट साहब ने दी। उस सजा के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस समय मैंने उस सजा का समाचार पढ़ा तो मुझे पं० जवाहरलाल नेहरू को जो एक अंग्रेज मैजिस्ट्रेट ने गोरखपुर में सजा दी थी, उस सजा की याद आ गयी। उसने जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती थी वह दी थी और इस मैजिस्ट्रेट ने भी जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती थी वह दी।

देवरिया जिले में, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बात की घोषणा की कि वह अकाल क्षेत्र घोषित किये जाने के लिए सत्याग्रह करेंगे। उस तारीख के पहले ही देवरिया जिले के तमाम प्रमुख कम्युनिस्टों को जिनकी संख्या ४० थी गिरफ्तार कर लिया गया। कोई अपने घर में था गिरफ्तार कर लिया गया, कोई रास्ते में चलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जो जहां पर उस समय था गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय कोई गैर कानूनी काम वे नहीं कर रहे थे। केवल सत्याग्रह की सूचना जिला कम्युनिस्ट पार्टी ने दी थी और वह गिरफ्तार कर लिये गये। यह मौलिक अधिकार पर हमला था और वह इसलिए हुआ कि सरकार की नीति थी कि हम अकाल क्षेत्र घोषित करना नहीं चाहते, वहां अकाल खड़ा हुआ है, वहां की

जनता और अन्य पार्टियां भी इसके लिए मांग उठा रही थीं, उस क्षेत्र को अकाल क्षेत्र घोषित कराने के लिए सत्याग्रह की सूचना दी थी। उसके फलस्वरूप मौलिक अधिकारों पर हमला हुआ।

हमारी भूमिहीन जनता जो करोड़ों की संख्या में है इस बात की अपेक्षा करती थी कि उनको दस वर्ष के अन्दर भूमि प्राप्त होगी लेकिन प्राप्त नहीं हुई। हमारे प्रदेश में कम से कम पचास लाख एकड़ जमीन है जो भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों को बांटी जा सकती है। अगर वह जमीन उनको मिल जाय तो कितनी बेकारी दूर हो सकती है और उनके बाल-बच्चे आराम से रह सकते हैं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश और देश की खाद्य उत्पत्ति भी बढ़ेगी। आज इस सरकार और केन्द्रीय सरकार, दोनों की यह नीति हो रही है कि हमारे देश का करोड़ों रुपया अन्न मंगाने के लिए बाहर जाता है। इस नीति के खिलाफ जब हमारे प्रदेश की जनता इस बात की मांग करती है कि खेत उनको दिये जायं, जमीनें उनको दी जायं, जो खेत जोतता है, जो जमीन पर काम करता है, तो माननीय मंत्री जी और सरकार उधर ध्यान नहीं देती और कोई न कोई बात रख कर उससे मुकर जाती है। इस तरह से बेकारी और बेरोजगारी बहुत हद तक कायम है और हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति भी भयंकर होती जा रही है।

हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में यह दावा था कि इस बीच में हमारा देश और प्रदेश अन्न समस्या के बारे में आत्मनिर्भर हो जायगा, लेकिन वह आज तक नहीं हुआ, वह दावा गलत साबित हुआ और आज उस संकट के बीच से हमारा देश और प्रदेश गुजर रहा है। यह क्यों हो रहा है? इसीलिए कि अधूरी, अधकचरी भूमि सुधार नीति अपनायी गयी। अगर उन लोगों को जमीन दी गयी होती जिनके पास नहीं है और एक हद कायम करके हर क्षेत्र में वहां की जमीन के गुण और किस्म देखकर एक सीलिंग लगायी गयी होती और बाद में बांटी गयी होती, जो बंजर और परती जमीनें तोड़ी जा रही हैं वह बड़े-बड़े अफसरों को, बड़े-बड़े रियासत वालों को और बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों को न दे कर, कुछ फेवरिट लोगों को न दे कर अगर आम जनता में बांटी गयी होती तो हमारा प्रदेश कम से कम खाद्य समस्या में आत्मनिर्भर हो जाता और अन्य प्रदेशों को भी जो हमसे पीछे हैं हमारे प्रदेश से अन्न निर्यात हो सकता था।

पार्लियामेंट में इस बात की शिकायत हुई, अजित प्रसाद जैन ने स्वीकार किया कि नहर रेट, सिंचाई रेट बहुत ज्यादा है जिससे देश का मामूली किसान इन योजनाओं से लाभ नहीं उठा पाता है, जितना उसे उठाना चाहिये और जितनी सरकार आशा करती थी कि इस योजना से लाभ होगा किसानों को वह पूरा नहीं कर पा रही है। इसी के विरोध में जनता की मांग है कि सिंचाई रेट, नहर रेट कम होना चाहिये। इसको ले करके प्रदेश भर में सत्याग्रह भी चल चुका है, जिसको लेकर के प्रदेश भर में नाना प्रकार के अनशन, आन्दोलन और सत्याग्रह चले। उन पर हमला इसीलिये हुआ कि सरकार सिंचाई रेट, नहर रेट कम करने पर तैयार नहीं हुई। जो सिंचाई रेट अंग्रेजों के जमाने में था उसको बढ़ाया और जब उसे कम नहीं किया गया तो सरकार की ओर से दमन का सहारा लिया गया। इस तरह से दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं और जनता सरकार की नीतियों के खिलाफ उठती जा रही है। वरना जिस सरकार में १० साल पहले शत प्रतिशत विश्वास था वह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, इसीलिये न कि सरकार में जनता का विश्वास नहीं रह गया है।

जहां तक उद्योग नीति का सम्बन्ध है हमारे प्रदेश के लिये, अन्डर डेवलप्ड कन्ट्री के लिये कृषि और उद्योग सबसे प्रमुख चीजें हैं। कृषि नीति अधूरी रही जिसका फल आज हम भुगत रहे हैं। जहां तक उद्योग नीति का प्रश्न है उसमें भी पूंजीपतियों को ही सहायता दी जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, पैसेवाला मालदार होता जा रहा है। एक पूंजीपति को जो श्री डालमिया के दामाद हैं, श्री जैन, उनको डेढ़ करोड़ रुपया देकर के सहायता दी गयी, लेकिन मजदूरों पर हमले होते हैं अगर वे अपनी मांगें रखते हैं तो। तो जब उनकी बुनियादी

[श्री झारखंडेराय]

मांग को लेकर बनारस में सत्याग्रह चलता है उस समय सरकार ने दमन किया, कई सौ आदमी जेलखाने गये, उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ, लाठी चार्ज हुआ, हर तरह से परेशान करके जेलखानों में बन्द किया गया और बाहर भी अत्याचार का सहारा लिया गया। जहां भी देखें सरकार की नीति जनता के विरुद्ध होती जा रही है और जनता उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। साधारण तरीके से देखें, देहाती जीवन में मामूली से मामूली बात में पुलिस लोगों को तंग करती है, घूस लेने की कोशिश करती है और न दें तो गलत केस में फंसा देती है। इस तरह की शिकायत सभी जगह सुनी जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री को भी कांग्रेस के गणमान्य नेताओं ने, खासतौर से श्री विशम्भर दयाल त्रिपाठी ने लिखा कि पुलिस देहाती क्षेत्र में बुरी तरह से आतंक मचाये हुए है। लेकिन जनता अपने मौलिक अधिकारों को कायम रख सके, प्राप्त कर सके, इस ओर सरकार का ध्यान उतना नहीं गया जितना जाना चाहिये था।

१०७ के मुकदमे देहातों में आम बात हो गये हैं, भरमार है, जिसको देखिये १०७ में बन्द है। पेशी नहीं होती सालों, और हवालाती के रूप में, जितनी ज्यादा से ज्यादा सजा दफा के अधीन दी जा सकती है, उससे ज्यादा काट लेते हैं।

दफा १४४ भी मामूली बात हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि उन राष्ट्रीय आन्दोलनों के दिनों को हम याद करें जब हम सब इस दफा के खिलाफ लड़ते थे, मुख्य मंत्री जी तथा उनके सभी सहयोगी लड़े। लेकिन आज उसी का सहारा लिया जा रहा है। हमें याद है कि भूतपूर्व वायसराय श्री राजगोपालाचारी ने इस बात की शिकायत की थी कि दफा १४४ देश में रहे या न रहे। इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिये। कानपुर में तो एक परमानेंट फीचर हो गया है। पिछले ७ साल से यह दफा लगी हुई है, वहां की जनता बिना परमीशन लिये हुए, बिना मैजिस्ट्रेट की परमीशन लिये हुए मीटिंग करने की बात ही जैसे भूल गयी है। तो मौलिक अधिकारों पर हमला हर तरह से, हर प्रकार से, जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है।

माननीय गोविन्द सहाय ने यह बात कही है कि उनको शिकायत इस बात की है कि मौलिक अधिकार ज्यादा हो गये हैं हमारी कांग्रेस सरकार की हुकूमत में, ज्यादा आजादी हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस चीज की चर्चा वह करते हैं वह चाहे ज्यादा हो, लेकिन उस आजादी को इस्तेमाल करने के लिए जब लोग उठते हैं और जनता की भावनाओं को व्यक्त करते हैं तब सरकार का क्या तरीका होता है इसे उन्हें पेश करना चाहिए और देखना चाहिए। आज तो अनशन की भी शिकायत है, हड़ताल की भी शिकायत है, सत्याग्रह की भी शिकायत है, जन आन्दोलन के किसी भी तरीके से चलाये जाने की शिकायत है, चाहे वह कितना ही अहिंसात्मक तथा शान्तिपूर्ण हो। तब फिर कौन सा तरीका रह जाता है? जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिन्दुस्तान में किसी हिंसात्मक क्रान्ति की जरूरत नहीं है, आज दुनिया में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है, हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं वह इतनी बलवती हो गयी हैं कि शांतिपूर्ण संक्रमण समाजवाद की ओर हो सकता है, जब इस बात को हिन्दुस्तान की सभी पार्टियों ने मान लिया है, जब शन्तिमय संक्रमण समाजवाद की ओर हो, इसको हम एक राष्ट्रीय लक्ष्य की तरह स्वीकार कर चुके हैं, तो ऐसी हालत में कौन सा तरीका है जनता की भावनाओं को व्यक्त करने का, क्या केवल दरख्वास्त देना, केवल असेम्बली में भाषण देना? मैं समझता हूं कि यह बिलकुल नाकाफी है। सरकार को इस बात को तसलीम करना पड़ेगा वरना सरकार में अविश्वास बढ़ता जायगा। आज जहां तक अनशन करने का, सत्याग्रह करने का, हड़ताल करने का, शान्तिपूर्ण सीमाओं के अन्दर करने का सम्बन्ध है वह जनता का अधिकार है और मौलिक अधिकार है और जनता में कार्य करने वाली पार्टियों का चाहे वह किसी भी सिद्धांत या वाद में विश्वास करती हों, लेकिन अगर वह इस माइथालोजी में विश्वास करती हैं कि शान्तिमय अहिंसात्मक तरीके से समाजवाद की ओर बढ़ें, तो उनका यह अधिकार सरकार को मानना पड़ेगा। तभी इस बात की सम्भावना है कि यह जो बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है, मीटिंग करने की आजादी है इसका सही माने में इस्तेमाल हो सकता है। वरना किताबों में आजादी रहे और उसका इस्तेमाल करने के लिए लोग आगे बढ़ें और अपनी भावनाओं

को व्यक्त करें तो उनके ऊपर दमन का सहारा लिया जाय यह नहीं चल सकता है। इसलिए अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्हीं जनवादी नीतियों के कारण और सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ जो लोग लड़ते हैं उनका दमन सरकार द्वारा किये जाने के कारण हमारा इस सरकार में अविश्वास है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी माननीय गोविन्द सहाय जी ने जिक्र किया था कि अविश्वास का प्रस्ताव किसी भी देश या प्रदेश या राष्ट्र के इतिहास में कितनी अहमियत रखता है। एक प्रकार से जब सारे उपाय समाप्त हो जायं तो अविश्वास के प्रस्ताव का सहारा लिया जाता है। एक इसी प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव आज इस सदन के सामने है। मैं किसी आलोचना की दृष्टि से इन चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता, किन्तु केवल इस सदन के विचार के लिए इस सदन से एक पूरा सवाल पूछना चाहूंगा कि जिन चर्चाओं को इस सदन के सामने माननीय राजनारायण जी ने किया था, यदि मुझे क्षमा किया जाय, माननीय झारखंडे राय जी ने किया वह चर्चायें आज तक इस सदन के सामने कितनी बार आयी हैं। क्या नैतिक रूप से कुछ उसी तरह की चर्चायें इस सदन के सामने नहीं हो चुकी हैं? और क्या यह सही नहीं है कि इस सदन में बार-बार उन चर्चाओं को किसी न किसी प्रकार से लाकर सदन का ध्यान आकृष्ट करने की उन्होंने चेष्टा की है? लेकिन क्या एकमात्र मन्तव्य उनका था यदि मैं इस बात को और भी स्पष्ट रखना चाहूं, जो कि आज हमारे विरोधी दलों के नेतागण हैं उन सब का केवल कुछ चीजों को दुहराना है जिनकी चर्चा से वह आज कुछ अपनी उन चीजों की ओर दुबारा कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन नहीं, मैं इसको दूसरे ढंग से लेने की चेष्टा करता हूं और मैं माननीय राजनारायण जी से यह कहने की धृष्टता करूंगा कि सत्याग्रह बन्दियों के साथ में उनके कहने के अनुसार जो कुछ हुआ और हमारे कहने के अनुसार जितना हुआ उसके प्रति तो कल परसों ही इसी सदन के सामने एक स्थगन प्रस्ताव था, उसमें चर्चा हुई। इसके अलावा ये जो सवाल उन्होंने यहां पूछे उनके बारे में चर्चा हुई। सरकार ने उनका उत्तर दिया। लेकिन खैर उन्होंने उचित समझा इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाना और इससे एक बात तो समझने के लिए आज उन्होंने सभी को बाध्य किया है कि इस देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के इतिहास में आज एक ऐसी चीज उपस्थित की है जिससे कि यह प्रदेश कुछ चीजों को स्पष्ट रूप से समझ सके।

श्रीमन्, इस सदन के माननीय सदस्यों ने आज अखबारों में पढ़ा होगा कि बरेली कालेज के विद्यार्थियों ने वहां पर हड़ताल की है। कल परसों होम्योपैथी कालेज के विद्यार्थियों की हड़ताल का जिक्र इस सदन के सामने आया। उस से कुछ दिन पहले एक दूसरे मुकाम पर एक पर्चा कड़ा आया और विद्यार्थी उसका जवाब नहीं दे सके जिसके फलस्वरूप हड़ताल हुई। कुछ दिन पहले इस प्रदेश की सरकार ने यह उचित समझा कि विकास के लिए आबपाशी के रेट में वृद्धि की जाय, सेल्स टैक्स बढ़ाया जाय। इस प्रदेश ने वह दृश्य देखा है। इस सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों ने उसमें कितनी शिरकत की यह दूसरी बात है, लेकिन विरोधी दलों ने एक होकर यह चेष्टा की कि इन सभी हड़तालों का नेतृत्व उनमें से कोई न कोई जरूर करे। होम्योपैथी कालेज के विद्यार्थी आये तो यहां सदन के माननीय नेतागण वहां उपस्थित हुए। आज जो भी छोटी से छोटी चीज हो सकती है उसका नेतृत्व किसी न किसी तरह से आज इस प्रदेश के विरोधी दल करने की चेष्टा करते हैं। यदि मैं इस को एक घटना के रूप में रख दूं तो शायद यह सदन उसको और आसानी से समझ सके। एक स्थान पर बाढ़ आयी। गांव वालों ने सारे नियमों का उल्लंघन करके नहर की एक पटरी को काट दिया। ४० गांवों में पानी भर गया। जिले के अधिकारियों को चिन्ता हुई। उन्होंने जाकर उस पटरी को रोक दिया। उस पटरी के कटने से रेल की पटरी और सड़क पर भी पानी भर गया और वह पानी वहां निरन्तर एक महीने तक भरा रहा। श्रीमन्, इस सदन को जान कर आश्चर्य होगा कि हमारे विरोधी दलों में से एक दल के व्यक्ति ने जाकर नेतृत्व किया और कहा कि इस पटरी को दोबारा काटा जाय। उस से चाहे २०० गांव बह जायं, चाहे रेल की पटरी व सड़क पर ३ महीने

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

तक पानी भरा रहे, लेकिन ऐसी चेष्टा की गयी और उस चेष्टा को न जाने किस प्रकार रोका गया।

श्रीमन्, आज इस प्रदेश में ही नहीं, वरन् सारे देश में एक विचित्र प्रकार का वातावरण नजर आता है। मुझे तो खेद के साथ कहना पड़ता है जब माननीय झारखंडेराय जी सत्याग्रह और अनशन का जिक्र करते हैं, हड़तालों का जिक्र करते हैं और जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि इस प्रदेश में इन सब चीजों को अवैध घोषित किया जाता है जब कि सत्याग्रह गांधी जी का अस्त्र था, अहिंसा का अस्त्र रहा है, लेकिन मुझे उस शब्द को कहते हुए जरा हिचक होती है, मेरे मुंह से वह शब्द निकलता नहीं, किन्तु मैं केवल उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के सत्याग्रह को, वह सत्याग्रह कहेंगे या दुराग्रह कहेंगे। इस प्रकार की घटनाओं को जिनमें २०० गांव बहाने के लिये लोग चेष्टा करते हों, क्या कहा जा सकता है? आज यह सारा प्रदेश विचित्र परिस्थितियों में से गुजर रहा है।

श्रीमन्, मेरे विरोधी दल के मित्र जो यहां बैठे हैं उनकी नीयत पर हमला करने का मेरा कोई मंतव्य नहीं और मेरा खयाल है कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति शायद मुझसे ज्यादा देशभक्ति की लौ दिल में लिये बैठा हो। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा लेकर यह अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहते हैं, वह कौन से मौलिक अधिकार हैं? मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि कल माननीय सुरक्षा मन्त्री ने चर्चा की, मैं डाक्टर लोहिया के लिए सब सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग करता हूं और वह अपने देश के अन्यतम सैनिक हैं स्वतंत्रता के और जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वह देने में मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जरा विचार करें यहां के माननीय सदस्य।

महात्मा गांधी जी का बार-बार जिक्र किया जाता है। चम्पारन के सत्याग्रह के बाद सब से पहले जब वह एक अदालत में पेश हुए तो न्यायाधीश ने जब कभी उन से किसी प्रश्न का उत्तर पूछा, उन्होंने कुर्सी लेने से इन्कार किया और अत्यन्त नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। जब पूछा गया कि तुम ने यह किया तो उन्होंने कहा कि हां, मैंने किया। यदि वह आरोप कानूनन सही है तो गांधी जी ने कहा कि वह आरोप ठीक है। उस न्यायाधीश ने कहा था कि ऐसा कैदी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। आज यदि इस न्यायाधीश का नाम स्मरण किया जाता है तो उसका मन और मस्तिष्क पर यह असर होगा कि मानवता की शृंखला, मानवता का अनन्त विश्वास और हृदय की भावनाएं मनुष्य की सारी भावनाओं से ऊंची हैं। आज मैं सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि एक सज्जन से कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर अपराध है, तुमने यह अपराध किया है, तुमको अदालत में पेश होना है। वह कहते हैं कि मैं नहीं जाता। न्यायाधीश ने माना है कि उन्होंने कहा कि नहीं, उनको यहां हाजिर होना पड़ेगा।

श्री राजनारायण---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, क्या कोई सम्मानित सदस्य किसी सेक्शन को गलत तरीके से यहां कोट कर सकते हैं? मैं आपके द्वारा लक्ष्मीरमण जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह दिखा सकते हैं--यहां पर हाफिज मुहम्मद इब्राहीम भी ऐसी ही बात कहते हैं, प्रिविलेज का मोशन उन के विरुद्ध भी आवेगा---कोई ऐसा सेक्शन है जिस के अनुसार कोई शख्स जबरदस्ती बन्दी की हैसियत से अदालत में लाया जाय?

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा कर के बैठें। यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आप व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाते।

श्री राजनारायण---व्यवस्था का प्रश्न यही है कि वह किसी घटना को विकृत ढंग से रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---अगर वे विकृत करते हैं तो उनके उत्तर में सही करके रख सकते हैं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैं क्या कहूं ? मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि वह शायद नहीं जानते हैं कि मुझको अदालत में कुछ अधिक रोज देने पड़े हैं ?

श्री राजनारायण—गुलाम अदालत में दिये होंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं यह भी समझता हूं कि कानून, शहादत और जाब्ता फौजदारी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक प्रमाण और शहादत नहीं हो सकतीं जब तक कि वह स्वयं उपस्थित न हो। इसके लिए कल माननीय हाफिज साहब ने २०९ धारा का जिक्र किया था। लेकिन खैर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, श्रीमन्, कि उनको आज्ञा दी गयी कि वह कोर्ट में उपस्थित हों . . .

श्री राजनारायण—कभी नहीं आये और हमेशा नहीं आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—शान्त रहिये।

श्री राजनारायण—वह [**] आदेश था उसको मैं नहीं मानूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी जिस समय आप बोल रहे थे उस समय यदि कोई माननीय सदस्य इस तरह से टोकते तब।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन का अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा करके बैठिये।

श्री राजनारायण—कोई कोर्ट किसी को जबरदस्ती नहीं बुला सकती है। वह [**] है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कह सकते हैं।

श्री राजनारायण—यह पुलिस का काम है, कोर्ट का काम नहीं है, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष—आप से कह रहा हूं। आप कृपा कर के बैठ जाइये। मैं यह निवेदन करूंगा कि शान्तपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। जब उधर के लोगों ने आपकी बातें शान्तिपूर्वक सुनीं तो जब कांग्रेस बेंचेज से कोई बात कही जाय तो आपको भी शान्तिपूर्वक सुननी चाहिए।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जब [**] की बात कहे तब भी सुनें।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैं चाहता था कि सदन कुछ मौलिक अधिकारों का प्रदर्शन देखे और सदन ने बहुत स्पष्ट रूप से माननीय राजनारायण जी द्वारा देखा है। एक अधिक तमाशा है, श्रीमन्, . . .

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को मैं टोक कर बैठा चुका हूं, अतः इस बात पर वादविवाद न हो। आप अपनी बात कहिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अगर वह कोर्ट की बात करेंगे तो हम जरूर विरोध करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें रोका गया है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं कहता हूं कि आप चुपचाप बैठिये। कोई व्यवस्था का प्रश्न उठे तब आप बतलायें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैं घटना का जिक्र कर रहा था। मैं केवल यह कहना चाहता था कि कल और परसों इस सदन के सामने उसकी चर्चा हुई है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। क्या कल की घटना का आज जिक्र हो सकता है ? आपने व्यवस्था दी है कि जो कल हो चुका है उसकी चर्चा न हो।

[**] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष—आप ने कई मर्तबा हाफिज जी के बजट भाषण का जिक्र किया होगा। अगर आप जिक्र कर दें तब तो मुनासिब है अगर दूसरा कर दे तो ठीक नहीं है। माननीय राजनारायण जी, बार-बार आप का इस तरह से विघ्न डालना मुनासिब नहीं है।

श्री राजनारायण—हम कभी भी [**] की बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे फिर आदेश दिया कि उन चीजों के सम्बन्ध में चर्चा करूं। मैं कल की चीज की चर्चा के लिए न तो उत्सुक ही हूं और न करना ही चाहता हूं, लेकिन मौलिक अधिकारों का सवाल था और यह कहा गया था कि उनका अपहरण किया गया क्योंकि सत्याग्रही बन्दियों के साथ यह हुआ। इसलिए श्रीमन्, मुझे कुछ थोड़ा सा विवरण देना पड़ा अन्यथा मैं नहीं देता। मैं केवल यह चर्चा कर रहा था कि जो कुछ भी जेल में हुआ, उसकी चर्चा यहां हुई है और मैं यह कहने में जरा भी हिचकता नहीं हूं कि जितना कम से कम बल का प्रयोग किया जा सकता था इस प्रकार की अनुशासनहीनता के लिए, इस प्रकार की उच्छृंखलता के लिए, जिसमें बन्दी एक दीवाल को फांदकर दूसरी बैरक में पहुंचे और उन्होंने यह चाहा कि एक व्यक्ति को अदालत में न ले जाया जाय, इसी सरकार के द्वारा हो सकता था, और दूसरी सरकार के द्वारा नहीं कि जितना कम से कम बल प्रयोग किया जा सकना सम्भव था वह किया गया बावजूद इसके कि इससे अधिक प्रोवोकेशन और उच्छृंखलता दूसरी नहीं हो सकती थी।

श्री राजनारायण—यह आपकी [**] का इजहार है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसको मैं इतिहासकार के ऊपर छोड़ता हूं कि वह निर्णय करे कि इस प्रदेश की सरकार ने मौलिक अधिकारों की इज्जत करते हुए कोई कार्य किये या मौलिक अधिकारों का अपहरण किया।

श्रीमन्, बहुत लम्बी चर्चा इस सदन के सामने इन चीजों की हुयी। आज मैं जानता नहीं हूं कि मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में मैं कहां तक ठीक हूं, लेकिन मेरा खयाल है कि मैं ठीक हूं। कुछ दिन हुये जब रूल आफ दि रोड करके एक चीज हम लोगों को पढ़ने को मिली और लिबर्टी के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ देखने और अध्ययन करने को मिला। रूल आफ दि रोड में एक साहब को दिखाया जाता है कि वह बराबर दाईं तरफ जाते हैं, एक साहब को दिखाया जाता है कि वह निरन्तर अपने घर में रात को १० बजे के बाद ग्रामोफ़ोन बजाते हैं, एक साहब को दिखाया जाता है कि वे निरन्तर अपनी गाड़ी में जबकि वे सड़क पर जाते हैं लाईट नहीं लगाते हैं, एक साहब को दिखाया जाता है कि वे एक त्योहार पर गन्दे और बुरे कपड़े पहन कर सब के सामन आते ह। बार-बार उनसे पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उत्तर हमेशा एक ही मिलता है कि यह तो मेरा अधिकार है, मुझे लिबर्टी है कि मैं यह काम करूं और इसलिये ऐसा करता हूं। दायीं तरफ को जाता हूं क्योंकि मुझे अधिकार है उधर चलने का। आज होमियोपैथिक कालेज में हड़ताल होती है क्योंकि उनको हड़ताल करने का अधिकार है। आज एक जगह विद्यार्थियों का पर्चा कुछ कड़ा आ जाता है तो वे हड़ताल कर देते हैं क्योंकि हड़ताल करना उनका मौलिक अधिकार है।

श्रीमन्, शायद यह सुन कर इस सदन को आश्चर्य हो लेकिन बात सही है, कुछ दिन पहले की घटना है, १५ अगस्त को या इसी के आसपास फतेहगढ़ के पास विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा दल जिसमें चार, साढ़े चार सौ के करीब विद्यार्थी थे बिना टिकट लिये कन्नौज के लिये गाड़ी पर चले। रास्ते में एक आदमी ने पूछा कि बिना टिकट तुम लोग क्यों चले। उन्होंने कहा कि आजाद देश में टिकट लेने की क्या जरूरत? श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में मेरे मित्र यह चर्चा करेंगे कि यह मैंने किसी कटुता के कारण कहा लेकिन यह सही है कि विरोधी दलों में से एक दल के विद्यार्थी उसमें प्रमुख थे जिन्होंने यह कहा कि हम सबको अधिकार है कि हम बिना टिकट चलें। फतेहगढ़ से थोड़ी दूर उनको रोका गया। रोक कर उनको उतारा गया और वहां पर कुछ

[**] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिये गये।

लोग जिनको यह हक था कि वे उन विद्यार्थियों को रोकें बिना टिकट चलने से उनमें से शायद कुछ आदमियों को चोट भी आयी। (लाल बत्ती जलने पर) यह रोशनी, श्रीमन्, १५ मिनट की है ?

श्री उपाध्यक्ष---जी हां, आपको १५ मिनट का समय है। मैंने यह तय किया है कि मैं मंत्रियों को तो विरोधी दलों के नेताओं के समकक्ष समझूं और उपमंत्रियों को तथा अन्य साधारण सदस्यों के लिये १५ मिनट का समय दूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, आपकी व्यवस्था ठीक ही है, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं और न मैं खुद इस अन्दाज से बोल रहा था कि आध घंटे का समय मिलेगा, लेकिन चूंकि आपने कौंसिल आफ मिनिस्टर्स का जिक्र किया था, इसलिये मैंने समझा कि ....

श्री उपाध्यक्ष---आप गलतफहमी में थे इसलिये मैं ५ मिनट आपको और दे रहा हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---धन्यवाद। श्रीमन्, मैं जिक्र कर रहा था कि आज इस प्रदेश में और इस देश में इसी प्रकार की लिबर्टी का प्रदर्शन हो रहा है और आज यह जो प्रस्ताव है इस प्रदेश के सामने, वह भी इसी प्रकार की लिबर्टी का एक प्रदर्शन है। कौन से मौलिक अधिकारों का अपहरण है इस प्रदेश में ? झारखंडेराय जी की बात समझ में आ सकती है। वे कहते हैं कि मजदूरों को जो कुछ होना चाहिये था वह नहीं हुआ, फूड पालिसी के संबंध में जिन टार्गेट्स का जिक्र था वे पूरे नहीं हुये। कहा जाता है कि पहली पांच साल की योजना में जो लक्ष्य रखे थे उनकी पूर्ति नहीं हुई। हालांकि ये बातें मौलिक अधिकार की नहीं हैं लेकिन कुछ नीतियों का प्रश्न जरूर है और समझ में आ सकती हैं। जब दो पीढ़ियों का संबंध होता है तो पुरानी पीढ़ी के विचार हमेशा दरवाजा खटखटाया करते हैं, मानवता को जगाने के लिये। आज इस सारे देश में एक ओर तो व्यक्ति की स्वाधीनता और स्वतंत्रता का विचार है जिसका रेप्रेजेन्टेशन जनतंत्र प्रणाली के द्वारा होता है और दूसरी ओर वे विचार हैं जिनको सारे संसार में कम्युनिज्म के नाम से कहते हैं, जिनके प्रतिनिधि इस प्रदेश में हमारे झारखंडेराय जी हैं। लेकिन मुझे केवल यह निवेदन करना है कि व्यक्ति के विकास या जनतंत्र शासन प्रणाली के विकास का अर्थ किसी तरह भी उच्छृंखलता या अनुशासनहीनता नहीं है और अगर उच्छृंखलता या अनुशासनहीनता ही उसके माने हैं और उसी के मापदंड द्वारा वह मापी जायगी तो, श्रीमन्, संभव है कि जिस ऐतिहासिक परीक्षण को हमने प्रारम्भ किया है इस देश में, उसमें कुछ कठिनाइयां आ पड़ें। इस देश में बहुत सी कमियां हैं। यहां की जन संख्या अधिक है, भूमि की पैदावार कम है, सिंचाई का पूरा प्रबंध नहीं है, भूमि के संबंध में जो किया जाना चाहिये था वह आज नहीं हो पाया है और उसके बाद अनेक आर्थिक कठिनाइयां हैं, जो हमारे सामने हैं और उन सबको समाप्त करने के लिये इस प्रदेश में और देश में एक ऐतिहासिक परीक्षण, अहिंसक परीक्षण हो रहा है और इस प्रदेश की सरकार भी अपनी त्रुटियों और कमियों के होते हुये भी इसको कामयाब बनाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन हमारे मित्र जो कि बार-बार और न जाने कितनी बार जिन चीजों की चर्चा करना चाहते हैं उसके लिये मैं केवल एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं और वह इसलिये नहीं कि मेरे हृदय में क्षुब्धता है या कोई दिक्कत है, बल्कि इसलिये कि वह हमारे इस सदन के साथी हैं, इसलिये भी कि उनका हिस्सा इस देश की स्वतंत्रता में रहा है, मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि इतिहास आज एक महान् चुनौती दिये बैठा है उनको और हम को और यही नहीं, बल्कि इतिहास निस्संदेह आज एक चेतावनी भी देना चाहता है। आज वह रोज अपनी पुस्तकों को पढ़ कर एक ही बात की चिन्ता और चर्चा किया करते हैं और उनका एक मात्र ध्येय सा है कि जो यहां मेजारिटी पार्टी है उसको माइनारिटी कर दिया जाय और माइनारिटी को मेजारिटी कर दिया जाय .....

श्री राजनारायण---अभी सात बरस और पढ़िये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उनको चर्चा करने की स्वतंत्रता है, किन्तु, श्रीमन्, इतनी चेतावनी निस्संदेह है कि यदि इस सारी उच्छृंखलता और स्वधीनता को प्रश्रय दिया जायगा

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

जो कि इस प्रदेश में उनके द्वारा और उनकी विचारधाराओं के द्वारा निरंतर बढ़ रही है और उसी के अनुसार कार्य किया जायगा तो निश्चित है कि यहां की शांति में कठिनाई पड़ेगी और निस्संदेह इतिहासवेत्ता उसको स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मंत्री जी ने कहा कि जबरदस्ती करते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस डिब्बे में १२ या १६ आदमियों की कैपेसिटी लिखी हो उसमें अगर ३२ आदमी चलते हैं तो जनता का क्या कर्त्तव्य हो जाता है, वह स्पष्ट कर दें।

श्री राजनारायण---उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---आप सोशलिस्ट पार्टी वाली बात न कहें। आप बैठिये। आपके बारे में कुछ नहीं कहा गया और न आपका नाम लिया गया और न सोशलिस्ट पार्टी का। इसलिये आप बार-बार दखल न दें। मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप बैठिये।

श्री राजनारायण---मैं बैठ रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारा यह निश्चय है कि जिस गाड़ी में १२ आदमियों के बैठने की जगह हो और अगर २० आदमी बैठे हों तो हम नियम तोड़ेंगे, हम १२ बैठायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिये। वहां आप चाहें तो सत्याग्रह करवा लें, मैं आपको रोकूंगा नहीं, परन्तु यहां बैठिये।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम विरोधी दल के नेताओं को धन्यवाद देना जरूरी समझते हैं जिनके संयुक्त हस्ताक्षर से यह अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ है। उसके कारण ही हमें यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हमें इस सरकार के खिलाफ इतने एजीटेशन, सत्याग्रह और अनशन आदि का उपयोग करके थक जाने के बाद इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर मिला।

अभी जनता के मौलिक अधिकारों के बारे में जब कुछ विरोधी दल के सदस्य बोल रहे थे तो उस तरफ से आवाजें उठी थीं। उसका दायरा अब निश्चित हो चुका है। वर्तमान सरकार द्वारा जनता के मौलिक अधिकारों के अपहरण का अंग्रेजी जमाने से मुकाबला करना कोई विशेष जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आज जनता के जो मौलिक अधिकार संविधान में गारन्टीड हैं उनकी ओर देखते हुये उसकी जितनी अवहेलना इस सरकार के द्वारा की गई है उतनी तब नहीं की गई थी, हालांकि अंग्रेजी जमाने में कोई विधान नहीं था पर तब भी इस प्रकार से अवहेलना नहीं हुई। वह एक एलियन हुकूमत थी, उसको निकालना हमारा फर्ज था जो हमको करना चाहिये था। लेकिन आज यह सरकार और हम भी दोनों एक विधान से बंधे हुये हैं। उस विधान की जब अवहेलना होती है तो उसके विरुद्ध हमें आवाज उठाना जरूरी होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अन्दर जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जिसके अनुसार हमको राइट्स मिले हुये हैं उनके अनुसार सरकार से अपनी जान माल की हिफाजत की मांग करना हमारा फर्ज है। विधान के अनुसार जो हमारी वास्तविक स्वतंत्रता है वह हमें नहीं मिलती है तो सरकार से लेना हमारा फर्ज है। हम सरकारी पक्ष के लोगों के सामने यह बात रखना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या मजदूरों को यह हक़ नहीं है कि वह सरकार से डीसेंट लिविंग की मांग करें जिससे वह अच्छी तरह से रह सकें ? यह उनको मिलना क्या उनका मौलिक अधिकार नहीं है ? अभी कानपुर और मोदीनगर में जो कुछ हो रहा है वह क्या मौलिक अधिकारों का अपहरण नहीं है ? एक ओर उनको कारखानों से निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ कपड़ा मिलों के अन्दर इकट्ठा हो रहा है।

क्या यह हमारे मजदूरों के मौलिक अधिकारों का इस प्रदेश में अपहरण नहीं किया जा रहा है? अगर यह अपहरण नहीं है तो फिर दूसरी क्या चीज हो सकती है? हमारे चीनी कारखानों में पिछले १० वर्ष पहले से ८० हजार मजदूर काम करते आ रहे थे लेकिन आज उनकी संख्या ६५ हजार रह गयी है। उनमें से ८, १० कारखाने बन्द हो चुके हैं। १५ हजार बेकार मजदूरों के परिवार आज खाने बिना परेशान हो रहे हैं। उनमें अधिकांश लोग उसी इलाके के रहने वाले थे जहां पर आज लोग सूखे और बाढ़ से ज्यादा पीड़ित हैं। तो क्या यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? वे इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस सरकार ने मिल बन्द न होने देने के लिये क्या प्रयत्न किया? आज गन्ना सोसाइटीज में सम्मिलित होने के लिये किसानों को मजबूर किया जाता है। मुझे याद है कि इस तरह के कई मुकदमे चल चुके हैं। इस सरकार के जो कानून हैं वह हमारी फ्रीडम आफ मूवमेंट का भी अपहरण करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे मौलिक अधिकार नहीं हैं जो संविधान के अन्दर हमको गारन्टीड किये गये हैं?

संविधान में यह भी कहा गया है कि हमारे उद्योग-धंधों को तरक्की दी जायगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इसमें क्या किया? मैंने स्वयं इस सरकार से बीड़ी मजदूरों के संबंध में प्रश्न किये थे और यह पूछा था कि बीड़ी उद्योग में जो पचासों हजार मजदूर काम करते हैं उनकी वर्किंग कन्डीशन्स की क्या सरकार जांच करायेगी? क्या सरकार का यह फर्ज नहीं है और उन मजदूरों का यह मौलिक अधिकार नहीं है कि उस उद्योग की सरकार जांच कराये? क्या वे सरकार से यह मांग न करें कि उनको भी डिसेंट लिविंग मिलनी चाहिये? क्या इस बात से इंकार उनके मौलिक अधिकारों का अपहरण नहीं है?

हम फिर सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस सरकार ने खेतिहर मजदूरों की समस्या को सुलझाने के लिये इस प्रदेश में क्या किया है जिसकी संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार कई लाख है? उनके पास खेत नहीं हैं। उनके लिये सरकार ने आज तक क्या किया? क्या उनके लिये यह मौलिक अधिकारों का प्रश्न नहीं है? आज खेतिहर मजदूरों की संख्या हमारे प्रदेश में बढ़ती जाती है, सरकार उनकी कोई भी दवा नहीं कर पा रही है। अब किसानों के पास थोड़ी बहुत जमीन है। उसको बढ़ाने का सवाल तो अलग, उसकी उन्नति नहीं की जा रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जितनी जोतें हैं वह क्या छोटी नहीं हुई हैं और छोटी होने के बाद किसानों की हालत जो पहले ही खराब थी वह और भी खराब नहीं हो गई है? उसको सुधारने के लिये क्या उनको तरक्की के साधन दिये गये हैं और सूखा और बाढ़ से बचने के लिये उनकी रक्षा का प्रबन्ध किया गया है?

मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से कि सन् ३७ से आज तक कांग्रेस सरकार प्रदेश पर शासन कर रही है, उसी समय से घाघरा, राप्ती और गंडक आदि नदियों में जो बाढ़ आती है उससे बचाने के लिये, पानी का प्रबन्ध करने के लिये, बिजली के उत्पादन के लिये और इस प्रकार सूखा और बाढ़ की समस्या को हल करने के लिये २० वर्षों से हम कांग्रेसी सरकार से कह रहे हैं, स्वतंत्रता मिले भी आज १० वर्ष हो गये, मैं पूछना चाहता हूं कि उसने कौन सा ऐसा प्रयत्न किया है जिससे लोगों को इन तूफानी नदियों की बाढ़ से बचाया जा सके और बाढ़ तथा सूखा की समस्या को हल किया जा सके? क्या यह जनता के फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं? करोड़ों मन गल्ले का हर साल नुकसान होता है जिसके बिना हर साल लोग भूखों मर जाते हैं। अगर उसके निराकरण के लिये आप एक वर्ष में २०० करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकते तो दस साल की योजना आप क्यों नहीं बनाते और हर साल २० करोड़ रुपया खर्च करके जनता को इस मुसीबत से छुटकारा क्यों नहीं दिलाते? मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जो सरकार ऐसा नहीं कर पायी, उस सरकार के विरुद्ध अगर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें किसी को क्या ऐतराज है और क्यों न वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जाय?

[श्री मदन पांडेय]

दबी जबान से तो सभी इसको कबूल करते हैं कि सरकार की तरफ से ज्यादती तो होती है, सरकार में कमियां हैं फिर क्यों न वे डेमोक्रेसी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये इस अविश्वास के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास होने देते ? मैं नहीं समझता कि इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर और उसके इस्तीफा देने पर कोई भिन्न सरकार बनेगी, लेकिन इसके पास हो जाने से इतना अवश्य होगा कि लोगों को यह मालूम हो जायगा कि सदन के माननीय सदस्यों का जनतंत्र के सिद्धांतों में भरोसा है, उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। भले ही एक घंटे के बाद दूसरी हुकूमत इसी को क्यों न सौंप दीजिये लेकिन इस समय जितनी इसकी कमियों को देखा जा रहा है उनके लिये स्वतः उनको लज्जा होनी चाहिये। हमारे जान माल की रक्षा न करके यह सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष---सदन में शांति रखिये। माननीय वक्ता का भाषण हो रहा है, उसको सुनिये।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अध्यक्ष की ओर पीठ करके खड़े होकर सदन में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं।

श्री मदन पांडेय---मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जानमाल की रक्षा और हिफाजत पाना हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। सहजनवां में एक डकैती और एक कत्ल दिन दहाड़े हो गया। एक थानेदार ने एक आदमी को पीटते-पीटते मार डाला। इस प्रकार के अनेक केस सारी स्टेट में हो रहे हैं, उनकी सूचना सरकार तक पहुंचती रहती है लेकिन इसके प्रति सरकार उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करती है। क्या यह जनता के मौलिक अधिकारों का अपहरण नहीं है। बहुत से खाने बगैर मरते हैं, बहुत से हवालात में मारे जाते हैं, इससे बढ़ कर कलंक की बात और क्या हो सकती है ?

भ्रष्टाचार से रक्षा, यह भी एक हमारा मौलिक अधिकार है। जनता को ऐसी शासन प्रणाली प्राप्त करने का हक है जिसमें भ्रष्टाचार न हो। यह भी मौलिक अधिकारों में गारंटीड है। हम इसी आधार पर पूछना चाहते हैं और इसी असेम्बली में सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिये गये हैं कि १७-१८ लाख के गबन हुये हैं। यह तो पता लगा है, इससे भी अधिक का गबन वह हो सकता है। इस सरकार की नाक के नीचे क्या नहीं हो सकता जिसको ४-४ साल बाद गलतियों का पता चलता है, जो ४-४ साल के बाद हमारे सामने बजट को लाती है। तो हमें भ्रष्टाचार से रहित प्रशासन नहीं मिला है। इसीलिये मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एकमत से इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करिये।

शासन में नियुक्तियों के संबंध में सरकार की ओर से भेदभाव बरता जाता है लेकिन यह कांस्टीट्यूशन हमें गारंटी करता है कि किसी प्रकार का भेदभाव सेक्स के आधार पर नहीं होना चाहिये, किसी पद के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, बिरादरी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये। लेकिन अब भी बीड़ी कारखाने की स्त्रियों को पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं मिलती। सारे प्रदेश के जितने भी बीड़ी के कारखाने हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी इस बारे में जांच करायें, औरतों को मजदूरी पुरुषों से ४ आने कम दी जाती है। बनारस के कई मिनिस्टर बैठे हुये हैं, बनारस में लगभग १० हजार बीड़ी मजदूर औरतें काम कर रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह इक्वेलिटी कैसी चल रही है ? जहां सेक्स के आधार पर इन सब चीजों में भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये वहां हमारे मौलिक अधिकारों का अपहरण इस सरकार ने किया है। पूछा जा सकता है कि आखिर ये जो हड़तालें होती हैं, या सत्याग्रह होते हैं या अनशन होते हैं, उनका जवाब सरकार के पास क्या है ? मैं सरकारी पक्ष के लोगों से और माननीय मंत्री लोगों से एक बात का जवाब चाहता हूं कि

यह प्रजातंत्र के नाम पर माननीय राजनारायण जी से और ये जो विरोधी दल के सदस्य हैं, उनसे आप यह तवक्को करते हैं कि हम आपकी हर बात गौर से सुनें और आपकी किसी बात का विरोध न करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा इस सरकार के मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि मैंने स्वयं नारायणी नहर, जिसकी लागत लगभग ६५ लाख रुपये आती है, उसमें लाखों की गड़बड़ी हुई और तजुर्बाविहीन व्यक्तियों द्वारा वह योजना कार्यान्वित की गयी, इसका आरोप लगा कर १० पेज में डिटेल्ड नोट दिया है, जिसके लिये माननीय मंत्री जी ने वादा किया था कि वे आज से एक हफ्ते के भीतर जांच करवा कर उस पर मेरे सामने डिसकस कर लेंगे, लेकिन मैं माननीय सिंचाई मंत्री से और पूरे मंत्रिमंडल से जानना चाहता हूं कि इस अविश्वास के प्रस्ताव के मार्फत मुझे मौका मिला है, मैं आशा करता हूं कि वे इसका जवाब देंगे कि आज तक उसका जवाब मुझे क्यों नहीं मिला। जब खुल कर आरोप लगाया जाता है तो उस आरोप का कोई जवाब नहीं मिलता और उसके बाद आप कहते हैं कि हम सत्याग्रह न करें, हम अनशन न करें, हम हड़ताल न करें। आखिर कौन सा तरीका है, जिससे हम आपका ध्यान इन कमियों की ओर आकर्षित कर सकें? प्रस्ताव पास किया गया, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। डेलिगेशन आया, कांफ्रेंस हुई, अनशन हुआ, सर्वदलीय समिति बनी, उसे भी तोड़ दिया गया और कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहां की जनता आंख लगाये बैठी हुई है, लेकिन उस आंख लगाने वाली जनता के ऊपर कोई ध्यान इस सरकार का नहीं गया है और उसके मौलिक अधिकारों का अपहरण किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आप इस सरकार में अविश्वास का इजहार करें और इस अविश्वास के प्रस्ताव को अवश्य पास कीजिये। कांग्रेसी बेंच के लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि वे भी इसको पास करने में हमारा साथ दें। इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है। एक घंटे के बाद वे फिर उन्हीं मंत्रियों को उन कुर्सियों पर बैठा सकते हैं लेकिन इससे यह चीज अवश्य साबित होगी कि आपने डेमोक्रेसी की इज्जत की और आपने उसके लिये कुछ कुरबानी की।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में जितने भाषण, खासतौर से जो अपोजीशन के हुये, उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना। जिस समय श्री झारखंडेराय जी जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, अपना भाषण दे रहे थे तो मुझे सन् १९४२ की याद आयी। सन् ४२ में जब इस देश के अन्दर एक जनतांत्रिक महाक्रांति का आन्दोलन चल रहा था तो उस महाक्रांति को दबाने और कुचलने के लिये उसी कम्युनिस्ट पार्टी ने जिसकी सांठ-गांठ उस समय ऐंग्लो अमेरिकन ग्रूप से थी, यह आवाज उठायी थी कि यह पिपुल्स वार" और "पीपुल्स वार" होने के नाते अंग्रजों की मदद करनी चाहिए। वह पार्टी जिसकी डेमोक्रेसी में कोई आस्था ही न हो, उस पार्टी का नेता हमसे इस भवन में इस तरह की बात कहे और हमको सिखाये कि डेमोक्रेसी यह है, और मौलिक अधिकार यह है, मेरी समझ में नहीं आता। यही तो कांग्रेस की जनतंत्र को सबसे बड़ी देन है।

इसके अलावा हमारे माननीय पांडेय जी ने कुछ बातों का जिक्र किया, जैसे बाढ़, नहरें, ट्यूबवेल्स आदि-आदि। श्रीमन्, मैं उन सब बातों में जाना उचित नहीं समझता कि उन सब बातों के लिये सरकार ने कितना रुपया लगाया और नहरों और ट्यूबवेल्स में सरकार ने कितना रुपया खर्च किया। अगर आज हम इस बात की आशा करें कि ८,१० साल की सारी बातें यही कही जायं कि सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है और किन-किन कमियों को हटाती जा रही है, तो मैं समझता हूं कि यह सब फिजूल होगा। जहां तक नो-कांफिडेंस का सवाल है हमारी पार्लियामेंटरी पद्धति में विरोधी दल को यह कांस्टीट्यूशनल अधिकार है कि वह सरकार के खिलाफ नो-कांफिडेंस मोशन ला सके। लेकिन नो-कांफिडेंस मोशन लाने के दो ही परपज

[श्री नवलकिशोर]

विरोधीदल के हो सकते हैं, या तो विरोधीदल यह समझे कि उसके पास अब इतनी शक्ति हो गयी है कि वह एक सरकार को हटा कर स्वयं सरकार बना सकता है और दूसरे यह कि वह सरकार की रीति-नीति पर टीका-टिप्पणी कर सके। संख्या शलिका प्रश्न है नहीं जब मैंने इस प्रस्ताव के आने की बात एजेंडा में पढ़ी तो मैंने समझा कि क्योंकि आजकल सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के संबंध में भावनायें जाग्रत थीं इस कारण से यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है लेकिन जब मैंने आज सुना कि लोहिया जी को छोड़ दिया गया है तो मुझे ऐसा लगा कि यह माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी के लिये एक संतोष का विषय अवश्य हुआ होगा। यही कारण है कि कुछ कहने को रह नहीं गया "दी विंड वाज आउट आफ सेल्स" (The wind was out of sails) जो कुछ कहा गया उसको मैं क्या कहूं, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं "बीटिंग एबाउट दि बश"। जो बातें कही गईं उनमें कोई ऐसे सीरियस चार्जेज नहीं लगाये गये कि जिनके आधार पर कोई अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता हो।

मैं एक चीज, जैसा कि मैंने अभी आप के सामने कहा था कि आपोजीशन का यह अधिकार है और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस ओर संकेत किया कि यह विरोधी दल के पास बहुत बड़ा हथियार है और एक बड़ा अधिकार है लेकिन आज जिस तरीके से उसका इस सदन में विरोधी दल के द्वारा इस्तेमाल किया गया, मैं मजबूर हूं यह कहने के लिये कि उस संबंध में हमारे विरोधी दल ने बहुत गैरजिम्मेदारी से काम किया। और जनतंत्र के साथ एक खिलवाड़ की है। मैं जानता हूं कि हमारे विरोधी दल में कुछ बुजुर्गवार हस्तियां हैं, जैसे माननीय त्रिलोकी सिंह जी हैं, माननीय गेंदा सिंह जी हैं, पालीवाल जी हैं मैं समझता था कि उनके होते हुए यहां पर जिम्मेदारी के साथ बातें कहीं जायंगी। मेरा खयाल है कि जनतंत्र में विरोधीदल का भी एक खास रोल होता है, कुछ उनकी भी ड्यूटी होती है। मेरा इसलिये यह समझना स्वाभाविक था कि ऐसी हस्तियों के होते हुये विरोधीदल जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज अदा करेगा और पार्लियामेंटरी पद्धति को नई शक्ति देगा और शासन को सुदृढ़ बनाने के लिये अच्छे सजेशन देगा। मैं नहीं समझ सका कि उनकी क्या दिक्कत और कठिनाई रही जिसके कारण आज के उधर के भाषणों में कोई संजीदगी नहीं दिखाई पड़ी।

मान्यवर, नेता सोशलिस्ट पार्टी ने महात्मा गांधी की बात कही, बहुत सी बातें कहीं। उनके बारे में मैं यह चाहता था कि अच्छा होता कि वह महात्मा जी का नाम न लेते, क्योंकि जितने भी आन्दोलन या सत्याग्रह देश में सोशलिस्ट पार्टी नें किये मेरा निश्चित मत है कि उनमें से किसी भी आन्दोलन को गांधी जी के शब्दों में सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता। दूसरे उनके जो टैकटिक्स हैं, जो उनका मैनोवरिंग है जो स्ट्रेटेली है . वह ऐन्टी-गांधियन है और गांधी जी के दर्शन के विरुद्ध है। वह अपने इनडिसिप्लिन्ड तरीकों को इस्तेमाल कर के गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहते हैं और चाहें उनकी मांगें कितनी ही गलत और बेबुनियाद क्यों न हों उनको वह मनवाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि सरकार उनको माने। उन्होंने सेक्शन १४ की बात कही, सेक्शन १७ की बात कही, सेक्शन २३ की और सेक्शन २४ की बात कही और यह साबित करने की कोशिश की कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिये गये हैं उनकी पूर्ति में कमी है। मान्यवर, हमारा यह दावा नहीं है कि जितने मौलिक अधिकार संविधान में दिये गये हैं सभी की पूर्णतया पूर्ति हो चुकी है। लेकिन आज हमको इस बात को सोचना है कि एक ऐसा प्रदेश जो इतना पिछड़ा हुआ है जिसकी इतनी बैकवर्ड इकोनामी है, उसकी इकोनामी डेवलप करने में कितना समय लगेगा। इस सम्बन्ध में चीन और रूस की बात कही जाती है। हमारे भाई झारखंडे राय जी नहीं हैं। उनको मालूम होगा कि मायोत्से तुंग यह बात मानते हैं कि चीन अभी समाजवाद से बहुत दूर है। सोवियट यूनियन में भी ख्रुश्चेव यह मानते हैं कि वह समाजवाद से अभी बहुत दूर हैं। जबकि अधिनायकवादी देशों में इतना समय लग रहा है तब फिर प्रजातांत्रिक ढंग से तो देर लगती ही है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—प्वाइंट आफ आर्डर। यह माननीय सदस्य यहां रूस और चीन की व्यवस्था पर भाषण दे रहे हैं? अगर रूस और चीन की व्यवस्था पर भाषण दे रहे हों तो स्कोप बहुत लम्बा होता है और बड़ वाद-विवाद का प्रश्न हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं पहले आप से निवेदन करूंगा कि इस किस्म का मौका व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर नहीं लेना चाहिए। यह केवल वहां की नीति का जिक्र कर रहे हैं। वह कम्युनिस्ट पार्टी को सुनाना चाहते हैं। आप इनकार कर दीजिये कि हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं कि वे ऐसा न कहें। आप अपने भाषण में जवाब दे दीजियेगा। यह व्यवस्था के प्रश्न का विषय नहीं बन सकता।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, चीन और रूस की बात उनको नापसन्द आयी है। लेकिन चूंकि सच्ची बात थी इसलिये मैंने थोड़ा सा संकेत कर दिया था।

मैं यह बात कह रहा था कि आज इस प्रदेश की सरकार से यह आशा करना कि तमाम चीजें पूरी कर दे, रोटी देने की बात, कपड़ा देने की बात, शिक्षा देने की बात, जितनी भी बातें हैं वे सब की सब इन आठ, दस सालों के अन्दर पूरी हो जायं, ऐसी बात सम्भव नहीं है।

हमारे भाई पांडेय जी ने बहुत सी बातें कहीं और काफी आवेश में उन्होंने कहीं। लेकिन सिवा जनरल बातों के कोई बात नहीं बतायी, कोई स्पष्ट बात नहीं बतायी कि इस अमुक बात के अन्दर यह सरकार बिल्कुल नाकामयाब हुई, इसलिए हट जाना चाहिए। यह हो सकता है कि जितनी वह हमसे आशा करते थे उस हद तक कामयाब न हुए हों, लेकिन यह कह देना कि सरकार ने इन सब बातों को पूरा करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया मैं समझता हूं कि यह बिलकुल असत्य और गलत बात है।

श्री मदन पांडेय—मैंने सभी चीजों के उदाहरण दिये हैं।

श्री नवलकिशोर—माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि उनके अधिकारों का अपहरण कैसे होता है, उसके लिये बहुत सी बातें बतायीं। हरिजन समस्या का जिक्र किया। जहां तक उसकी प्रोपेगेंडा वैल्यु का सम्बन्ध है उसमें उनको जो कुछ भी फायदा हो, उसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन यह बात अपनी जगह पर सही है कि बावजूद इसके कि हमारे संविधान में यह सब बातें हैं, हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि इसमें काफी वक्त लगेगा। हरिजन भाइयों के लिये भी १० साल के अन्दर क्या नहीं किया गया, कौन सी बात थी जो उनसे छिपी हुई है? यह बात सही है कि हमारे भाई राजनारायण जी इस बात की कोशिश करते हैं और हमारा यह दुर्भाग्य है कि और विरोधी दल भी, जो कुछ भी उसके कारण हों, वह भी उनकी इस बात को सहन करते हैं कि सरकार की हर तरीके से हर मौके पर सही या गलत बुराई की जाय। हम देखते हैं कि देश की आजादी के बाद से जो विरोधी दल का एक जिम्मेदाराना तरीका होना चाहिये था काम करने का, बजाय इसके एक अनुशासनहीनता को इस प्रदेश के अन्दर बढ़ाने की कोशिश की जाती है, मजदूरों को भड़काया जाता है कि काम न करें, कम करें, धीरे-धीरे करें ताकि इस प्रदेश का उत्पादन कम हो जाय। विद्यार्थियों को भड़काने की कोशिश की जाती है। इस तरह से सारे देश में अनुशासनहीनता की बात की जाती है।

यही नहीं जो हमारे कानून हैं उनको तोड़ने की एक प्रवृत्ति इस प्रदेश के अन्दर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, मैं आप के द्वारा विरोधी दल के भाइयों को इस बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूं कि सम्भवतः वह यह समझते हों कि ऐसी टैक्टिक्स से इस सरकार को थोड़ा सा सर दर्द होता है। हो सकता है। लेकिन यदि इसी तरीके से उनकी कार्य शैली आगे भी रही तो मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, यह तो सम्भव हो सकता है कि वह कांग्रेस पार्टी को कमजोर बना सकें, लेकिन कोई दूसरी प्रजातान्त्रिक पार्टी के आधार पर अपनी कोई पार्टी का निर्माण कर सकेंगे, इसमें मुझे पूर्ण संदेह है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप जो प्रजातन्त्र की बात बार-बार करते हैं, उसके अन्दर जो साथी उधर बैठे हुए हैं और इधर बैठे हुए हैं उन दोनों का बराबर का हाथ है। किसी देश के अन्दर जहां जनतान्त्रिक प्रणाली को अपनाया गया हो, उस पार्लियामेन्ट्री पद्धति में सरकारी दल कितना ही उदार

[श्री नवलकिशोर]

क्यों न हो अगर विरोधी दल उसी उदारता के तथा सहयोग के साथ काम करने को तैयार नहीं है तो उस देश के अन्दर जनतन्त्र चल नहीं सकता, मजबूत नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता।

जहां तक फ्रीडम्स की बात कही गयी, मैंने सेक्शन १९ को पढ़ा, उसमें बहुत सी फ्रीडम्स दी हुई हैं मगर, मान्यवर, मुझको कहीं भी ऐसा प्रावीजन नहीं मिला जहां कि कानून को अपने हाथ में लेने की आजादी दी गई हो। मैं यह देखता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी नाम तो सत्याग्रह का लेती है मगर चाहती है कि कानून को अपने हाथ में लिया जाय। उनके सत्याग्रह की यह मांग उचित हो सकती थी कि जो विदेशियों की स्टेचूज़ हैं उनको हटाया जाय, मगर उनको अपने हाथ से हटाना और तोड़ना यह तो कानून को अपने हाथ में लेने की बात की गई थी। मैं समझता हूं कि यह कोई डेमोक्रेटिक तरीका सत्याग्रह या आन्दोलन का नहीं है। तो सोशलिस्ट पार्टी बार-बार इस बात का लांछन डालती है हम पर कि हम जनतन्त्र का गला घोंट रहे हैं। मान्यवर, मेरा विश्वास है कि जो तरीके सोशलिस्ट पार्टी ने अब तक इस्तेमाल किये हैं और जिनका प्रदर्शन इस हाउस में भी होता रहता है वक्तन फ़वक्तन, अगर वही उनके तरीके हैं तो मुझे विश्वास है वह पार्टी बजाय डेमोक्रेसी के शायद इस देश के अन्दर फ़ासिज्म अपनाना चाहती है।

मैजिस्ट्रेसी, जुडिशियरी की बहुत सी बातें कही गयीं। म डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, केवल इतनी बात कहूंगा कि नेता, समाजवादी दल ने स्वयं अपने भाषण में अपने आप को कांट्रेडिक्ट किया है इस माने में कि कहीं तो वह यह कहते हैं कि सरकार जुडीशियरी को इंडिपेन्डेन्ट होने देना नहीं चाहती और खुद उनकी अपील पर कैद का कम होना इस बात का सबूत है कि इस प्रदेश के अन्दर जुडिशियरी बिलकुल आजाद है और यही नहीं इससे पहले भी जुडिशियरी ने ऐसे फ़ैसले दिये हैं कि आपके यह, यह कानून अल्ट्रावायरस हैं और एक दफ़ा डाक्टर लोहिया को छोड़ा भी गया था। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के चार्जेज़ बिलकुल गलत हैं।

एक शब्द और कहना चाहता हूं अन्त में। मैं उधर बैठे हुये माननीय साथियों से यह अपील करना चाहता हूं कि वे बहुत ठंडे दिल व दिमाग से सोचें और इस तरह के खिलवाड़ करने के इस बात की कोशिश करें कि हमारे प्रदेश के अन्दर एक ऐसा वातावरण पैदा हो, जिसमें हम लोग सहयोग के आधार पर, सच्चे माने में मजबूत जनतंत्र स्थापित कर सकें।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि इस निरंकुश सरकार के ऊपर एक बार करने का हमको भी मौका आपने दिया। माननीय राजनारायण जी का जो नो-कान्फीडेंस मोशन है उसमें तीन प्रश्न पैदा होते हैं। पहला प्रश्न पैदा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में जैसा कि संविधान में गारन्टी की गयी है कोई फंडामेंटल राइट्स हैं? दूसरा सवाल पैदा यह होता है कि क्या एक फ्री स्टेट में किसी व्यक्ति को सत्याग्रह करने का राइट है? और तीसरा सवाल पैदा होता है, श्रीमन्, कि सरकार के जो तरीके हैं क्या वे तरीके प्रजातांत्रिक हैं? इन तीनों प्रश्नों पर मेरा पहले तो निवेदन यह है और मेरा दावा है कि उत्तर प्रदेश के मन्त्रिमंडल में ९९ फीसदी सदस्य यह नहीं जानते हैं कि हिन्दुस्तान के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। जब उनको इस बात का ज्ञान नहीं. . . .

एक सदस्य--आप तो जानते हैं?

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--मैं जानता हूं। मैं जानता हूं और मेरा, श्रीमन्, दावा यह है कि हिन्दुस्तान की किसी भी अदालत में अगर इस बात का इम्तहान हो तो उत्तर प्रदेश के मंत्रि-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंडल के १०० फीसदी मिनिस्टरों को हरा दूंगा। इसलिए कि मेरा दावा है और मैं जानता हूं कि फंडामेंडल राइट्स क्या हैं। एक दूसरा और निवेदन करना है और वह यह कि सही बात तो यह है कि फंडामेंटल राइट्स जितने हिन्दुस्तान में गारंटी किये गए हैं वे इस हिन्दुस्तान की इतनी कुरबानी के बाद बहुत नाकाफी हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात हमारे माननीय नवल-किशोर जी ने अभी फरमायी, फंडामेंडल राइट्स की बात अगर जाननी है तो आर्टिकिल ११८ आफ रशन कांस्टीट्यूशन से लेकर आर्टिकिल १५८ तक देखें। फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, राइट्स टु वर्क, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, राइट टु रेस्ट ऐंड लेज़र। कौन से फंडामेंटल राइट हमारे पास हैं? हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे हैं राइट्स आफ एक्सप्रेशन ऐंड स्पीच, वे हैं राइट टु असेम्बल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आज वे भी डिनाइड हैं।

हमको इस बात को कहने में कोई भी संकोच नहीं और मैं चाहूंगा कि सारे संसार के अखबार इस बात को जान लें कि उत्तर प्रदेश जितना बड़ा प्रिजन हाउस आज सन् १९५७ में है उतना बड़ा प्रिजन हाउस उत्तर प्रदेश कभी नहीं रहा। आज जितने फंडामेंटल राइट्स का अपहरण होता है उतना कभी नहीं हुआ। एक उदाहरण, श्रीमन्, आपके सामने दूं, सन् १९५६ में उरई नगर में एक साम्प्रदायिक दंगा हुआ। एक कौम का एक आदमी मारा गया। दूसरी कौम के सात आदमियों की लाशें पोस्टमार्टम में आयीं, वैसे २० मारे गए, १० लाख रुपये का माल जलाया गया, १०० दूकानें लूटी गयीं, २० घर जलाए गए, मगर, श्रीमन्, क्या फंडामेंटल राइट्स का मजाक उत्तर प्रदेश में है कि जिस कौम के सात लोगों की हत्यायें दिन दहाड़े हुईं, कलेक्टर के सामने हुईं, कप्तान के सामने हुईं, जिनके दिन दहाड़े घर जलाये गए, उनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं चला, एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ! तो क्या हम यह कहें कि उत्तर प्रदेश में फंडामेंटल राइट्स लोगों के हैं? क्या हम कहें कि उत्तर प्रदेश में ईक्वल प्रोटेक्शन आफ दी लाज है? आज उत्तर प्रदेश की सरकार का फंडामेंटल राइट्स को पामाल करने का जो तरीका है वह यह है कि हम जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जायंगे तो वह जनरल डायरी में जांच तलब रिपोर्ट लिखी जायगी। हम कहेंगे कि २० आदमी कत्ल हो गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसका कारण है कि आज हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं और अगर वह इत्तफाक से कांग्रेस का आदमी हो, मैं फंडामेंटल राइट्स को इस रिलेटेड तरीके से भी पेश करना चाहता हूं, तो वह जो एक झूठा राइट है वह कांग्रेसमैनों का फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा हो जाता है। कांग्रेस के विरोध में चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो या पी० एस० पी० हो उसका सही से सही फंडामेंटल राइट झूठा हो जाता है। फंडामेंटल राइट के इस प्रकार दो तरीके होते हैं। एक तो होता है मिसस्टेटमेंट आफ फैक्ट्स और दूसरा होता है मिसरिप्रेजेंटेशन आफ फैक्ट्स। जिस फंडामेंटल राइट में मिसइंटरप्रिटेशन का सवाल होता है वह तो क्वेश्चन आफ ला है और जिस में मिसरिप्रेजेंटेशन आफ फैक्ट्स होता है वह बात को छिपाने से, झूठ बोलने से ताल्लुक रखता है। मिसरिप्रेजेन्टेशन आफ फैक्ट्स की मिसाल के लिये मैं लखनऊ की जेल में जो कांड हुआ उसको लेता हूं। उसमें २० आदमियों के चोटें आयीं। इस प्रदेश की सरकार ने इस बात को जस्टीफाई करने की कोशिश की कि सरकार की तरफ से लाठी नहीं चली। यह कैसी लाठी चली, जिसमें खून नहीं आया? इस लीगल मेडिकल जुरिस्प्रुडेंस के ज्ञान पर मोडी और काक्स का जूरिस्प्रुडेंस पढ़ कर सुना दिया गया। जुरिस्प्रुडेंस में लिखा है कि इस तरह से लाठी की चोट नहीं आ सकती। जिनको थोड़ा बहुत इस बात का ज्ञान है कि फैक्ट्स का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है वे य: जानते हैं कि चोट आने के तरीके का सब से बड़ा जज हो सकता है तो वह मेडिकल एक्सपर्ट हो सकता है, मिनिस्टर नहीं हो सकता। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने या किसी मंत्री महोदय ने किसी मेडिकल एक्सपर्ट से यह पूछने की कोशिश की कि क्या ये इंजरीज केवल ढकेलने से या फ्रिक्शन से आ सकती है। यह अविश्वास का प्रस्ताव चूंकि सत्याग्रह से सम्बन्धित है मेरा आज भी दावा है कि इसने पूरे तौर से इस बात को साबित कर दिया, इस सदन के सामने साबित कर दिया और सदन के माननीय मंत्री भी इस बात को जानते हैं कि लखनऊ में जो लाठी

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

चार्ज हुआ वह असल में लाठीचार्ज ही था। लाठियां मारी गयी हैं। २०-२० आदमियों के जो चोटें आयी हैं वे पानी में नहीं बरसा करतीं। लेकिन ऐसा न मान कर जो बात कही जाती है वह मिसस्टेटमेंट आफ फैक्ट्स है। जब मिसस्टेटमेंट आफ फैक्ट्स पैदा हो जाता है और वह भी जब सरकार की तरफ से पैदा होता है तो बड़ी विकट परिस्थिति आ जाती है। जब सत्य के ऊपर आवरण डाला जाता हो, गवर्नमेंट से कोई बात कही जाय जो फैक्ट्स में तो सही हो लेकिन गवर्नमेंट उसे न माने तो समस्या बड़ी उलझ जाती है। मेरा जो यहां इतने दिनों का लेजिस्लेचर का तजुर्बा है, जो बहुत दिन का नहीं है, इन सब बातों को देख कर तबियत यही कहती है कि फिर मौका न मिले लेजिस्लेटर होने का क्योंकि अत्यन्त दुख होता है।

एक सदस्य—वैसे तो नहीं पड़ेगा।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—लेकिन अगर उधर से बैठे हुए कोई साहब चुनौती देंगे तो फिर मुझे आने का मौका पड़ेगा, उन्हीं को नहीं पड़ेगा। उसी तरफ के बैठने वाले को हरा कर आज भी आया हूं।

बीसियों एडजर्नमेंट मोशन आते हैं सदन के सामने जिनमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स नहीं दिया जाता। चाहे जौनपुर के मछओं का सवाल हो, चाहे मोदीनगर के मजदूरों का सवाल हो, चाहे कानपुर में वीरेन्द्र बहादुर की मूंछ उखाड़ने का सवाल हो, चाहे वह ओमप्रकाश जी की भूख हड़ताल का सवाल हो, चाहे गेंदा सिंह जी की भूख हड़ताल का सवाल हो, मगर हमेशा इस सरकार की फितरत है, नेचर है, तरीका है कि वह मिसस्टेटमेंट आफ फैक्ट्स करती है।

हमारे माननीय लक्ष्मीरमण जी ने फरमाया कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गयी कि विरोधी दलों ने इस बात का निश्चय किया कि इस गवर्नमेंट के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय। हां, आज अगर मैं विरोधी दलों के अपने मित्रों की भावनाओं को समझता हूं तो मैं यह जरूर कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में वह स्टेज आ गयी है। विरोधी दल ने बराबर और वक्त-वक्त पर इस बात को डिसकस किया कि यह अविश्वास का प्रस्ताव लाएं या न लाएं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि नहीं, अभी वह स्टेज नहीं आयी। जब यह अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ तो हमने यह उम्मीद की थी कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के लोग, मिनिस्टर्स आयेंगे विरोधी दल के पास, गिड़गिड़ाएंगे विरोधी दल वालों के सामने, अपनी सफाई पेश करेंगे। (हंसी) श्रीमन्, अगर हंसी भी कोई आर्गुमेंट होता हो तो उनका आर्गूमेंट अच्छा है। लेकिन अगर आर्गूमेंट कोई आर्गूमेंट होता है तो हमारा आर्गूमेंट अनअसरेबिल है और हमारा आर्गूमेंट तब सही माना जाता जब विरोधी दल की कद्र कोई इस सरकार के पास होती। आखिर यह विरोधी दल जो इस तरफ बैठा है वह एलेक्टोरेट के ६० परसेंट को रेप्रेजेन्ट करता है और सरकारी दल उत्तर प्रदेश के टोटल एलेक्टोरेट के ४० परसेंट को रेप्रेजेंट करता है। अगर यह सरकार जनतंत्र की परम्पराओं में विश्वास करती, अगर डेमोक्रेसी की जड़ मजबूत करना चाहती तो उसको विरोधी दल के पास आना चाहिये था, मगर इतना अहंकार! इतना अहंकार अपने बल पर!

यह सदन भी गौर करे। दुर्भाग्य से भारतवर्ष को जाने कितनी सदियों गुलाम रहना पड़ा, जाने कितने वर्षों गुलाम रहना पड़ा। हमारे मंत्रियों ने यह देखा कि अंग्रेज शासन कैसे चलाते थे। कभी फंडामेंटल राइट्स का सवाल उनके दिमाग में आया ही नहीं, उसका कोई तजुर्बा ही नहीं कि वह क्या हैं। इस वजह से उन्होंने देखा कि शासन चलाना चाहिये किसी तरह से और जिस तरह से अंग्रेज चलाते थे वैसे चलाना चाहिये। नतीजा यह हुआ कि यह क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट जो कि, श्रीमन्, १९०८ में ११ दिसम्बर को केवल एक ही दिन में पास कर दिया, "This black law was enacted in one day in 1908." उसके बाद उसमें सन् १९३२ में अमेंडमेंट हुआ। १९३२ में ही स्पशल पावर्स एक्ट भी आया। हाईकोर्ट ने इस

बात का फैसला किया कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट अल्ट्रा वायरस है । होना तो यह चाहिये था कि सरकार अपने ऐडवोकेट जनरल और कौंसिलर्स के जरिये जितने स्टेट्यूट्स और कानून हैं उनको एग्जामिन कराती कि कौन-कौन कानून फंडामेंटल राइट्स पामाल करते हैं, कौन-कौन ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करते हैं, मगर यह सरकार, जो अंग्रेजों ने कानून बना कर दे दिया उसके बल पर है । आज इसीलिये हमारे उत्तर प्रदेश में फंडामेंटल राइट्स कहीं हैं ही नहीं ।

बहस के दौरान में माननीय लक्ष्मीरमण जी ने फरमाया---बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं और जब बोलते हैं तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं अलैग्जेंडर सैकेंड के दर्शन कर रहा हूं---तो जब उन्होंने फरमाया कि कानून यह है, तो मेरा निवेदन यह है कि पिछली दफा जब बहस हुई तो वित्त मंत्री ने २५२ कोट कर दिया। उनको यह नहीं मालूम कि जाब्ता फौजदारी तबदील हो गया और २५२ दफा बदल कर २५१ (ए) हो गयी । मगर वह वही पुराने कानून को जो बिलकुल अमेंड हो चुका है उसको कोट कर देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार ही ऐसे हैं । इसलिये दफा १५१ (ए) पढ़िये, २०५, ३५३ और ५०४ (ए) पढ़िये तो कहीं भी यह नहीं है । ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि अगर कोई मुलजिम कोर्ट के सामने नहीं आता है तो उस केस को ऐडजर्न करते रहिये । अगर मुलजिम २० साल तक नहीं आता है तो बराबर २० साल तक ऐडजर्न करते रहिये । इसमें नुक्सान किसका है ? इसमें नुक्सान तो मुलजिम का ही है । (if the accused does no appear.....) तो उसका एक ही तरीका है कि उस केस को ऐडजर्न करते रहिये और यह सवाल पैदा नहीं होगा और न छीछालेदर ही होगी और यह मौलिक अधिकारों के अपहरण का सवाल भी पैदा नहीं होगा। इसलिये कानून की दफाओं में यही लिखा है कि "brought before the Magistrate" अगर कोई जेल में है । अगर वह एपियर हो जाता है तब तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है । इसलिये कहा गया है कि "taken to Magistrate" तब अपील करेगा। "brought before the Magistrate" जिन मुलजिमान के लिये कहा गया है तो इसके माने यह नहीं है कि "He must be taken to the Magistrate" इसलिये हिन्दुस्तान के रहने वाले आदमियों के मौलिक अधिकारों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाय, ऐसा इंटरप्रिट किया जाय जिससे किसी के मौलिक अधिकार ही न रहें । आखिर में फंडामेंटल राइट्स की रक्षा का सवाल है ।

मोदीनगर में हमारे साथी चन्द्रशेखर जी ने एक पत्र ए० डी० एम० को लिखा कि दफा १४४ लगी हुई है इसलिये हमें मीटिंग करने के लिये इजाजत दी जाय । एक रिकगनाइज्ड पोलीटीकल पार्टी के आदमी के द्वारा ऐप्लीकेशन दी गयी लेकिन उसको परमिशन नहीं मिली। मेरे कहने का मतलब यह है कि दफा १४४ कभी भी मिल मालिकों के खिलाफ नहीं लगायी जा सकती है कि अगर वे लाक आउट कर दें तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाय। लेकिन इस बात पर लगायी जाती है कि मजदूर हड़ताल न कर सकें, मीटिंग न कर सकें । जहां कहीं भी लगायी जाती है तो वह मिल मालिकों को, पूंजीपतियों को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिये लगायी जाती है। हमारे दो साथी आज भी जेल में मौजूद हैं, वे चाहते थे कि १४४ दफा के अंतर्गत उनको मीटिंग करने की इजाजत मिल जाय। श्रीमन्, एक मिनिस्टर के नाते पुलिस के तत्वावधान में कांग्रेस वालों की मीटिंग हो सकती है लेकिन विरोधी दल की तरफ से अगर आयोजन होगा तो उस समय दफा १४४ लग जायगी । कानपुर में लग रही है ....

श्री उपाध्यक्ष---अब आप का समय खत्म हो गया ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---श्रीमन्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मेरा इतना निवेदन है कि ....

श्री उपाध्यक्ष---आपने काफी निवेदन कर लिया ।

श्री मलिखान सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अविश्वास का प्रस्ताव सभी पार्टी के नेताओं की ओर से प्रस्तुत हुआ है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। हमें सब से पहले यह सोचना होगा कि आखिर आज जो सरकारी बेंचेज की तरफ से स्पीचेज दी गयीं उनमें यह कहा गया कि ऐसी कोई विषम स्थिति नहीं आ गयी जिसमें यह अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया, विरोधी दल के नेता पहले भी यह कहते थे और इस तरह के उदाहरण देते थे । आज भी वही फैक्ट्स सामने लाये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--सदन में बहुत शोर हो रहा है, जरा शान्ति रखने की कृपा करें ।

श्री मलिखान सिंह---स्थिति को देखने के पहले हमारा कर्तव्य हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति से कोई बात मनवाने के लिये पहले उसे आगाह किया जाय । हमने उनको पहले सदन में बतलाया कि तुम्हारी तरफ से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और जो कुछ सरकार कर रही है उससे वह बराबर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती चली जा रही है, किन्तु जब उस सरकार की तरफ से कोई भी प्रभावकारी कदम नहीं उठाया गया तो मजबूर हो कर विरोधी दलों के नेताओं ने यह अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन के सामने प्रस्तुत किया । आज हमें यह देखना और विचारना होगा कि आज जो सरकार हमारे प्रदेश में शासन भार सम्हाले है उसमें और अंग्रेज के समय की सरकार में क्या अन्तर है । आज इस कांग्रेस सरकार के काले कारनामों को देख कर अगर यह कहा जाय कि कांग्रेस सरकार वल्द अंग्रेज सरकार तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा । जितने भी क्रिमिनल ऐक्ट्स आज पुलिस के द्वारा जनता के ऊपर प्रयोग में लायें जाते हैं वे सब अंग्रेजों के जमाने के बने हैं जो कि एकतंत्र के आधार पर यहां शासन करके जन-आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया करते थे । हमने बराबर यह देखा कि जब-जब हम लोगों ने अपने आन्दोलन खड़े किये तो इस कांग्रेस सरकार ने उनको हमेशा कुचलने का प्रयास किया ।

मौलिक अधिकारों का यदि प्रश्न पूछा जाय तो जिस समय संघ का आन्दोलन चल रहा था तो यही गोविन्द सहाय जी जो आज सदन में भाषण कर रहे हैं उन्होंने परम पूज्य गुरूजी को जेल के अन्दर बन्द करा दिया था और उस समय उन्होंने बराबर यह स्टेटमेंट दिया था कि गांधी जी की हत्या संघ ने करवायी है और इस बहाने एक-एक व्यक्ति को जेल के अन्दर बन्द कर दिया गया था। उसके बाद संघ के लोगों ने एक अहिंसात्मक आन्दोलन चलाया और गोविन्द सहाय जी अपने उस आरोप को साबित नहीं कर सके तब जाकर संघ पर से प्रतिबन्ध हटाया गया । इसके अलावा जो भी आन्दोलन हम लोग उठाते हैं उसको यह कांग्रेस सरकार दफा १४४ के नाम पर कुचलने की कोशिश करती है ।

काश्मीर का आन्दोलन जब चलाया गया तो यहां से सरकुलर्स जाते हैं सरकारी कर्मचारियों को कि यदि कोई काश्मीर का नाम ले तो उसको जेल के अन्दर बन्द कर दो ।

श्री उपाध्यक्ष--सदन में बहुत शोर हो रहा है । मालूम होता है कि माननीय सदस्य काफी संख्या में बातें कर रहे हैं। वे कृपया ध्यान से माननीय मलिखान सिंह जी के भाषण को सुनें ।

श्री मलिखान सिंह---इस सरकार की पार्टी ने जो भी घोषणायें जनता के सामने कीं यदि उनकी तरफ ध्यान दिया जाय तो इस सरकार ने उन सब घोषणाओं के विरुद्ध कार्य किया है जिसके कारण इसके ऊपर अविश्वास हो गया ।

पहली घोषणा इस सरकार की पार्टी की यह थी कि जमीन उसकी होगी जो जमीन को जोतेगा। स्वतंत्रता हुई, जमींदारी खत्म हुई, लगान आधा होना चाहिये था लेकिन लगान १ आना रुपया और बढ़ गया । ज़मींदार गये तो उनके रूप में यह सरकार आ गयी । नहर

गंग अपनी है, यह भी नारा इसी सरकार की पार्टी ने लगाया था और यह भी कहा था कि १ रुपया ८ आना और १ रुपया १२ आना भराई ज्यादा है। इस सरकार ने उसको ऐसा कम किया कि ३ रुपये भराई कर दिया और ईख के ७ रुपये तक कर दिया !

टैक्स के बारे में लीजिये। महात्मा गांधी ने कहा था कि नमक पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये और इसके लिये आन्दोलन हुआ। लेकिन इस सरकार ने अपने राज्य में खाने पीने की सभी चीजों पर टैक्स लगा दिया। ये सारी जिम्मेदारियां इसी सरकार की हैं। यह अविश्वास नहीं तो और क्या है ? सस्ते न्याय की बात जो सरकार ने कही थी उसमें भी सरकार अपना वायदा पूरा नहीं कर पायी है। रोजाना डकैती पड़ती है, मर्डर होते हैं। अभी लक्ष्मीरमण जी भाषण कर रहे थे, उन्हीं के जिले का किस्सा है। वहां आठ, दस दिन हुए जनसंघ के प्रधान का मर्डर कराया गया। पोलिटिकल मर्डर कराये जाते हैं .....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मैं एक सूचना देना चाहता था कि किसी जनसंघ के प्रधान का मर्डर नहीं हुआ। जैसा अखबारों में मैंने पढ़ा था, वह सदन तथा सदस्य की सूचना के लिये बताता हूं कि एक चौधरी बंधुप्रसाद जी जनसंघ के प्रधान हैं, उनके यहां चोरों ने डाका डाला और उनके पिता का मर्डर हुआ।

श्री मलिखान सिंह--श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि मर्डर कराये जाते हैं। पोलिटिकल आधार पर सरकारी कर्मचारी यह जान कर कि राजनीतिक क्षेत्र में यह आगे बढ़ रहा है, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। मैं इसका ज्वलंत उदाहरण दे दूं। कुरावली के अड्डे पर साहब सिंह का मर्डर मोटर स्टैंड के सामने ठीक तीन बजे किया गया और मारने वाला भाग गया। जब किसी अपने क्षेत्र में कोई विरोधी कांग्रेस के मुकाबले में खड़ा होता है तो उसको यह भय दिखाया जाता है कि तुमको इस दफा में गिरफ्तार किया जायगा ; अगर वह नहीं मानता तो पुलिस कर्मचारी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जब कोई जनता का व्यक्ति कानून से नहीं फंसता तो मैनपुरी में छपवा बरबरिया जैसे लोगों को मरवा देते हैं। उनको भगवानसिंह सब-इंस्पेक्टर ने गोली मारी। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है .....

श्री उपाध्यक्ष--किसी का नाम आप न लें। पता नहीं मामला कोर्ट में हो। इसलिये उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिये जो यहां उत्तर न दे सके।

श्री मलिखान सिंह--अभी थोड़े दिन पहले गजेन्द्र सिंह एम० एल० ए० (इटावा) के बारे में एक कामरोको प्रस्ताव श्री भुवनेश भूषण शर्मा जी ने दिया था। उनके यहां डकैती पड़ी थी। उन्होंने सरकार को भी लिखा और कहा भी कि मैं पुलिस की खिलाफत करता हूं और उस के कारण ही पुलिस कर्मचारी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमको किसी प्रकार हानि पहुंचा सकते हैं ; फिर भी उनके यहां यह डकैती पड़ी और जिसके लिये यहां कामरोको प्रस्ताव आया। मैं क्या-क्या बताऊं ! ऐसा ही किस्सा नरदेवसिंह जी के यहां हुआ। जो व्यवहार यहां विरोधी दल के सदस्यों के साथ किया जाता है उसके लिये अगर मैं कहूं कि जितना अत्याचार अंग्रेजी शासन में इस सरकार की पार्टी के साथ होता था उससे भी ज्यादा विरोधी पक्ष वालों के साथ होता है तो कुछ अनुचित न होगा। आज हाल यह है कि जो सत्याग्रही हैं वे इस सरकार की जेलों में मरते हैं।

अगर आप अलग-अलग विभागों को देखें तो आपको बड़ी निराशा मिलेगी। सरकार ने पंचायत राज का मुहकमा कायम किया है इसलिये कि लोग व्यवस्थित हों, ठीक हों, उनको सस्ता और सच्चा न्याय मिल सके। लेकिन वास्तव में इस सरकार ने पंचायतों के जरिये डिवाइड एन्ड रूल की पालिसी अपना ली है, जैसा अंग्रेजों ने किया था। इन्होंने गलत चुनाव प्रणाली के द्वारा ऐसा रवैया अपनाया कि जिससे हर गांव में दो पार्टियां हो गयीं। जिस तरह से अंग्रेजों की रक्षा पुलिस द्वारा होती थी उसी प्रकार आज इस सरकार के मिनिस्टरों की रक्षा उनकी पार्टी के मेम्बरों द्वारा होती है। मैनपुरी में पोलिटिकल सफरर के नाम पर ११ साल का एक्सटेंशन दिया गया है, वहां की म्युनिसिपैलिटी में यह एक्सटेंशन दिया गया है। ७, ७ और ८,

[श्री मलिखान सिंह]

८ साल का एक्सटेंशन दिया गया सिर्फ इसलिये कि वह नौकर बने रहें । उसके बाद अपने लोगों को नौकरी दिलाने के लिये और तरक्की दिलाने के लिये हमेशा जो इतना पक्षपातपूर्ण रवइया बरता तो क्या यह मानव के मौलिक अधिकारों में नहीं है ? क्या हम यह नहीं कह सकते कि मौलिक अधिकारों का हनन इस सरकार के द्वारा हो रहा है ?

माननीय सदस्य जो उधर की बैन्चों पर बैठे हुये हैं वे यह सोचते हैं और इस तरह से बराबर कहते हैं कि दूसरी पार्टी के लोग उनके कामों का विरोध करते हैं । श्रीमन्, मैं इस सदन में पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं कि हम सरकार की सही नीति का हमेशा स्वागत करने के लिये तैयार हैं । यदि जनता के पैसे का अपव्यय होगा तो हम उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो जायंगे और उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे । इन सब बातों के कारण ही हमारे सामने आज यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है । यदि जनता के पैसे का अपव्यय होता है, यदि इस प्रकार से चोरियां होती हैं और कत्ल होते हैं और सरकार से उनकी शिकायत की जाती है तो सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है । इस वजह से इस प्रस्ताव के जरिये से हमको यह सब बातें कहने के लिये मौका मिला कि हम यहां खड़े होकर इस सरकार के विरुद्ध इस अविश्वास के प्रस्ताव को रखें और प्रस्ताव को पास करावें । यह कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, बड़ी मेहरबानी की । मैं माननीय प्रस्तावक के प्रस्ताव पर बोलने के पहले श्री गोविन्द नारायण जी की बातों का जवाब देना चाहता हूं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गोविन्द नारायण जी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं । उनका भाषण सुनकर जी खुश हो जाता है । वे अपने केस को बहुत अच्छी तरह से रख सकते और पुट अप करते हैं । लेकिन शायद अंग्रेजी साहित्य की ओर उन्होंने अधिक ध्यान दिया है किन्तु अपनी साहित्य को पढ़ा है या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है । आपने फरमाया कि मैं मंत्रिमंडल के मंत्रियों का कानून में सेन्ट परसेन्ट मुकाबला कर सकता हूं । मैं उसको सुनकर ताज्जुब करता रह गया कि हमारे तिवारी जी जो कि वक्तृता में निपुण हैं किस प्रकार हाउस में यह गलती कर गये । मैं अपने दोस्त को बतलाना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रकार क्या कहते हैं---

यदा किंचिज्ज्ञोहं द्विप इव मदान्धः समभवम् ।
तदा सर्वज्ञोस्मीत्यभवदवलिप्तम् मम मनः ।।
यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतम् ।
तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ।।

जब मैं कम पढ़ा लिखा था, तब हाथी की तरह मदान्ध रहता था और अपने को बहुत होशियार समझता था । लेकिन जब धीरे-धीरे पंडितों का साथ हुआ और कुछ सीखा तब मैंने समझा कि मैं तो मूर्ख हूं, कुछ भी नहीं जानता । इस विषय में एक शायर भी यह कहता है कि "जाना तो यह जाना कि न जाना कुछ भी" । अब मैं आपके बारे में इससे ज्यादा और क्या अर्ज करूं ?

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आया है, कोई ताज्जुब की बात नहीं, और मैं यह भी जानता हूं कि पास नहीं होगा ; मगर यह आया क्यों ? एक भले आदमी पर मुकदमा दायर हो जाय और वह छूट जाय, तब भी उसकी शिकायत हो जाती है । हम कांग्रेसमैनों को गौर करना चाहिये कि क्यों ऐसा हुआ । क्या उधर के लोगों की योग्यता में कमी है ? ऐसा नहीं है । क्या उनकी अक्ल में कमी है ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय शुक्ल जी, आपका १२ मिनट का भाषण अब कल होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२३ दिसम्बर, १९५७।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६५ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में निम्नलिखित उद्योगों के चाल करने व विकास का आयोजन है ।

(१) लोहारगीरी, आयल इंजिन, ड्राइवरी आदि में प्रशिक्षण ।
(२) घर की फिटिंग, पम्प व खेती के औजारों का बनाना तथा मरम्मत ।
(३) चर्म विकास व चर्म शोधन ।
(४) बढ़ईगीरी व बर्तन बनाना ।
(५) गुड़ तथा खंडसारी उद्योग ।
(६) गन्ना-कोल्हू व उससे सम्बन्धित औजार बनाना ।
(७) दरी बुनना व सिलाई ।
(८) साबुन बनाना ।
(९) बुनाई व रंगाई उद्योग ।
(१०) हस्तकर्घा उद्योग ।
(११) रेशम उद्योग (एरोकल्चर) ।

अदर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७२ पर)

ठेकेदारों के नाम तथा रुपया जो उन्हें दिया गया है निम्नलिखित है :

क्रम-संख्या	ठेकेदार का नाम	मिट्टी का काम	पुलिया	चिनाई गिट्टी	योग
		रुपया	रुपया	रुपया	रुपया
१	श्री सकलू राम ..	२००		१,३८२	१,५८२
२	श्री केशव प्रसाद अग्रवाल	१९४	२,२५४	९६०	३,४०८
३	श्री राम लखन प्रसाद ..	२६७	९१२	९१५	२,०९४
४	श्री राम देव ..	२९०	६९०	१,२५१	२,२३१
५	श्री नरेंद्र सेन गर्ग ..	११०	२५०	५७०	९३०
				योग	१०,२४५

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७५ पर)

ग्राम सूची

क्रम-संख्या	प्रथम पंच वर्षीय योजना	मिश्रित ग्रुप
१	छैलिया	"
२	बडापुर	"
३	बहरामपुर	"
४	दैयोकली	"
५	पथरी	"
६	पिसावां	"
७	पिसावां	"
८	नेवादीचा	"
९	खीजापुर	"
१०	दौलतियापुर	"
११	बहादुर नगर	"
१२	बहादुर नगर	"
१३	भखियां कलां	"
१४	बारहमऊ	"
१५	बाराहमऊ	"
१६	बरमछीली	"
१७	रौना	"
१८	कुनयां खेरा	"
१९	सेज खुर्द	"
२०	दुबावां	"
२१	रजावापुर	"
२२	मुदां कलां	"
२३	मुदा कलां	"
२४	जगानियां	"
२५	जगानियां	"
२६	महतानियां	"
२७	नन्दन	"
२८	दैयोकली	"
२९	रावापुर	"
३०	बहूबनी	"
३१	नेवादा	"
३२	मुदासनी	"
३३	नैरी	"
३४	मेहरानियां	"
३५	अम्बारी	"
३६	झंसापुर	"
३७	कुपाकर	"
३८	हरंया	"

क्रम-संख्या	प्रथम पंचवर्षीय योजना	
३९	चन्द्रखास	,,
४०	कचूरा	,,
४१	कचूरा	,,
४२	करोदिय	,,
४३	पिपरी शाबीपुर	,,
४४	सरवा	,,
४५	देवरिया	,,
४६	जगदेवा हसनपुर	,,
४७	मुसावरपुर	,,
४८	पी० ए० सी० कम्पाउंड	सीतापुर

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

१	फरवापुर	मिश्रिख ग्रुप
२	जसवन्तपुर	मिश्रिख ग्रुप
३	चन्द्रा	मिश्रिख ग्रुप
४	कपसा	मिश्रिख ग्रुप
५	तबिंदा नगर	मिश्रिख ग्रुप

प्रदेश सरकार

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८० पर)

तालिका 'अ'

केन सेस की स्थिति जैसी कि वह ३१ अक्तूबर, १९५७ को थी (लाख रुपयों में)

पूर्वी जिले का नाम	१९५५–५६ में देय सेस	दे दिया गया	१९५६–५७ में देय केन सेस	दे दिया गया
१ गोरखपुर ..	२९.१३	२२.३६	३२.८५	४.२८
२ देवरिया ..	५३.४९	३५.९१	६०.२३	१५.४९
३ बस्ती ..	१०.१८	१०.१८	१७.८२	११.७९
४ गोंडा ..	१४.९४	१४.९४	२४.३४	२४.३४
५ बहराइच ..	५.७०	५.७०	६.८६	
६ बाराबंकी ..	९.९२	९.९२	१३.७०	६.४९
७ सीतापुर (बिस्वां फैक्ट्री)	६.४२	६.४२	७.४३	०.६९
८ जौनपुर ..	२.६६	२.६६	३.४६	०.४०
९ फैजाबाद ..	३.१४	३.१४	६.४५	०.११
योग ..	१३५.५८	१११.२३	१७३.१४	६३.५९

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

तालिका 'ब'

१९५५–५६ के पहले के केन सेस का विवरण जो ३०–४–५७ को देय था और जैसा ३१–१०–५७ तक वसूल हो चुका है (लाख रुपयों में)

फैक्ट्री का नाम	१९५५–५६ के पहले का देय केन सेस	जो ३१-१०-५७ तक वे दिया गया
पूर्वी उत्तर प्रदेश		
१ पिपराइच	२.०५	..
२ खड्डा	६.५१	..
३ पडरौना	४.५६	५.५६
४ कठकुइयां	८.३४	८.३४
पश्चिमी उत्तर प्रदेश		
५ बरेली	३.५०	३.५०
६ पीलीभीत	६.३१	६.३१
७ इकबालपुर	१.६६	
	३३.९३	२३.७१

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२४ एल० ए०—१९५८—८१० ।